



कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास को समर्पित

वर्ष 62

अंक : 12

पृष्ठ : 76

अक्टूबर 2016

मूल्य: ₹30



5. पाना को टका का
नियमित साफ रखें



ग्रामीण स्वच्छता

बदलती मानसिकता : मानवीय गरिमा की पुनर्स्थापना



“स्वच्छता हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए”

...मेरे प्यारे देशवासियो, दो साल पहले, 2 अक्टूबर को पूज्य बापू की जन्म जयंती पर 'स्वच्छ भारत मिशन' को हमने प्रारंभ किया था। और उस दिन भी मैंने कहा था कि स्वच्छता— ये स्वभाव बनना चाहिए, हर नागरिक का कर्तव्य बनना चाहिए, गंदगी के प्रति नफरत का माहौल बनना चाहिए। अब 2 अक्टूबर को जब दो वर्ष हो रहे हैं, तब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि देश के सवा—सौ करोड़ देशवासियों के दिल में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। और मैंने कहा था— 'एक कदम स्वच्छता की ओर' और आज हम सब कह सकते हैं कि हर किसी ने एक कदम आगे बढ़ने का प्रयास किया ही है। मतलब कि देश सवा—सौ करोड़ कदम, स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा है। ये भी पक्का हो चुका है, दिशा सही है, फल कितने अच्छे होते हैं, थोड़े से प्रयास से क्या होता है, वो भी नजर आया है और इसलिए हर कोई चाहे सामान्य नागरिक हो, चाहे शासक हो, चाहे सरकार के कार्यालय हो या सड़क हो, बस—अड्डे हो या रेल हो, स्कूल या कॉलेज हो, धार्मिक स्थान हो, अस्पताल हो, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, गांव—गरीब, किसान महिलाएं, सब कोई, स्वच्छता के अन्दर कुछ—न—कुछ योगदान दे रहे हैं। मीडिया के मित्रों ने भी एक सकारात्मक भूमिका निभाई है। मैं भी चाहूंगा कि हमें अभी भी और बहुत आगे बढ़ना है। लेकिन शुरुआत अच्छी हुई है, प्रयास भरपूर हुए हैं, और हम कामयाब होंगे, ये विश्वास भी पैदा हुआ है। ये भी तो जरूरी होता है और तभी तो ग्रामीण भारत की बात करें, तो अब तक दो करोड़ अड़तालीस लाख, यानी करीब—करीब ढाई करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ है और आने वाले एक साल में डेढ़ करोड़ और शौचालय बनाने का इरादा है।

आरोग्य के लिए, नागरिकों के सम्मान के लिए, खास करके माताओं—बहनों के सम्मान के लिए, खुले में शौच जाने की आदत बंद होनी ही चाहिए और इसलिए ओपन डेफीकेशन फ्री (ओडीएफ) 'खुले में शौच जाने की आदतों से मुक्ति' का एक अभियान चल पड़ा है। राज्यों—राज्यों के बीच, जिले—जिले के बीच, गांव—गांव के बीच, एक स्वस्थ स्पर्धा चल पड़ी है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और केरल खुले में शौच जाने की आदत से मुक्ति की दिशा में, बहुत ही निकट भविष्य, में पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। मैं अभी गुजरात गया था, तो मुझे अफसरों ने बताया कि पोरबंदर, जोकि महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, इस 2 अक्टूबर को पूरी तरह ओडीएफ का लक्ष्य सिद्ध कर लेगा। जिन्होंने इस काम को किया है, उनको बधाई, जो करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको शुभकामनाएं और देशवासियों से मेरा आग्रह है कि मां—बहनों के सम्मान के लिए, छोटे—छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, हमें इस समस्या से देश को मुक्त करना है। आओ, हम संकल्प ले करके आगे बढ़ें। खासकर के मैं नौजवान मित्र, जोकि आजकल टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हैं, उनके लिए एक योजना प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वच्छता मिशन का आपके शहर में क्या हाल है? ये जानने का हक हर किसी को है और इसके लिए भारत सरकार ने एक टेलीफोन नंबर दिया है—1969। हम जानते हैं, 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। 1969 में हमने महात्मा गांधी की शताब्दी मनाई थी। और 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती मनाने वाले हैं। ये 1969 नंबर उस पर आप फोन करके न सिर्फ अपने शहर में शौचालयों के निर्माण की स्थिति जान पाएंगे, बल्कि शौचालय बनवाने के लिए आवेदन भी कर पाएंगे। आप जरूर उसका लाभ उठाएं। इतना ही नहीं, सफाई से जुड़ी शिकायतों और उन शिकायतों के समाधान की स्थिति जानने के लिए एक स्वच्छता एप की शुरुआत की है। आप इसका भरपूर फायदा उठाएं, खासकर के युवा पीढ़ी फायदा उठाए। भारत सरकार ने कॉर्पोरेट वर्ल्ड को भी अपील की है कि वे आगे आएं। स्वच्छता के लिए जो काम करना चाहते हैं, ऐसे यंग प्रोफेशनल्स को प्रायोजित करें। जिलों के अन्दर 'स्वच्छ भारत फैंलो के रूप में उनको भेजा जा सकता है।



कुरुक्षेत्र



वर्ष : 62 ★ मासिक अंक : 12 ★ पृष्ठ : 76 ★ आश्विन-कार्तिक 1938 ★ अक्टूबर 2016

प्रधान संपादक
दीपिका कच्छल
संपादक
ललिता खुराना

संपादकीय पत्र-व्यवहार
संपादक
कमरा नं. 655, प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003
दूरभाष : 011-24365925
वेबसाइट : publicationsdivision.nic.in
ई-मेल : kuru.hindi@gmail.com

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
विनोद कुमार मीना

व्यापार प्रबंधक
दूरभाष : 011-24367453
ई-मेल : pdjucir@gmail.com

आवरण
आशा सक्सेना
सज्जा
विनोद कुमार

मूल्य एक प्रति : 22 रुपये
विशेषांक : 30 रुपये
वार्षिक शुल्क : 230 रुपये
द्विवार्षिक : 430 रुपये
त्रिवार्षिक : 610 रुपये

इस अंक में

	स्वच्छ भारत मिशन: व्यवहार परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन तक	नरेंद्र सिंह तोमर	6
	ग्रामीण समुदायों ने अपनाया स्वच्छ भारत अभियान	परमेश्वरन अय्यर	9
	मन बनाओ, शौचालय बनाओ- ग्रामीण गुजरात का नया मंत्र	डॉ. जयंती एस. रवि	11
	स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाना- जशपुर की शैली	डॉ. प्रियंका शुक्ला	15
	मंडी के महिला मंडल जिले को बना रहे हैं ओडीएफ प्लस	संदीप कदम	19
	स्वच्छता पखवाड़ा : जन-जन तक पहुंचने का प्रयास	अक्षय राउत	22
	ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का आकलन	सुजॉय मजूमदार	26
	नदियों की स्वच्छता की चुनौती	संजय श्रीवास्तव	32
	हमारे असली चैंपियन हैं विद्यार्थी	-	39
	ग्रामीण स्वच्छता और गांधीजी	डॉ. राजीव रंजन गिरि	41
	ग्रामीण भारत में बुनियादी सफाई का लक्ष्य	डॉ. बिंदेश्वर प्रसाद पाठक	45
	स्वच्छता का आर्थिक पहलू और रोजगार	ऋषभ कृष्ण सक्सेना	50
	ग्रामीण स्वच्छता में पंचायतों की भूमिका	रविन्द्र सिंह	55
	मानसिकता बदलाव में प्रभावी हैं परंपरागत माध्यम	मीना नरुला	59
	स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियां	डॉ. अमृत पटेल	64
	ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन स्वच्छता सेना	इंदिरा खुराना	68
	स्वच्छ ग्राम पुरस्कार' जीतने की होड़	-	71
	हरदा में सकारात्मक भेदभाव से व्यवहार में बदलाव	-	72
	सिरसा में जन भागीदारी से मिली सफलता	-	73
	सामुदायिक भागीदारी से पंचकुला में आई जागरूकता	-	74

कुरुक्षेत्र की एजेंसी लेने, ग्राहक बनने और अंक न मिलने की शिकायत के बारे में व्यापार प्रबंधक, (वितरण एवं विज्ञापन) प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से पत्र-व्यवहार करें। विज्ञापनों के लिए विज्ञापन प्रभाग, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, कमरा नं. 48-53, सूचना भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110003 से संपर्क करें।
दूरभाष : 011-24367453

कुरुक्षेत्र में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी वही हो। पाठकों से आग्रह है कि कैरियर मार्गदर्शक किताबों/संस्थानों के बारे में विज्ञापनों में किए गए दावों की जांच कर लें। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषय-वस्तु के लिए 'कुरुक्षेत्र' उत्तरदायी नहीं है।

अक्टूबर 2016

“मन की गंदगी तन की गंदगी से कहीं ज्यादा खतरनाक है। लेकिन दूसरे किस्म की गंदगी पहले किस्म का ही एक संकेत है।” महात्मा गांधी का यह उद्धरण व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक

आरोग्य के लिए स्वच्छता के महत्व को सही अर्थों में रेखांकित करता है। महात्मा गांधी ने सबसे पहले साफ-सफाई के महत्व को महसूस किया। यह साबित करने के लिए कि स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश के बिना हम राष्ट्र के रूप में विकसित नहीं हो पाएंगे, उन्होंने सफाई का कार्य स्वयं किया। यही नहीं उन्होंने स्वच्छता को आध्यात्मिकता के स्तर तक पहुंचाया और स्वच्छता को दिव्यता के समकक्ष घोषित किया।

ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें तो भारतीय लोग नगर नियोजन के पुरोधा रहे हैं। चाहे हड़प्पा हो, मोहन जोदड़ो हो, धौलावीरा हो, लोथल हो या हाल में खोजा गया हड़प्पाकालीन स्थल राखीगढ़ी, सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेषों से यह तथ्य सामने आता है कि उस जमाने के शहरों में जल-मल के निपटान की समुचित व्यवस्था थी और इसके लिए पकाई गई ईंटों की बनी कई पुलिया बनायी गई थीं। भले ही हमारे धार्मिक ग्रंथों में तन और मन की स्वच्छता का कितना ही गुणगान क्यों न किया गया हो, विभिन्न कारणों से हमने साफ-सफाई पर अधिक ध्यान देना बंद कर दिया, खासतौर पर सामुदायिक स्वच्छता की तो घोर उपेक्षा की गई। नतीजा, हमारी गलियां गंदी रहने लगीं। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोग अब भी खुले में शौच जाते हैं।

स्वच्छता और स्वास्थ्य किसी समाज में सामाजिक तथा आर्थिक विकास के संकेतक माने जाते हैं। किसी देश के स्वच्छता तथा स्वास्थ्य के स्तर का राष्ट्र के आर्थिक विकास और कार्य निष्पादन पर जोरदार असर पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में 2.5 अरब लोग ऐसे हैं जो आज भी उन्नत स्वच्छता सुविधाओं का उपयोग नहीं करते और उनमें से एक अरब से कुछ ज्यादा खुले में शौच करते हैं। हर 20वें सेकेंड में एक बच्चा स्वच्छता की कमी की वजह से मौत का शिकार हो जाता है। यूनीसेफ की हाल की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 54 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं जबकि ब्राजील और बंगलादेश में ऐसा करने वालों की तादाद 7-7 प्रतिशत है। भारत में पांच साल से कम उम्र के सिर्फ 6 प्रतिशत बच्चे शौचालयों का इस्तेमाल कर पाते हैं।

देश में पूर्व सरकारों ने करोड़ों रुपये कूड़े-कचरे के निपटान के कार्यक्रमों पर खर्च किए, लेकिन इसके वांछित परिणाम सामने नहीं आए। इस समस्या की गंभीरता का अनुमान लगाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2014 को देशवासियों के नाम अपने पहले स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था, “गरीबों को सम्मान की जरूरत है और इसकी शुरुआत स्वच्छता से होती है।” 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का विधिवत शुभारंभ करने के लिए आयोजित समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, ‘2019 में मनायी जाने वाली महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर साफ-सुथरा भारत उनके प्रति भारत की सुंदरतम श्रद्धांजलि होगा।’ ग्रामीण क्षेत्रों की स्वच्छता इस स्वच्छता कार्यक्रम की बुनियाद बनेगा। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण का लक्ष्य ठोस और तरल कचरे के प्रबंधन की गतिविधियों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में साफ-सफाई के स्तर में सुधार लाना तथा ग्राम पंचायतों को खुले में शौच की समस्या से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ और साफ-सुथरा बनाना है। स्वच्छता को मानवीय गरिमा, स्वास्थ्य और सुरक्षा का प्रतीक माना गया है।

पिछले दो वर्षों में इस अभियान के तहत बहुत कार्य किया गया है। सिविकम को पहले ही खुले में शौच की समस्या से मुक्त राज्य घोषित कर दिया गया है। केरल और गुजरात बहुत जल्द इस श्रेणी में शामिल होने वाले हैं। इस अभियान से जिम्मेदारी की भावना उत्पन्न हुई है। भारत के ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के इलाकों में बड़े पैमाने पर जनता की भागीदारी से स्वच्छता अभियान दो ही साल में राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। कई स्थानों पर नशाबंदी और अन्य सामाजिक आंदोलनों को इसके साथ जोड़े जाने से इसने बहुआयामी आंदोलन का रूप ले लिया गया है। ‘नमामि गंगे’ का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण पर कारगर रोक लगाकर इसमें नये जीवन का संचार करना है।

लेकिन भारत को न सिर्फ साफ-सुथरा बल्कि खुले में शौच की बुराई से मुक्त कराने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। स्वच्छता परिदृश्य में बदलाव लाने और विभिन्न स्तरों पर विविध प्रकार के लाभार्थियों, जैसे स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी निभाते हुए इसके दायरे का सार्वभौमिक विस्तार भी किया जाना चाहिए। सामुदायिक भागीदारी और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन, किसी भी स्वच्छता कार्यक्रम की सफलता के लिए बहुत जरूरी हैं। लोगों के तौर-तरीकों में दीर्घकालीन और टिकाऊ बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार की मदद लेना बहुत आवश्यक है।

चुनौतियों की कोई कमी नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों को साथ लेकर चलना है। ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं पर और भी बड़ी जिम्मेदारी है। गांवों, ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों और राज्यों को स्वच्छता सूचकांक और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन सूचकांक के अनुसार वर्गीकृत करने के प्रस्ताव ने प्रतिस्पर्धा की भावना जगा दी है। आशा की जाती है कि इससे स्वच्छ भारत मिशन के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में चल रहे कार्यों में और तेजी आएगी।

आइए, हम सब मिलकर अपने देश को साफ-सुंदर और स्वच्छ बनाने की शपथ लें।



स्वच्छता शपथ

महात्मा गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था उसमें सिर्फ राजनैतिक आजादी ही नहीं थी, बल्कि एक स्वच्छ एवं विकसित देश की कल्पना भी थी। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारती को आजाद कराया। अब हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें।

“मैं शपथ लेता/लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा/रहूंगी और उसके लिए समय दूंगा/दूंगी। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा/करूंगी। मैं न गंदगी करूंगा/करूंगी न किसी और को करने दूंगा/दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा/करूंगी। मैं यह मानता हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहां के नागरिक गंदगी नहीं करते और न ही होने देते हैं। इस विचार के साथ मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत मिशन का प्रचार करूंगा/करूंगी। मैं आज जो शपथ ले रहा/रही हूँ, वह अन्य 100 व्यक्तियों से भी करवाऊंगा/करवाऊंगी। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें, इसके लिए प्रयास करूंगा/करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।”

स्वच्छ भारत मिशन: व्यवहार परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन तक

—नरेंद्र सिंह तोमर

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का “स्वच्छ भारत” का स्वप्न अब साकार हो रहा है। आज स्वच्छ भारत मिशन बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच लोकप्रिय होकर उनमें रच बस गया है। यह उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के साथ आस-पास स्वच्छता बनाए रखने में गर्व की अनुभूति कराता है।

खुले में शौच की समस्या से गंभीर स्वास्थ्य संकट उत्पन्न होता है, जिसका व्यापक प्रभाव परिवार की आर्थिक हालत पर भी पड़ता है। भारत की लगभग 50 प्रतिशत ग्रामीण आबादी आज भी खुले में शौच की प्रथा जारी रखे हुए है, जो महिलाओं के लिए निश्चित रूप से परेशानी का सबब है।

सम्पूर्ण स्वच्छता कवरेज का लक्ष्य प्राप्त करने के प्रयासों में तेजी लाने और स्वच्छता पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का सूत्रपात किया था। इस अवसर पर उन्होंने कहा था, “स्वच्छ भारत, 2019 में महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर भारत द्वारा अर्पित की जाने वाली सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि होगी।”

एसबीएम की परिकल्पना मात्र शौचालयों का निर्माण ही नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए जनता के नेतृत्व वाले आंदोलन के रूप में की गई है। साफ-सफाई, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के अलावा यह मिशन क्षमता निर्माण, समन्वय, प्रचालन तंत्र, वित्त आदि के संदर्भ में प्रगति को अवरुद्ध करने वाली रुकावटें मिटाने पर ध्यान केंद्रित करता है।

एसबीएम-जी ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से और ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ), साफ-सुथरा एवं स्वच्छ बनाते हुए स्वच्छता के स्तर में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध है।





ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जनजीवन की गुणवत्ता में सुधार, स्वच्छता को बढ़ावा, खुले में शौच का उन्मूलन, 2 अक्टूबर, 2019 तक स्वच्छ भारत का विज़न प्राप्त करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कवरेज में तेजी लाना, जागरूकता प्रसार और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से समुदायों और पंचायती राज संस्थाओं को स्वच्छता व्यवहारों और सुविधाओं को निरंतर अंगीकार करने के लिए प्रेरित करना, पारिस्थितिकीय रूप से सुरक्षित और सतत स्वच्छता के लिए किफायती और उचित प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहन, ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता के लिए वैज्ञानिक ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए समुदाय द्वारा प्रबंधित स्वच्छता प्रणालियों को अपनाने जैसे विषय स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल हैं।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने रणनीति तैयार करने और ओडीएफ का दर्जा प्राप्त करने के लिए राज्यों द्वारा की जाने वाली गतिविधियां दर्शाने वाले विस्तृत दिशा-निर्देश प्रस्तुत किए हैं। स्वच्छता राज्य का विषय है अतः राज्य सरकारों को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कार्यान्वयन नीति तथा व्यवस्थाएं निर्धारित करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

राज्यों से अपेक्षा की गई थी कि वे आयोजना, कार्यान्वयन और गतिविधियों के विभिन्न चरणों को शामिल करते हुए योजना

के क्रियाकलापों सहित कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार करेंगे। मिशन के अंतर्गत उन्हें प्रोत्साहित किया गया, ताकि हस्तक्षेपों और बातचीत के माध्यम से कार्यक्रम को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जा सके। भारत सरकार ने राज्य सरकारों के प्रयासों को परिपूर्णता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वच्छ भारत, स्वच्छता की दिशा में उठाए गए पूर्व कदमों से अलग है। इसमें कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा सृजित अवसरों के अनुसार कॉरपोरेट सोशल उत्तरदायित्व (सीएसआर) का लाभ उठाते हुए कॉरपोरेट क्षेत्र की अति सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा की गई है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मिशन के साथ जुड़ते हुए कंपनियों को "स्वच्छ विद्यालय, स्वच्छ भारत" में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस पहल का उद्देश्य देश भर के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में उपयोग किए जाने योग्य शौचालय उपलब्ध कराना है।

धर्मगुरुओं से अंशदान तथा संस्थानों से सीएसआर निधियों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने "स्वच्छ भारत कोष" की शुरुआत की है। उन्होंने इससे जुड़े कार्यकर्ताओं को सक्रिय भागीदारी और अच्छे परिणाम लाने के लिए प्रेरित किया है और अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम "मन की

बात” पर सफलता की कहानियों को साझा किया है। सभी के लिए स्वच्छता सुगम बनाने के लिए इस कार्यक्रम में प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कॉरपोरेट क्षेत्र, शिक्षकों, विद्यार्थियों और मीडिया का भी समर्थन प्राप्त किया गया।

इस कार्यक्रम की शुरुआत के दो वर्ष हो चुके हैं और इस दौरान पूरे देश में व्यापक गतिविधियां हुई हैं। 20 जिलों और 80 हजार से भी ज्यादा गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किए जाने के साथ खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों की संख्या में काफी कमी आई है। गंगा के किनारे बसे 1523 गांव ओडीएफ बन चुके हैं। वर्तमान समय तक लगभग 23.5 मिलियन से ज्यादा घरेलू शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। निर्मित शौचालयों का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार में परिवर्तन लाने का अभियान प्रारंभ किया गया है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने ‘स्वच्छता पखवाड़ा’ शुरू किया है, जिसमें सभी मंत्रालयों ने अपने सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों और अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले स्थलों को साफ-सुथरा करने के लिए एक निर्धारित समय-सारिणी (कैलेंडर) का पालन किया है। स्वच्छता और स्वच्छ भारत अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने के लिए कई गतिविधियां शुरू की गई हैं, जो दर्शाती हैं कि सरकार इस दिशा में ठोस प्रयास कर रही है।

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने अपने विकास भागीदारों के साथ ‘ग्लोबल इंटरफेथ वॉश एलायंस’ का आयोजन इस कार्य में धर्म गुरुओं का समर्थन प्राप्त करने के लिए किया। मंत्रालय ने गंगा नदी के किनारे बसी ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए जिला पंचायत अध्यक्षों और प्रधानों का सक्रिय समर्थन भी हासिल किया। भारतीय गुणवत्ता परिषद को सुरक्षित शौचालयों तथा जल की उपलब्धता पर अधिकतम प्राथमिकता देने के साथ चार विभिन्न मानकों पर प्रत्येक जिले की स्वच्छता का निर्धारण करने की जिम्मेदारी दी गई।

अपशिष्ट से समृद्धि और स्वच्छता कार्यक्रमों के संचालन के लिए स्वयंसहायता समूहों के प्रशिक्षण, मिस्त्रियों के प्रशिक्षण, ग्रामीण स्वच्छता मार्ट्स की स्थापना, सीएलटीएस प्रशिक्षण, ओडीएफ मानचित्रण, मॉडल शौचालय वाले स्वच्छता पार्कों का निर्माण और अन्य आयोजनों का संदेश पहुँचाने के लिए नुक्कड़ नाटक का उपयोग जैसी पहलों के लिए वस्तुतः राज्यों की सराहना की जानी चाहिए।

जिला-स्तर पर बदलाव दर्शाने वाली कई नवीन गतिविधियां हुई हैं। जिला प्रशासनिक निकाय सिविल सोसायटी के साथ मिलकर व्यापक स्वच्छता योजना सहित इस आंदोलन को गति

देने में प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं। इनकी गतिविधियों में जागरूकता सृजन, केवल ओडीएफ गांवों के लोगों के लिए ओडीएफ ओलंपिक जैसी गतिविधियों के माध्यम से सकारात्मक भेदभाव करना, प्रातःकालीन निगरानी, निगरानी समितियों का गठन एवं संचालन, गौरव यात्राएं, मानव श्रृंखलाएं और रैलियां, जन स्वच्छता शपथ दिलाना आदि शामिल हैं।

एसबीएम आंदोलन, कतिपय सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष में भी परिवर्तित हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में मंडी जिले की बुंगरेल चौक पंचायत में महिलाओं ने मासिक धर्म के दौरान होने वाले अपने बहिष्कार के खिलाफ लड़ाई उस समय शुरू की, जब उन्हें 3-4 दिन के लिए जबरन गौशाला में रहने के लिए मजबूर किया गया। इसने शराब की समस्या के विरुद्ध भी लड़ाई का रूप ले लिया, जब महिलाओं को साफ-सफाई के दौरान पता चला कि कचरे का सबसे बड़ा हिस्सा शराब की बोतलों का है।

कई व्यक्तियों ने परिवर्तन लाने तथा अन्य बच्चों, महिलाओं तथा दिव्यांग जनों को प्रेरित करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। इनका संघर्ष नियमित आधार पर क्षेत्र से प्राप्त होने वाली सफलता की गाथाओं से परिलक्षित होता है।

एसबीएम अभियान में स्वच्छता संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सूचना और उत्कृष्ट पद्धतियों के प्रसार के लिए इंटरनेट और सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के बारे में अद्यतन जानकारी रख रहा है।

कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित शौचालयों के समुचित उपयोग की स्वीकार्यता न होने की समस्या अब भी प्रमुख चुनौती बनी हुई है, हालांकि इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। व्यवहारगत परिवर्तन के जरिए खुले में शौच की प्रथा से मुकाबला करने की दिशा में कार्रवाई जारी रखना ही सफलता की कुंजी है। ओडीएफ दर्जा प्राप्त करने के बाद इसे बरकरार रखने की प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

आज स्वच्छ भारत मिशन बच्चों, महिलाओं तथा पुरुषों के बीच लोकप्रिय होकर उनमें रच-बस गया है। यह उनमें जिम्मेदारी की भावना पैदा करने के साथ आस-पास स्वच्छता बनाए रखने में गर्व की अनुभूति कराता है।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का “स्वच्छ भारत” का स्वप्न अब साकार हो रहा है। इसे देखते हुए स्वच्छता एवं पेयजल मंत्रालय सुनिश्चित करना चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छता सुविधाएं प्राप्त हों और कोई व्यक्ति और समुदाय इससे वंचित न रहे।

(लेखक भारत सरकार के ग्रामीण विकास, पंचायती राज और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं।)



ग्रामीण समुदायों ने अपनाया स्वच्छ भारत अभियान

— परमेश्वरन अय्यर

अपनी एक अरब से अधिक जनसंख्या के साथ भारत में अत्यधिक जनसांख्यिकीय विविधता मौजूद है। हमारी अपार आर्थिक क्षमताओं एवं संभावनाओं ने भारत को बड़ी ताकत बना दिया है। हमारी जनसंख्या का 65.6 प्रतिशत हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। लेकिन इसे प्रभावी और मजबूत तथा तन-मन से स्वस्थ श्रमशक्ति बनाने के लिए देशभर में स्वच्छता की अच्छी आदतें अपनाए जाने की जरूरत है।

अध्ययन बताते हैं कि देश में स्वास्थ्य की स्थिति—निजी तथा सामूहिक दोनों स्तरों पर—राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं प्रदर्शन पर बहुत प्रभाव डालती हैं। नागरिकों के खराब स्वास्थ्य का देश के दीर्घकालिक विकास, आर्थिक वृद्धि और गरीबी कम करने पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) आरंभ किया। अभियान आरंभ होने के दो वर्ष बाद इसमें महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। 15 सितंबर, 2016 तक ऐसे 17 जिले तथा 80,000 गांव खुले में शौच की बुराई से मुक्त

घोषित किए जा चुके थे और इनकी संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। किंतु यह यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं रही है।

स्वच्छता के पिछले कार्यक्रमों से स्वच्छ भारत अभियान इस मायने में अलग है कि इसका नेतृत्व स्वयं प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर किया है। इसने स्वच्छता को राष्ट्रीय प्राथमिकता बना दिया है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन कर रहे राज्यों को परिवारों के बजाय समुदायों पर जोर देने, निजी क्षेत्र तथा विकास में साझेदारों के साथ सक्रिय रूप से काम करने के मामले में बहुत छूट दी गई है। देशभर में प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में कार्यशील शौचालय बनाने का भी इसका लक्ष्य है। भारत को 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच से मुक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त करना महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर उनके लिए सटीक श्रद्धांजलि होगी।

भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाने की कुंजी व्यवहार परिवर्तन में छिपी है। ज्यादातर मामलों में खुले में शौच इसीलिए नहीं किया जाता कि शौचालय बनाने के लिए धन अपर्याप्त है बल्कि ऐसा आदतन किया जाता है, जिनकी जड़ें सामाजिक तथा



निजी स्वभाव में गहरे तक जमी हैं। खुले में शौच की आदत सुधारने और खुले में शौच नहीं करने का सामूहिक निर्णय लेने हेतु समुदायों का आह्वान करना होगा। शौचालयों को आकांक्षा का विषय बनाना होगा और लोगों को शौचालयों का प्रयोग करने का महत्व तथा खुले में शौच करने के खतरे समझाने होंगे। उन्हें अपने स्वयं के शौचालयों से जुड़ी गरिमा का, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों का और शौचालयों के रखरखाव की जरूरत का भान कराना होगा।

यह काम इतना बड़ा है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति के लिए शौचालय की जरूरत का समर्थन और हिमायत करने के उद्देश्य से प्रमुख दूतों, कंपनी जगत, विकास साझेदारों, गैर-सरकारी संगठनों तथा मीडिया का सहयोग लेकर स्वच्छ भारत अभियान को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने का हरसंभव प्रयास कर रही है।

सफलता की ढेरों कहानियां हैं, जो बताती हैं कि सामुदायिक प्रक्रियाओं ने किस तरह चमत्कार किए हैं। विकलांग बच्चों, महिलाओं तथा व्यक्तियों से जुड़ी घटनाएं भी हैं, जिन्होंने डटे रहकर अपने समुदायों को सकारात्मक परिवर्तन के लिए प्रेरित किया। उन युवतियों को ही देखिए, जिन्होंने उस व्यक्ति से विवाह करने से इंकार कर दिया, जिसके घर शौचालय नहीं था। उस सरपंच को देखिए, जो लोगों को शौचालय निर्माण के लिए मनाने की खातिर उनके पैरों पर गिर गया या उस विकलांग व्यक्ति को देखिए, जो स्वच्छता का संदेश फैलाने के लिए पूरे शहर में घूमा;

वही काम एक मैराथन धावक ने भी किया और उस महिला को भी देखिए, जिसने वाराणसी में गंगा के घाट साफ करने का भारी-भरकम काम अपने हाथों में लिया।

यह देखकर खुशी होती है कि व्यवहार बदलने का जिम्मा युवाओं, शिक्षकों और महिलाओं ने अपने हाथों में लिया है और वे स्वच्छता के रक्षक बन गए हैं। कुछ गांवों ने साप्ताहिक स्वच्छता दिवस तय कर लिए हैं और कुछ गांवों ने स्वच्छता दूत घोषित किए हैं। स्थानीय प्रशासन ऐसे प्रयासों को मान्यता दे रहे हैं और सराह रहे हैं।

अब तक जो भी हुआ है, वह प्रशासन के सभी स्तरों पर समर्पित और संकल्पबद्ध व्यक्तियों के बगैर नहीं हो पाता जो इन ऊंची आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं। वे हमारे बदलाव के नेतृत्वकर्ता हैं। सौभाग्य से सोशल मीडिया के प्रयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बना दिया है। यह यात्रा जारी रखते हुए और राष्ट्र को स्वच्छ बनाने का प्रयास करते हुए हमें प्रत्येक नागरिक का सहयोग चाहिए। आपके सहयोग से हम प्रत्येक नागरिक को उचित अवसर प्रदान कर सकते हैं और हम अपने देश का सहयोग कर सकते हैं ताकि वह पूरी क्षमता से काम करे और भावी पीढ़ियों को अक्षुण्ण देश मिले।

(लेखक भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय में सचिव हैं।)

मन बनाओ, शौचालय बनाओ - ग्रामीण गुजरात का नया मंत्र

—डॉ. जयंती एस. रवि

गुजरात के तीन चौथाई से अधिक जिलों के 70 प्रतिशत लोगों के पास अब शौचालय की सुविधा मौजूद है। 4810 ग्राम पंचायतें और 6180 गांव स्वयं को ओ.डी.एफ. प्रमाणित कर चुके हैं और लगभग 1974 ग्राम पंचायतें भी जिलों द्वारा ओ.डी.एफ. प्रमाणित की जा चुकी हैं। गुजरात में 2017 के आरंभ तक ओडीएफ का दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेद्र मोदी जी ने देश को वर्ष 2019 तक खुले में शौच से मुक्त कराने के लक्ष्य के साथ वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ किया था। इस मिशन ने भारत के प्रत्येक नागरिक का ही नहीं, बल्कि समूचे विश्व का ध्यान आकृष्ट किया। खुले में शौच करने वाले दुनिया के 60 प्रतिशत व्यक्ति भारत में होने के नाते स्वच्छ भारत केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संक्षेप में कहा जाए तो जब देश की 50 प्रतिशत आबादी खुले में शौच कर रही हो, ऐसे में स्वच्छ भारत महज एक अन्य योजना भर नहीं हो सकती, अपितु उसे सफल होने के लिए व्यापक सामाजिक लामबंदी के साथ एक विशाल आंदोलन का रूप लेना होगा। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि 60 प्रतिशत से ज्यादा ग्रामीण आबादी खुले में शौच करती है ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन को दो उपमिशनों—ग्रामीण भारत के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और शहरी भारत के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) में विभाजित किया गया।

स्वच्छ भारत मिशन को राज्यों से चौंका देने वाला सहयोग मिला। विकास में सहयोग देने वाले भागीदारों से व्यापक समर्थन मिला, गैर-सरकारी एजेंसियों एवं समूहों से योगदान मिला और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह रही कि जनता ने तहेदिल से इसका स्वागत करते हुए इसे स्वीकार किया। शुरुआती अड़चनों के बाद, अब यह सिद्ध स्वीकृत हो चुका है कि स्वच्छ भारत मिशन एवं सभी स्तरों पर लोगों को साथ जोड़ते हुए जन-आंदोलन का रूप ले चुका है।

देश के संघीय ढांचे को परिभाषित करने और सशक्त बनाने के संदर्भ में भी स्वच्छ भारत

मिशन एक अनूठा अभियान है। एस.बी.एम. केन्द्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया एक विशाल देशव्यापी कार्यक्रम है, जिसका सभी राज्यों की सरकारों ने यथोचित स्वागत और समर्थन किया है। इसने राष्ट्रीय-स्तर पर राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण भी तैयार किया है, जिससे उनके बीच बौद्धिकता को महत्व देने की संस्कृति उत्पन्न हुई है। जहां एक ओर कुछ राज्य पहले ही ज़मीनी-स्तर पर शानदार नतीजे प्रदर्शित कर चुके हैं वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में जिलों को खुले में शौच से मुक्त (ओ.डी.एफ.) बनाने की कगार पर हैं। स्वच्छ भारत मिशन के प्रारंभ होने से ही गुजरात राज्य स्वयं को खुले में शौच से मुक्त राज्य बनाने पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करते हुए इस दिशा में कार्य कर रहा है।



गुजरात राज्य 2019 की समय-सीमा से पहले ही अपने 33 जिलों के लिए ओ.डी.एफ. का दर्जा प्राप्त करने के लक्ष्य की दिशा में तीव्र गति से कार्य कर रहा है, जोकि आंकड़ों द्वारा जाहिर हो रहा है। वित्तवर्ष 2014-15 में ग्रामीण गुजरात में कवरेज मात्र 59.7 प्रतिशत था, जो अब 20 प्रतिशत से ज्यादा बढ़कर 80 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। गुजरात के तीन चौथाई से अधिक जिलों के 70 प्रतिशत लोगों के पास अब शौचालय की सुविधा मौजूद है। 4810 ग्राम पंचायतें और 6180 गांव स्वयं को ओ.डी.एफ. प्रमाणित कर चुके हैं और लगभग 1974 ग्राम पंचायतें भी जिलों द्वारा ओ.डी.एफ. प्रमाणित की जा चुकी हैं।

हालांकि एम.ओ.डी.डब्ल्यू.एस. द्वारा स्वीकृत दृष्टि वक्तव्य (विज़न स्टेटमेंट) केवल आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि समाज और जनता के लिए ज्यादा गुणात्मक परिणाम प्राप्त करने की ओर प्रवृत्त हैं। विज़न स्टेटमेंट – “गुजरात की जनता की स्वच्छ और स्वस्थ प्रगति, समृद्धि और उसके खुशहाल जीवन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू, औद्योगिक, कृषि संबंधी ठोस और द्रव्य अपशिष्ट पदार्थों का सुरक्षित तरीके से निपटान सहित निरंतर खुले में शौच से मुक्त वातावरण तैयार करना है।” इसमें स्पष्ट रूप से की निरंतरता, ‘स्वस्थ और स्वच्छ प्रगति’, ‘समृद्धि’ और ‘खुशहाल जीवन’ पर जोर दिया गया है। ठोस आंकड़ों के विपरीत ये सभी लचीले लक्ष्य हैं, जो मिशन के ज्यादा मानवीय दृष्टिकोण को इंगित करते हैं, जो अंततः ग्रामीण आबादी के जीवन का उत्थान करेंगे।

गुजरात टीम का मानना है कि गुणात्मक उपलब्धियां मात्रात्मक उपलब्धियों की तरह ही महत्वपूर्ण हैं। जब तक हम सतत प्रयासों के माध्यम से लोगों के जीवन को सार्थक रूप से प्रभावित नहीं करेंगे और उन्हें स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में सहायता नहीं करेंगे, तब तक यह विज़न पूर्ण नहीं हो सकता। ओ.डी.एफ. गुजरात में अनिवार्य तौर पर सतत, प्रगतिशील और समुदाय के स्वामित्व जैसे प्रमुख शब्द शामिल हैं।

टीम ने बड़ी संख्या में सरकारी एजेंसियों और विभागों, विकास में सहयोग देने वाले भागीदारों (डी.एस.पी.), गैर-सरकारी संगठनों, समुदाय आधारित निकायों और नागरिकों को साथ जोड़ने के विशाल कार्य का बीड़ा उठाया है, जो इसे मात्र सरकारी योजना नहीं, बल्कि सही मायनों में जन-आंदोलन बनाता है। शुरुआत में एकीकरण की चुनौतियां थी लेकिन साधारण से चार सूत्री नियमों यथा –3सीटी– हितधारकों के बीच सहयोग एवं समुदाय के साथ संबंध– सरल लेकिन प्रभावी सूचना एवं प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित निगरानी को अपनाने से पूरे तंत्र ने बहुत समुचित और सफल ढंग से कार्य किया जिसका प्रत्येक भाग विशिष्ट और सुपरिभाषित कार्य के प्रति समर्पित था। इस

प्रभावी तालमेल का नतीजा ज़मीनी-स्तर पर गुणात्मक बदलाव और साथ ही साथ अब तक हासिल की गई मात्रात्मक उपलब्धियों में परिलक्षित हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में शामिल प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित प्रकार से स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जा सकता है:

- लोगों को खुले में शौच करने से रोकने के लिए उन्हें वास्तविक बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- स्वस्थ, स्वच्छ आचरण के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और निर्मित शौचालयों का उनके स्वामियों द्वारा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक व्यवहार में बदलाव लाना।

टीम ने 2017 के आरंभ तक राज्यव्यापी स्तर पर ओ.डी.एफ. का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई नवाचारों की संकल्पना और कार्यान्वयन किया है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:—

‘गांधीगिरी’ और निगरानी समिति— गांधीगिरी एक ऐसी पद्धति है, जिसमें स्वयंसेवी हाथ जोड़कर लोगों से खुले में शौच नहीं करने और स्वच्छ एवं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की विनती करते हैं। खुले में शौच करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति संवेदना का भाव सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहता है। लोगों से उनके मल को मिट्टी से ढकने को कहा जाता है, ताकि फीकल-ओरल चेन में अवरोध तैयार किया जा सके। इससे बीमारियों को दूर रखने में मदद मिलती है। यहां तक कि स्वयंसेवी उन व्यक्तियों के साथ खुले में शौच वाले स्थानों पर भी जाते हैं और मल को स्वयं जाकर मिट्टी से ढकते हैं।

यह एक ऐसी विचारशील पद्धति है जो न सिर्फ लोगों को खुले में शौच करने के दुष्प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाती है, बल्कि खुले में शौच करने वालों को इस बात के लिए भी प्रेरित करती है कि जब तक घर में शौचालय का निर्माण नहीं हो जाता, तब तक वे मल त्याग करने के पश्चात उसे मिट्टी से ढकते रहें। मानसिकता में बदलाव लाने वाले साधन के रूप में ‘गांधीगिरी’ का उपयोग खुले में शौच करने वाले लोगों में प्रभावी रूप से अपराधबोध का भाव जगाने में किया जाता है। साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि यह कार्य बहुत सम्मान और संवेदना के साथ किया जाए। यह गतिविधि तड़के करीब साढ़े चार बजे शुरू होती है जब ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग शौच के लिए घरों से निकलते हैं और सुबह आठ बजे तक जारी रहती है।

निगरानी समिति खुले में शौच करने वाले लोगों पर नजर रखती है और उन्हें ऐसा न करने के लिए समझाती है। निगरानी समिति में उसी गांव के ही लोग होते हैं इसीलिए वे उन लोगों पर दबाव बनाते हैं, जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं।

स्वच्छता शिल्पी- यह एक नवीन अवधारणा है, जो ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन करने और साथ ही साथ गांव में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत बड़े पैमाने पर चलाए जा रहे शौचालय निर्माण के अभियान के लिए समर्थन जुटाने जैसे दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करती है। स्वयंसेवायता समूहों (सखी मंडल आदि) की सदस्य महिलाओं को स्वच्छता शिल्पी के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जो उन्हें गांवों में शौचालयों के निर्माण में योग्य बनाता है। मिसाल के तौर पर, जामनगर तालुका की लीलाबेन वासोया स्वच्छता शिल्पी हैं और उनकी बहुत मांग है। लीलाबेन ने तीन सौ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण किया है। जामनगर की नैनाबेन रणप्रिया को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया है; वह दो सौ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण कर चुकी हैं। इन महिलाओं को आर.एस.ई.टी.आई. की ओर से दस मॉड्यूल वाले पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। इन मॉड्यूल्स में-सामाजिक व्यवहार में परिवर्तन संबंधी संचार (एस.बी.सी.सी.), निर्माण एवं निर्माण पश्चात जैसे क्षेत्र शामिल हैं। मार्च 2016, से गुजरात के समस्त 33 जिलों में अब तक लगभग 13,000 स्वच्छता शिल्पियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

स्वच्छता सेनानी- एनएसएस स्वयंसेवी जिला अथवा ग्राम-स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (जी) में सक्रिय रूप से शामिल है। एनएसएस स्वयंसेवी इस मिशन के प्रारंभ होने के समय से ही व्यापक आधार पर इसमें योगदान देते आए हैं। एनएसएस स्वयंसेवी गांवों में एसबीसीसी/आईपीसी गतिविधियों में व्यापक योगदान देते हैं। सामान्य तौर पर समन्वयन और प्रबंधन के लिए दो जिला समन्वयक होते हैं। गांवों का चयन आवश्यकता और संसाधन की उपलब्धता के आधार पर किया जाता है और यह संबंधित गांव में स्वच्छता के व्यवहार और ओडीएफ संस्कृति के इर्द-गिर्द दिन भर चलने वाला एक गहन संचार अभियान होता है।

एनएसएस स्वयंसेवी ओडीएफ प्रमाणन संबंधी कार्य में भी योगदान दे सकते हैं, जिनके तहत घरों में शौचालय के निर्माण और संबंधित परिवार के सभी सदस्यों द्वारा उसका उपयोग किए जाने के बारे में सत्यापन करने में इन स्वयंसेवियों का मार्गदर्शन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।

नेताओं के माध्यम से समुदायों को संगठित करना- इस मिशन को सही मायनों में जन-आंदोलन बनाने के लिए विभाग ने स्थानीय आबादी को प्रभावित और प्रेरित करने की योग्यता वाले सामुदायिक नेताओं और गुजरात को ओडीएफ बनाने के एकल लक्ष्य के प्रति निरंतर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ा है। परिवर्तन के दूतों के रूप में कार्य करने वाले ऐसे प्रेरणादायी अनुकरणीय व्यक्तियों को साथ जोड़ा गया है, जो प्रसिद्ध होने के नाते इस आंदोलन को लोकप्रिय बनाएंगे और बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच बनाने में सहायता करेंगे। ये सामुदायिक नेता समाज के लगभग हर तबके जैसे खेल, धर्म, आध्यात्मिकता, कला और लोकनृत्य, संगीत आदि से संबद्ध हैं।

नीतिगत हस्तक्षेप- हार्ड रॉक (सॉफ्ट रॉक-हार्ड सॉयल) जैसी कुछ चुनौतियों का मसला गुजरात के कुछ जिलों में रहा है, जो न सिर्फ निर्माण की लागत बढ़ाती हैं, बल्कि उनके लिए बेहतर कुशलकर्मियों की भी आवश्यकता होती है। दूसरी ओर, शौचालय निर्माण आदि के संदर्भ में एसबीएम (जी) द्वारा कुछ अन्य योजनाओं से प्राप्त की जा सकने वाली सहायता के बारे में



भी कुछ चिंताएं थीं। इन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटाया गया और जल्द ही स्थिति में बदलाव आया। जितनी गति से नीतिगत हस्तक्षेप किए जा रहे हैं, वे इस बात का संकेत हैं कि राज्य सरकार इस मिशन को लेकर कितनी गंभीर है तथा शीर्ष प्राधिकरणों की प्रतिबद्धता में कितनी ईमानदारी है।

गुजरात सीएटीएस- यह सम्पूर्ण स्वच्छता के प्रति समुदाय के दृष्टिकोण (सीएटीएस) संबंधी कार्यपद्धति है, जो लक्षित लोगों में जागरूकता फैलाने और उन्हें शौचालयों का निर्माण और उपयोग करने के लिए प्रभावित करती है। यह खुले में शौच के दुष्प्रभावों के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने का महत्वपूर्ण साधन रही है और इसने समय के साथ कई गांवों को ओडीएफ घोषित होने में सहायता की है। गांवों में विविध गुजरात सीएटीएस प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं, जो बदले में सामाजिक व्यवहार में बदलाव संबंधी संचार और अंतरवैयक्तिक संवाद (एसबीसीसी एवं आईपीसी) के लिए गांव में सीएटीएस कार्यपद्धति लागू कर रहे हैं।

हितधारकों के लिए व्यापक प्रशिक्षण- समस्त हितधारकों के साथ संवाद कायम करने और प्रशिक्षण प्रदान करने का महत्व, विशेषकर जन आंदोलन में अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं हो सकता। कार्यान्वयन की गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए कर्मियों को प्रशिक्षण देना स्थायी तौर पर आवश्यक है। इन प्रशिक्षणों के अंतर्गत जिला संसाधन टीम, जिला और प्रखंड के अभियंताओं एसबीसीसी इन्वेंट्री बिल्डिंग आदि को सभाओं के माध्यम से शामिल किया जाता है। विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक लगभग 35,000 मानव दिनों का प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है।

वीएलसी तैनात करना- प्रशिक्षण में परिमाण और गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए वर्चुअल लर्निंग सेंटर्स (वीएलसी) के माध्यम से गहन प्रशिक्षणों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे विभिन्न मॉड्यूल्स में प्रशिक्षित लोगों की संख्या के संदर्भ में परिणाम प्राप्त करने में सहायता मिली है। इससे न सिर्फ प्रशिक्षण की प्रति व्यक्ति लागत में कमी आई है, बल्कि बहुत कम अवधि में प्रवर्धित कौशल प्रशिक्षण प्राप्त हो सका है। एक नया वीएलसी स्टूडियो सीआरडी, गांधीनगर में बनाया जा रहा है, जो परिणाम का विस्तार करेगा और कार्यान्वयन में लगने वाले समय में कटौती करेगा।

विकास में सहयोग देने वाले भागीदारों (डी.एस.पी.) के साथ सहकार्यता- विभाग विकास में सहयोग देने वाले तीन प्रमुख भागीदारों (यूनीसेफ, टाटा ट्रस्ट्स और विश्व बैंक) के साथ काम कर रहा है, जो जमीनी-स्तर पर गतिविधियों का उत्तरदायित्व ले करके मिशन को समर्थन दे रहे हैं। बेहतर आयोजना, संसाधन

आवंटन और गुणात्मक कार्यान्वयन के लिए डीएसपी को कार्य करने के लिए उनकी उपस्थिति, एनजीओ नेटवर्क और वैयक्तिक क्षमताओं के आधार पर विशिष्ट जिले आवंटित किए गए हैं। इससे उन्हें स्थानीय-स्तर पर उद्देश्यों को पूरा करने के लिए साधनों के साथ विभिन्न नवीन कार्यपद्धतियां बनाने और लागू करने का अवसर मिला है।

हाल ही में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों के एक समूह के लगभग 6,000 स्वयंसेवियों ने 9,000 से ज्यादा शौचालयों का निर्माण करके स्पष्ट रूप से यह प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार एसबीएम(जी) प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी के साथ सही मायनों में एक जन-आंदोलन का रूप ले चुका है। लेकिन राज्य सरकार इसे और बड़ा आंदोलन बनाने तथा ओडीएफ गुजरात के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल अपने प्रयासों पर जोर देने के लिए प्रतिबद्ध है। विभाग इस महीने से एक प्रबल सामाजिक अभियान 'लोक स्वच्छता जुम्बिश पखवाड़ा' का आयोजन कर रहा है, जिसमें इस आन्दोलन के संबंध में विभागवार एकीकृत अभियान राज्य भर में सामुदायिक नेताओं की प्रबल गतिविधियां, नागरिकों का वैयक्तिक तौर पर व्यापक योगदान और एक गहन एसबीसीसी / आईपीसी अभ्यास शामिल होगा।

इस कार्यक्रम में गुजरात सरकार के हरेक विभाग द्वारा समग्र रूप से प्रयास किए जाएंगे तथा इसके अंतर्गत खुले में शौच और ओडीएफ गुजरात की आवश्यकता के मामले पर अनेक सद्भावना दूतों के संबोधन सम्मिलित होंगे। 'सामूहिक खत्मुरत' इस मुहिम का विशेष अंग है, जहां गांवों में शौचालयों के निर्माण और जागरूकता लाने के प्रति एक या ज्यादा दिन सम्पूर्ण रूप से समर्पित किया जाएगा। इसके अंतर्गत किसी न किसी रूप में गांव के लगभग प्रत्येक व्यक्ति को शामिल किया जाएगा।

जहां एक ओर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश को वर्ष 2019 तक ओडीएफ का दर्जा दिलाने की समय-सीमा निर्धारित की है, वहीं गुजरात ने, राज्य को ओडीएफ का दर्जा दिलाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए 2017 के आरंभ तक की समय-सीमा तय की है। इस लक्ष्य को हासिल करने के प्रति राज्य की जबर्दस्त प्रतिबद्धता और पिछले 24 महीनों में उसकी आयोजना, सहयोग और कार्यान्वयन तथा इस मुहिम के प्रति लोगों द्वारा व्यक्त किए गए भारी समर्थन को देखते हुए ऐसा लगता है कि 2017 के आरंभ तक गुजरात को ओडीएफ का दर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य निश्चित रूप से प्राप्त किया जा सकता है; और 'टीम गुजरात' इस लक्ष्य को हर हाल में हासिल करके ही दम लेगी!

(लेखिका गुजरात सरकार के ग्रामीण विकास विभाग में प्रधान सचिव व कमिश्नर हैं।)

स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाना- जशपुर की शैली

—डॉ. प्रियंका शुक्ला

जशपुर में एक तरह की क्रांति हो रही है। जिले में क्रमिक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन से जुड़ी ऐसी कहानियों की भरमार है। ये ऐसे परिवर्तन की कहानियां हैं, जिन्हें केवल निष्कर्ष की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि परिवर्तन को आवश्यक और सराहनीय बनाने वाली परिवर्तित मानसिकता के रूप में महसूस किया जा रहा है। यह एक ऐसा निष्कर्ष है, जो किसी भय या जबरदस्ती का परिणाम नहीं है, बल्कि परिवर्तन का अंग बनने की अदम्य इच्छा का परिणाम है।

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की कक्षा-7 की छात्रा शालिमा निशाद ने 30 अप्रैल, 2016 (जिस दिन उसका स्कूल गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हो रहा था) को, उसके जिले में स्कूलों में पढ़ने वाली अपनी 69,663 सहेलियों की ही तरह अपने माता-पिता से एक भावुक 'अपील' की। वह सिर्फ इतना ही चाहती थी कि स्कूल के दोबारा खुलने से पहले उसके परिवार के लिए शौचालय बनवा दिया जाए। वह अपनी बात मनवाने और उस पर अडिग रहने के मामले में इसी तरह की मांग करने वाली अपनी सहेलियों से आगे थी, इसीलिए अपने 'दाड' को मई के पहले ही सप्ताह में उसके लिए शौचालय बनवाने के लिए विवश कर दिया। आखिरकार शालिमा जिले के समस्त "स्वच्छता बालवीरों" में से सबसे बेहतरीन बनना चाहती थी। स्वच्छता बालवीर एक ऐसा सम्मान है, जिसे पाने की कोशिश बड़े-बड़े शहरों में रहने वाली उसकी उम्र की ज्यादातर लड़कियां शायद ही करें।

कंकुरी नगर पंचायत, जशपुर में प्राथमिक विद्यालय की एक शिक्षिका सुश्री उर्सला टोप्पो की निरंतर प्रेरणा से 20 परिवारों ने शौचालयों का निर्माण कराया। इसी तरह, जिले में एक कॉलेज सोशल ग्रुप 'युवा' के अध्यक्ष रोहित लाकड़ा ने अपने ग्रुप के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अगस्त के प्रारंभ में एक अभियान शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने स्वच्छता के उद्देश्य से स्थानीय ढाबों और छोटे होटलों के मालिकों से मुलाकात कर शौचालय बनवाने को कहा।

जशपुर जिले में जब गीढ़ा गांव की महिलाओं ने इस हरितालिका तीज के अवसर पर अपने पति की दीर्घायु की कामना के साथ-साथ "स्वच्छता उपवास" भी रखा, तो यह जाहिर हो

गया कि बदलाव उच्च-स्तर से निचले-स्तर तक नहीं जा रहा, बल्कि वह निचले स्तर पर ही उत्पन्न हो रहा है। महिलाओं ने उपवास रखा, "ताकि अपने जिले को खुले में शौच से मुक्त घोषित कराने (ओडीएफ) की उनकी प्रार्थना जल्द से जल्द सुनी जा सके।"

जाहिर है कि जशपुर जिला छत्तीसगढ़ के पूर्वोत्तर हिस्से में राज्य की राजधानी से लगभग 500 किलोमीटर दूर स्थित है। यह एक ऐसा जिला है, जिसकी 67 प्रतिशत आबादी का जनजातीय समुदाय (पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसी पीवीटीजी सहित) से संबद्ध है और इसका 51.7 प्रतिशत इलाका वनक्षेत्र है। यह जिला बेहद मनोहर और प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न तथा सीधे-सादे मूल निवासियों से समृद्ध है, जिनकी मोहक मुस्कान और अपनापन पल भर में आपका दिल जीत लेगा।

पूरे देश की तरह जशपुर में भी 2014-15 में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ था। 31 मार्च, 2016 तक इसकी कुल 427 ग्राम पंचायतों और 766 गांवों में से 21 ग्राम पंचायतें और 43 गांव



ओडीएफ घोषित किए जा चुके थे। हालांकि स्वच्छ भारत संबंधी कार्यकलापों को गति प्रदान करने और जिले में लाए गए परिवर्तनों की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए जशपुर जिला प्रशासन ने अप्रैल, 2016 में इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा जनता पर केंद्रित बनाने की पहल की। स्वच्छता के परिदृश्य में दीर्घकालिक परिवर्तन लाने के लिए “समाज की अगुवाई में पूर्ण स्वच्छता के प्रति व्यवहार संबंधी परिवर्तन”— ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। मात्र शौचालयों का निर्माण करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण स्थानीय लोगों की सक्रिय भागीदारी है।

सरकार की पहल से जन-आंदोलन तक

अप्रैल से अब तक कई संवादात्मक सत्र आयोजित किए गए। केवल निचले स्तर के कर्मियों को ही नहीं, बल्कि— 397 पंचायत सचिवों, 201 पटवारियों, 2946 आंगनवाड़ी कर्मियों, 406 एएनएम, 3573 मितानिनों आदि को जनता को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। जिले के समस्त 6915 जनप्रतिनिधियों के साथ कार्यशालाओं का भी आयोजन किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनमें से प्रत्येक स्वच्छता की जरूरत और महत्व समझता है। 214 नोडल अधिकारियों (स्वयं जिले के प्रशासनिक तंत्र द्वारा तैनात) में से प्रत्येक को दो-दो ग्राम पंचायतों को इस विषय के प्रति संवेदनशील बनाने और प्रेरित करने का दायित्व सौंपा गया। दरअसल, पूरे जिला प्रशासन के द्वारा, प्रत्येक जनसभा में, सर्वप्रथम और मुख्य रूप से स्वच्छता के बारे में व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में चर्चा के साथ की जाती है।

समुदाय के स्वाभाविक मार्गदर्शक स्वच्छ भारत मिशन में महत्वपूर्ण प्रेरक

समुदाय के विविध स्वाभाविक नेताओं की कम्युनिटी रिसोर्स पीपुल (सीआरपी) के रूप में पहचान, नियमित अंतराल पर समुदाय के नेतृत्व में पूर्ण स्वच्छता (सीएलटीएस) तकनीकों के बारे में उनकी क्षमता निर्माण, अनुभवों को साझा करने वाली जिला-स्तरीय कार्यशालाएं और समय-समय पर उनके लिए प्रेरक सत्रों का आयोजन जिले की प्रमुख रणनीति रही है।

बहुत से सीआरपी ऐसे हैं, जो समझदारी के साथ गांव विशेष के लिए प्रेरक तत्वों का पता लगाने में सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए, बासनतला गांव के स्वाभाविक नेता फौरन समझ गए कि खुले में शौच करते हुए से हाथियों के हमले हुए, जिनमें बहुत से स्थानीय लोगों की जान चली गई। उन्होंने इस बात का उपयोग प्रेरक तत्व की तरह किया और गांववालों को समझाया कि शौचालयों का निर्माण और उपयोग करने से इस प्रकार की मौतों में कमी लायी जा सकती है। गांववालों को इस तथ्य की गंभीरता

फौरन समझ में आ गई और उन्होंने शौचालय बनवाने शुरू कर दिए। ऐसे स्वाभाविक नेताओं का नियमित अभिनंदन करना अब इस मुहिम का अभिन्न अंग बन चुका है, ताकि उनकी प्रेरणा और उत्साह को बरकरार रखा जा सके।

स्वच्छता बालवीर, चौवा टोलियां और “टीलू का टॉयलट”ः बच्चों के अंदाज से हालात में बदलाव लाना

जॉन एफ. केनेडी ने एक बार कहा था, “बच्चे दुनिया का सबसे बहुमूल्य संसाधन और भविष्य की बेहतरीन आशा हैं।” उनकी इस उक्ति पर को चरितार्थ करते हुए ‘स्कूल के नेतृत्व में पूर्ण स्वच्छता’ (एसएलटीएस) को जशपुर में संपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन का केंद्र बनाया गया। बच्चे न सिर्फ बातों को आसानी से समझते हैं, बल्कि वे उत्साहपूर्वक उनका प्रचार भी करते हैं। बच्चों को शौचालयों की आवश्यकता के बारे में शिक्षित करने के प्रति विशेष रूप से समर्पित कॉमिक बुकलेट्स स्कूलों में बंटवाने जैसे नवाचार किए गए। इन कॉमिक बुकलेट्स में “श से शौचालय” और “टीलू का टॉयलट” शामिल हैं। (“टीलू का टॉयलट” की सफलता से प्रेरित होकर नेल्लोर जिला प्रशासन ने इसका प्रकाशन तेलुगू में कराया)।

सफलता का एक अन्य प्रमुख बिंदु “चौवा टोलियो” (बच्चों का समूह जो रविवार को अपने गांव के घर-घर जाता है और गांव वालों को शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित करने के वास्ते स्थानीय बोली में गीत गाता है) का गठन रहा। अब तक जिले में 1758 चौवा टोलियां बनायी जा चुकी हैं। शौचालय बनाने में सफल रहे सभी बच्चों का अभिनंदन उन्हें “स्वच्छता बालवीर” (अब तक 142), विभिन्न स्कूलों में “स्वच्छता मंत्री” का पद प्रदान करके और आकर्षक शौचालय (शौचालय “स्वच्छता एक्सप्रेस” के रूप में बनवाए गए) बनवाकर किया गया, ताकि स्कूल जाने वाले बच्चों के मन में स्वच्छता की इच्छा जगाई जा सके। यह कदम बच्चों को इस मामले में सामाजिक परिवर्तन के सबसे प्रभावी अग्रदूत बनाना सुनिश्चित करने में सफल रहा। मासिक धर्म से संबंधित स्वच्छता के प्रबंध को इस अभियान के विशेष घटक के रूप में लिया गया है और जिले में “प्यारी बिटिया शिविर” लगाए जा रहे हैं। अब तक जिले में लगभग 5000 किशोरियों ने इस प्रकार के जागरूकता शिविरों में भाग लिया है। (एसएलटीएस नवाचारों के बारे में अतिरिक्त जानकारी बॉक्स में दी गई है)

स्वच्छता की भावना को स्थानीय त्योहारों में शामिल करते हुए मनाना

भारत जैसे देश में, जो अपने त्योहारों के लिए जाना जाता है, लोगों को स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रेरित करने हेतु ऐसे त्योहारों का उपयोग कारगर रहा और इस कदम ने स्वच्छ भारत

मिशन में नया उत्साह भर दिया। चाहे रक्षा बंधन से एक महीना पूर्व स्वच्छता बंधन दिवस मनाना हो, या स्वतंत्रता दिवस को “हम होंगे कामयाब-स्वच्छता से ही स्वतंत्रता” के रूप में मनाना हो या जन्माष्टमी को “स्वच्छता अष्टमी” के रूप में मनाना हो— इस अभियान को और ज्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए, जशपुर में पिछले पांच महीनों में लगभग हर एक त्यौहार को स्वच्छता से जोड़ा गया है।

नवाचार: सफलता की कुंजी

जशपुर में संगीत एक जीवन पद्धति है, ऐसे में इसे जनता की अगुवाई में चलने वाले अभियान का अंग बनना ही था। सामान्य कला जत्थों और ग्रामीण संगीत टोलियों के अलावा जशपुर ने अनोखा कदम उठाते हुए अपना स्वच्छता म्यूजिक बैंड बनाया। इस बैंड को “जशपुर झंकार” का नाम दिया गया है और यह अपने किस्म का अकेला बैंड है, क्योंकि इसके प्रमुख गायक-पंचायत सचिव-श्री संदीप शर्मा की तरह इसके ज्यादातर सदस्य निचले स्तर के सरकारी कार्यकर्ता हैं। इस बैंड की बंदोबस्त, जशपुर के पास छत्तीसगढ़ी में अपना स्वच्छता गान भी है, जो लोगों को बेहद प्रेरित करता है। राजमिस्त्रियों को प्रेरित करने के लिए राजमिस्त्री नम्बर-1 जैसी प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की गई हैं जो बहुत लोकप्रिय रही हैं।

लोगों को अभियान से व्यक्तिगत रूप से जोड़ने का प्रयास करना

लोगों को अभियान से व्यक्तिगत रूप से जोड़ने का प्रयास

करते हुए जिला कलेक्टर (डीसी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), जिला पंचायत ने इस बार रक्षाबंधन के अवसर पर जिले के भाइयों और बहनों को 11,500 पत्र दिखकर अनुरोध किया कि शौचालय बनवाना और उनका उपयोग करना ही वास्तव में बहनों की रक्षा के उस वादे को निभाना है, जो भाई हर साल राखी के अवसर पर अपनी बहनों से करते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गोमती साहू ने ओडीएफ घोषित की जा चुकी विभिन्न ग्राम पंचायतों के 5000 निवासियों को पत्र लिखे, ताकि शौचालयों के उपयोग की निरंतरता सुनिश्चित की जा सके। यहां तक कि चिकित्सक भी ऐसे मरीजों को शौचालय बनवाने और उनका उपयोग करने की हिदायत देते हैं, जिनके पास शौचालय नहीं हैं, या फिर वे उनका उपयोग नहीं करते।

अपनी स्थानीय संस्कृति और विभिन्न राज्यों के साथ सीमाएं साझा करने के कारण जशपुर में स्थानीय बोली हर 50 किलोमीटर के बाद बदल जाती है। ऐसे में अधिकांश लोगों को इस अभियान से जोड़ना सुनिश्चित करने और संदेश के प्रभावी संचार के लिए-स्वच्छता शपथ, गीत आदि सरगुजिया, छत्तीसगढ़ी, ओड़िया, कुड़ुख साथ ही साथ सादरी में तैयार किए गए हैं।

निष्कर्ष-जो स्वतः सिद्ध हैं

नियमित आईईसी नवाचार, स्वाभाविक नेताओं कि क्षमता निर्माण, बच्चों, युवाओं और महिला स्वयंसहायता समूहों के साथ प्रेरणादायी सत्र, ग्रामसभा, रात्रि चौपाल आदि के रूप में समुदाय के साथ निरंतर संवाद कायम रखना- ऐसा प्रतीत होता है कि

जशपुर में शिक्षकों के नेतृत्व में उठाए गए विशेष कदम

- जिले के सभी स्कूलों में “स्वच्छता कॉर्नर” स्थापित किए गए हैं। मनोरा के सभी 108 स्कूलों के शिक्षकों ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक नवाचार किया है और उन्होंने अपने स्कूल के छात्रों के लिए स्वयं स्वच्छता रैक (155 रुपये की लागत से) बनवाया है, ताकि साफ-सफाई से संबंधित हर एक वस्तु (कंघी, नेल कटर, साबुन आदि) को करीने से रखा जा सके।
- जशपुर में शिक्षाकर्मी संघों और किसान उत्पादक संगठनों के 6000 से ज्यादा सदस्यों द्वारा फ्रेंडशिप डे को “स्वच्छता से मित्रता” दिवस के रूप में मनाया गया। इन सदस्यों ने न सिर्फ विभिन्न गांवों में रैलियां निकाली, बल्कि जशपुर के लगभग 20,000 परिवारों से मुलाकात कर उन्हें फूल भेंट किए और उनसे शौचालय बनवाने और उनका उपयोग करने और इस प्रकार स्वच्छता से आजीवन मैत्री करने का अनुरोध किया। उनमें से 42 ने कुछ निराश्रित महिलाओं को राखी के उपहार के तौर पर शौचालय भेंट किए।
- विभिन्न स्कूलों की दीवारों पर लिखवाए गए स्वच्छता पहाड़े और स्वच्छता बालगीत (जिला प्रशासन और स्कूली शिक्षकों का नवाचार) स्कूली बच्चों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं।



“गांधी जी ने हमें आजादी दी थी। भारत मां को गुलामी की जंजीरों से मुक्त किया। भारत मां को गंदगी से मुक्त करना, क्या यह हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है। क्या हम 2019 में जब गांधी जी की 150 वीं जयंती मनाएं, तब महात्मा गांधी के चरणों में स्वच्छ-साफ हिंदुस्तान दे सकते हैं? जिस महापुरुष ने हमें आजादी दी, उस महापुरुष को हम दे सकते हैं या नहीं? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर लें कि मैं गंदगी नहीं करूंगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिन्दुस्तान को गंदा कर सकती है।”

अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित मेडिसन स्क्वाडर गार्डन (28.9.2014) में भारतीय समुदाय को सम्बोधित करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के भाषण का अंश।

इन सभी का जिले में स्वच्छता के परिदृश्य पर व्यापक प्रभाव पड़ा है:

- न सिर्फ महज चार महीनों में 15 अगस्त, 2016 तक ओडीएफ ग्राम पंचायतों और गांवों की संख्या क्रमशः 71 और 145 हो गई है बल्कि दुलदुला को जिले का प्रथम ओडीएफ ब्लॉक भी घोषित किया गया है, जबकि एक अन्य ब्लॉक कंसाबेल भी लगभग उसी स्थिति तक पहुंच चुका है। पूरा जिला अब 31 मार्च 2017 तक जशपुर को ओडीएफ बनाने का वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- जन प्रतिनिधि, सामुदायिक नेता, महिला स्वयंसहायता समूह, शिक्षक, किसान, दिव्यांग, बच्चे, युवा, मीडिया- और नेता समाज के समस्त वर्गों से उभरकर सामने आए हैं।
- बहुत से स्वयंसहायता समूहों ने दुलदुला ब्लॉक में उजियारा टोली और पथलगांव में पीली पल्टन जैसे अपने प्रयास किए हैं ताकि न सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों को शौचालय बनवाने और उनका उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके, बल्कि निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए बने हुए शौचालयों के उपयोग के बारे में प्रभावी सामुदायिक चौकसी बरती जा सके।
- जिले के 600 से ज्यादा 'भाइयों' ने जिले में 18 जुलाई से 18 अगस्त 2016 तक आयोजित किए गए स्वच्छता बंधन अभियान के अंतर्गत अपनी सगी/मुंहबोली बहनों को उपहारस्वरूप शौचालय प्रदान किए हैं। दरअसल इस अभियान से प्रेरित होकर बहुत से जन प्रतिनिधियों ने भी अनेक लोगों को उपहारस्वरूप शौचालय प्रदान किए।
- जिले के घासी समुदाय जैसे कुछ समुदायों ने (जशपुर में 20,000 सदस्य) स्वेच्छा से स्वच्छता का संदेश प्रसारित किया।
- “स्वच्छता श्रमदान” जशपुर में संस्कृति बन चुका है। जिले

के सभी विधायकों, बहुत से शिक्षकों, किसानों, गैर-सरकारी संगठनों आदि ने विभिन्न गांवों में शौचालयों के निर्माण में श्रमदान किया।

उपरोक्त वर्णित परिणाम इस तथ्य का प्रमाण हैं कि प्रशासन द्वारा उठाए गए समस्त कदमों का मूलभूत उद्देश्य “स्वच्छ जशपुर: सबके द्वारा और सबके लिए” – जिले में कुछ हद तक पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस जिले की बहुत-सी बेहतरीन पद्धतियों ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ के कई जिलों, बल्कि देश के अन्य राज्यों के जिलों को भी प्रेरित किया है।

जैसाकि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कहा है, –“वन मनोहर, स्याह और घने हैं, लेकिन मुझे वादा निभाना होगा और सोने से पहले मीलों दूर जाना होगा” –जशपुर के स्वच्छता संबंधी परिदृश्य के संदर्भ में भी-तथापि लोगों की मानसिकता में आ रहे बदलाव के निष्कर्ष स्पष्ट और प्रशंसनीय हैं। इसके बावजूद कुछ चुनौतियों से निपटना अभी बाकी है। इन चुनौतियों में दुर्गम पर्वतीय इलाका होने के कारण-निर्माण सामग्री की दुलाई में कठिनाई, पीवीटीजी को स्वच्छता के महत्व से अवगत कराना और शौचालयों के उपयोग की निरंतरता सुनिश्चित करने में कठिनाई जैसी कुछ चुनौतियां शामिल हैं। लेकिन किसी भी प्रतिबद्ध व्यक्ति के लिए ऐसी कोई चुनौती बड़ी नहीं, जिससे निपटा न सके बशर्ते कि उसमें ऐसा कर दिखाने की इच्छा हो। इसलिए पूरा जशपुर चाहे वह जशपुर प्रशासन हो, या जन प्रतिनिधि हों, स्वाभाविक नेता हों या स्वयं समुदाय हो-मार्च 2017 तक जिले को ओडीएफ बनाने की राह हर रुकावट को साहस, उत्साह और समर्पण के साथ दूर करने के लिए संकल्पबद्ध है। श्री हरिवंश राय बच्चन ने सच ही कहा है :

“लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती”

(लेखिका छत्तीसगढ़ के जशपुर में जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट हैं।)

मंडी के महिला मंडल जिले को बना रहे हैं ओडीएफ प्लस

—संदीप कदम

सितंबर, 2015 में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किया जा चुका हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला अब ओडीएफ प्लस बनने की दिशा में बढ़ रहा है; जिसका अर्थ है ठोस तथा तरल कचरे का प्रभावी प्रबंधन तथा शून्य कचरे के सिद्धांतों को अपनाना, जिसमें कचरा कम किया जाता है और पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) और खाद बनाने (कॉम्पोस्टिंग) की सुविधा बढ़ाई जाती है। इस काम में जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर महिलामंडलों और स्वयंसहायता समूहों की सहायता ले रहा है।

लगभग 50,000 से 60,000 महिलाओं के करीब 4,490 समूह मंडी विकास अभियान नाम के इस अभियान से जुड़े हैं। इसका जोर स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ और आपदा प्रबंधन पर रहेगा क्योंकि जिले में बाढ़, भूस्खलन, भारी बर्फबारी और सड़क दुर्घटनाएं अधिक होती हैं। गतिविधियों पर आधारित मॉडल भाषणों से आगे जाकर यह चिह्नित करता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है।

मूलभूत विचार यह है कि हफ्ते में दो घंटे स्वच्छता की गतिविधियों के लिए समर्पित किए जाएं। अभियान के अनुसार सभी महिला मंडलों को हर हफ्ते स्वच्छता से जुड़ी कोई एक गतिविधि हाथ में लेनी होगी। गतिविधियों में सार्वजनिक स्थानों जैसे सड़कों, स्कूलों और आंगनवाड़ियों में शौचालयों, पानी के टैंकों तथा पारंपरिक जलनिकायों, नालियों, की सफाई करना तथा तरल कचरे के निपटारे के लिए गड्ढे, कचरे के गड्ढे, वर्मी-कॉम्पोस्ट पिट आदि बनाना शामिल है। महिलाएं अब ये काम नियमित रूप से करती हैं, जिससे संकेत मिलता है कि जिला किस तरह केवल शौचालय बनाने से आगे बढ़कर स्वच्छता का ध्यान रखने तक पहुंच चुका है।

मंडी ने “स्वच्छ ग्राम” का सिद्धांत भी गढ़ा है। स्वच्छ ग्राम कहलाने के लिए ग्राम पंचायत को आठ स्पष्ट रूप से निर्धारित मानकों पर खरा उतरना पड़ता है। इनमें कचरे को अलग-अलग करना, प्राकृतिक रूप से समाप्त हो जाने वाले कूड़े का निपटारा, प्राकृतिक रूप से खत्म नहीं होने वाले कचरे को कबाड़ियों की मदद से समाप्त करना, लोगों को कारों में कूड़ेदान रखने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी शौचालयों को स्वच्छ रखना आदि शामिल हैं।

हाल ही में खददर पंचायत को “स्वच्छ” ग्राम घोषित किया गया क्योंकि उसने सभी अर्हताएं पूरी कर ली थीं। सराहना के रूप में विकास कोषों से 5 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि ग्राम पंचायत को प्रदान की गई ताकि अन्य पंचायतें भी ऐसा ही करने के लिए प्रेरित हो सकें। खास बात है कि मंडी विकास अभियान शुरू होने के बाद से सफाई की लगभग दो लाख गतिविधियां की गई हैं और 30,000 सोखने वाले गड्ढे तथा 15,000 कचरे के गड्ढे बनाए गए हैं। इन सब गतिविधियों के लिए जिले ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया है। स्वेच्छा से कार्य करने का यह अनूठा





उदाहरण था क्योंकि लोगों ने गड्ढे खोदने और जरूरत पड़ने पर पत्थर ढोने में बड़ी मेहनत की। खास बात थी कि उनमें से कई ने अपने काम का रंगरोगन भी किया और सजावट भी की, जिससे लोगों को बहुत प्रेरणा मिली। हमारी सभी पहलों का उद्देश्य सड़कों और स्कूलों को मुफ्त में साफ करना नहीं था; इनका उद्देश्य व्यवहार में बदलाव लाना था।

परिवारों से बातचीत करते हुए हमें पता चला कि न तो महिला-मंडलों से जुड़ी 50-60 हजार महिलाएं और न ही उनके परिवार अब गंदगी फैलाते हैं। उन्हें पता था कि अगर वे कचरा फैलाएंगे तो उनके ही परिवार के किसी सदस्य को उसे साफ करना पड़ेगा। इसीलिए कचरा फेंकने से पहले वे दो या तीन बार सोचते थे और यही व्यवहार में वास्तविक बदलाव है, जो अभियान के लिए बड़ी उपलब्धि है। बहरहाल अभियान का असली परिणाम है सशक्तीकरण। अभियान ने महिलाओं को अपने घरों से बाहर एक-दूसरे से मिलने और बातचीत करने का मौका दिया है। शुरुआत में उन्हें अपने परिवारों तथा समाज के कड़े प्रतिरोध का

सामना करना पड़ा और कई प्रेरणास्पद कहानियां हैं, जो बताती हैं कि उन्होंने किस तरह प्रतिरोध से पार पाया। चूंकि हमारे समाज में सार्वजनिक स्थानों को साफ करना सम्मानजनक काम नहीं माना जाता, इसलिए महिलाओं को अक्सर व्यंग्य या जातीय टिप्पणियों का शिकार होना पड़ता था। इसके बावजूद महिलाएं डटी रहीं और अब वे साहसी बन चुकी हैं। हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री ने पांच स्वच्छता समर्थकों को सम्मानित भी किया।

इतना ही नहीं, कुछ स्थानों पर अभियानों ने सामाजिक कुरीतियों से लड़ने का काम भी किया है। बुंगरैल चौक पंचायत को ही लें, जहां महिलाओं ने मासिक धर्म के दौरान होने वाले अपने बहिष्कार के खिलाफ संघर्ष किया। उस समय उनसे अछूतों की तरह व्यवहार होता था और 3-4 दिन तक उन्हें गोशाला में रहना पड़ता था। महिलाओं ने दो टूक लहजे में कहा कि यह व्यक्तिगत स्वच्छता के खिलाफ है। एक अन्य मामले में स्वच्छता अभियान ने शराब की बुराई के खिलाफ युद्ध की शकल ले ली। सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हुए महिलाओं ने पाया कि कचरे में सबसे ज्यादा शराब की बोतलें ही होती हैं। यह देखकर महिलाओं ने सवामाहू ग्राम पंचायत में दारुबंदी अभियान शुरू कर दिया।

पूरे अभियान के दौरान नियमित रूप से जानकारी देने और सर्वश्रेष्ठ तौर-तरीकों के बारे में बताने के लिए सैकड़ों महिलाएं ज्ञान के नेटवर्क का हिस्सा बनीं। प्रशासन से संवाद करने के लिए उन्होंने सीखा कि मोबाइल फोन पर इंटरनेट और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे किया जाए। महिलाओं की भागीदारी की वजह से स्वच्छता सामाजिक आंदोलन बन चुकी है। महिलाओं के सशक्तीकरण का एक अन्य संकेत पंचायती राज संस्थाओं के हाल में हुए चुनावों में देखने को मिला, जहां 146 महिलाएं वार्ड पंच से लेकर जिला परिषद तक विभिन्न स्तरों तक चुनी गईं।

(लेखक हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में जिला कलेक्टर हैं।)



#ForeverAbove

PARAMOUNT

प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के क्षेत्र में एक जाना-माना नाम
अब ले रहा एक नई उड़ान

शीघ्र शुरु हो रहा



For IAS 2016-2017

सामान्य अध्ययन

प्रारम्भिक परीक्षा (Paper- I & II), मुख्य परीक्षा (Paper- I, II, III & IV) और निबंध विशेषताएँ-

- वर्तमान बदलते सिविल सेवा पैटर्न के अनुरूप सिविल सेवा अभ्यर्थियों के लिये प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम।
- प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के लिये मेंटर्स/ट्रेनर और उस क्षेत्र के अनुभवी-विशेषज्ञों द्वारा गहन शिक्षण प्रणाली पर आधारित कक्षा कार्यक्रम।
- **पैटर्न/शिक्षा पद्धति:** संकल्पनात्मक, तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक के साथ ही विशिष्ट शैक्षणिक सहायता शिक्षण सामग्री (Contents, वेब सपोर्ट, Handout)
- **दृष्टिकोण (Approach):** अंतरविषयक (Inter-disciplinary) एवं अंतराविषयक (Intra-disciplinary)
- **फोकस (Focus):** कौशल विकास, उत्तर लेखन, अभिव्यक्ति की प्रस्तुति, वाद-विवाद, साक्षात्कार (FIB - Facing the Interview Board)
- **स्कोर मोर (Score More):** स्पेशल क्लासरूम टेस्ट प्रोग्राम, बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ), लिखित परीक्षा, साप्ताहिक मिनी टेस्ट, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, मॉड्यूल आधारित टेस्ट, होम असाइन्मेंट (Home Assignment)
- **समसामयिकी कार्यक्रम:** विशेषज्ञों द्वारा समाचार पत्रों का विश्लेषण-भेगजीन/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (दैनिक, साप्ताहिक, मासिक)।
- **वैल्यू एडिशन टॉरक:** यह विशेषज्ञों द्वारा संचालित किया जाता है,

जिसके अन्तर्गत दृष्टिकोण, घटनाओं के विषय में पूर्वानुमान (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन)।

- **साप्ताहिक मोटिवेशनल क्लास (WMC)**-सफल सिविल अभ्यर्थियों, मनोचिकित्सिक, उच्च अधिकारी, खिलाड़ी, मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के द्वारा प्रदान करना।
- **निबंध की प्रधानता :** इसकी भूमिका हरेक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अन्तर्गत लेखन शैली, लेख की संरचना, लेख की विविधता, अभिव्यक्ति और क्रमबद्धता साथ-ही-साथ व्याकरण की उपयोगिता पर बल (साप्ताहिक प्रोग्राम एवं टेस्ट)।
- **टेस्ट सीरीज (प्रारम्भिक + मुख्य परीक्षा + वैकल्पिक विषय) :** इनकी संरचना हमारी संस्था के शोध विभाग एवं विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है, जो यूपीएससी के बदलते मानकों पर आधारित हैं एवं इसका अवलोकन/मूल्यांकन सूक्ष्म (Micro) एवं वृहत (Macro) स्तर पर किया जाता है। साथ ही हरेक दृष्टिकोण पर परिचर्चा की जाती है।
- **डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम (DLP) :** फाउंडेशन + प्रीलिम्स + टेस्ट सीरीज (Prelim+Mains)
- **24x7 हेल्पलाइन सेवा (HLS):** संस्था द्वारा अभ्यर्थियों की सेवा के लिये यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

संस्थान अपने सभी कार्यक्रमों को अपने नियत समय पर सम्पादित करने के लिये प्रतिबद्ध है।

Head Office: 872, Ground Floor (Near Batra Cinema), Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

FOR ENQUIRY CONTACT US: 7900000111, 7900000222, 7900000333

www.paramountcoaching.in enquiry@paramountcoaching.in

स्वच्छता पखवाड़ा : जन-जन तक पहुंचने का प्रयास

—अक्षय राउत

स्वच्छता पखवाड़ा सरकार के तमाम संगठनों को एकजुट रखता है और इस मिशन को पूरा करने की याद दिलाता है। साथ ही यह स्वच्छ भारत अभियान में व्यवस्थित रूप से योगदान करने का एक मंच भी प्रदान करता है। अब तक यह देश को साफ-सुथरा बनाने का एक कारगर प्रयास साबित हुआ है। लेकिन इसकी सफलता शासन-तंत्र के हर स्तर पर सभी लोगों के बढ़-चढ़कर इसमें भाग लेने पर निर्भर करेगी क्योंकि सरकार को स्वच्छता अभियान के लिए कमर कसे देखकर जनता को भी प्रेरणा मिलेगी।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों में स्वच्छता अभियान की गूँज सुनाई पड़ रही है। सभी ओर विशेष स्वच्छता गतिविधियों की हलचल है। वरिष्ठ अधिकारी सफाई कार्यों की स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। सभी मंत्रालयों और उनके कार्यालयों के लिए यह समय स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का है।

जैसाकि नाम से विदित होता है, स्वच्छता पखवाड़ा यानी 15 दिन तक चलने वाला सफाई अभियान। इसकी परिकल्पना स्वयं भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, ताकि स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) कार्यक्रम को पूरे साल गतिशील बनाए रखा जा सके। सफाई कार्यक्रम के प्रति सजगता पैदा करने के उद्देश्य से प्रत्येक मंत्रालय के लिए पखवाड़ा मनाने की तारीखें आवंटित की गई हैं। वास्तव में, स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का मकसद सरकारी क्षेत्र की ओर से एक मिसाल पेश करते हुए स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व करना है। यदि सरकार ने यह आह्वान किया है कि स्वच्छ भारत मिशन को जन-जन का आंदोलन बनाना है, तो इसकी शुरुआत घर से होनी चाहिए।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) संपूर्ण स्वच्छ भारत मिशन के लिए एक समन्वयक मंत्रालय है, जो स्वच्छता पखवाड़ा मनाने संबंधी कामकाज में तालमेल भी कायम कर रहा है। अप्रैल, 2016 में प्रारंभ करने के तुरंत बाद इस कार्यक्रम को जून, 2016 में नया रूप दिया गया था, ताकि इसके दायरे और पहुंच का विस्तार हो और यह कार्यालयों के परिसरों और सचिवालयी भवनों तक सीमित न रहे।

योगदान करते हुए, विभिन्न मंत्रालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवंटित पखवाड़ा अवधि के लिए एक कार्ययोजना तैयार करें और उसे एमडीडब्ल्यूएस – स्वच्छता समीक्षा के ऑनलाइन निगरानी पोर्टल पर अपलोड करें, जो प्रधानमंत्री के माई जीओवी डाट इन के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में वे देशभर में संचालित की गई गतिविधियों के चित्रों को अपलोड कर सकते हैं और

अपने कार्य के बारे में विभिन्न मीडिया मंचों के जरिए सूचना का संप्रेषण सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे कार्यान्वयन में जवाबदेही और गंभीरता लाने में मदद मिली है। मंत्रालयों और विभागों द्वारा मनाए जा रहे पखवाड़े के कार्य निष्पादन की सरकार में वरिष्ठतम अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं अभियान की निगरानी किए जाने से कार्यक्रम को अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है। श्री नरेन्द्र मोदी इस अभियान में मंत्रियों, संसद सदस्यों और सभी जनप्रतिनिधियों की अधिक ठोस भागीदारी पर बल देते रहे हैं।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मनाए जाने के लिए अलग-अलग पखवाड़ा-अवधियां आवंटित की गई हैं, जिसकी जानकारी विधिवत सूचना के जरिए भेजी गई है। इसमें आयोजित की जाने वाली गतिविधियों और प्रचारित किए जाने वाले विषयों के बारे में सुझाव भी दिए गए हैं। स्वच्छता पखवाड़ा कार्यक्रम सभी सरकारी मंत्रालयों को उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों को अभियान में शामिल करने में सफल रहा है। उदाहरण के लिए विश्व धरोहर दिवस को धरोहर स्थलों की सफाई के अवसर के रूप में देखा गया, वहीं अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर फैक्टरी परिसरों की सफाई और उनमें स्वच्छता सुविधाओं के निरीक्षण को लक्ष्य बनाया गया। इसी प्रकार यूथ-डे अथवा युवा दिवस के आसपास के पखवाड़े में नेहरू युवक केंद्रों, एनएसएस, एनसीसी और पर्यावरण क्लब स्वयंसेवकों से अपेक्षा की गई कि वे सड़कों और गलियों में सफाई अभियान चलाएं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन पर अधिक ध्यान दें। विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर होटलों, और खानपान स्थलों की स्वच्छता एवं सफाई के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। शिक्षक दिवस का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण, शिक्षक समुदाय को स्कूल एवं सामुदायिक स्वच्छता के मुद्दों का समाधान करने में शामिल करने पर बल देने के लिए किया गया। फ्रेंडशिप डे या मैत्री



दिवस के मौके पर सफाईकर्मियों को सम्मानित किया गया। इस तरह समूची अवधि में स्वच्छता कार्यक्रमों की एक शृंखला कायम करने के प्रयास किए गए। दिलचस्प बात यह रही कि पखवाड़ा कार्यक्रमों के दौरान व्यापक उपायों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिनके जरिए सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों ने जनता के साथ संवाद कायम किया, जो अन्यथा इतना स्वाभाविक नहीं हो सकता था।

कर्मचारियों को स्वच्छता में योगदान करने की शपथ दिलाना, कार्यालय परिसरों को स्वच्छ रखने में उनकी भागीदारी, कार्यशालाओं और सेमिनारों का आयोजन, सामुदायिक साफ-सफाई, आदि ऐसे उपाय थे, जिनका इस्तेमाल कारगर ढंग से किया गया। पखवाड़ों के दौरान आयोजित की गई गतिविधियों की सूची वास्तव में लंबी और विविध है, और इस अभियान के छठे महीने में प्रवेश करने के साथ ही इसमें नए आयाम जुड़ते जा रहे हैं। पखवाड़ा कैलेंडर प्रत्येक मंत्रालय के साथ एक संबंध कायम करता है और उसे लचीला दृष्टिकोण अपनाने की अनुमति देता है ताकि वे अपने अधिकार क्षेत्र और कार्यक्षेत्रों में स्वच्छता को प्रमुखता देने के नए-नए तरीके शामिल कर सकें। इस कार्यक्रम में शुरू से ही सभी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, सभी फील्ड कार्यालयों और मंत्रालय से सम्बद्ध परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

विभिन्न मंत्रालय और विभागों ने अपने सीएसआर (कोर्पोरेट सामाजिक दायित्व) अनुभागों को स्वच्छता कार्यक्रम में शामिल करना शुरू कर दिया है ताकि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत

कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम शामिल किए जा सकें, जैसे खुले में शौच जाने की आदत से मुक्त कराने के लिए गांव गोद लेना, या ठोस और तरल कचरा प्रबंधन सुविधाएं कायम करने में हाथ बंटाना। हवाई अड्डे और खनन कंपनियां अपने आसपास स्थित गांवों को अपनाने के लिए आगे आई हैं, ताकि उनमें स्वच्छता सुविधाएं कायम की जा सकें। पेट्रोलियम, खनन और कोयला मंत्रालयों से सम्बद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठान स्मारक स्थलों पर विशेष स्वच्छता कार्यक्रमों को प्रायोजित करने के लिए भी आगे आए हैं। ये उपाय पखवाड़ों के दौरान भले ही शुरू किए गए हों, परंतु इनके प्रभाव दूरगामी होंगे।

स्वच्छता के संदर्भ में मंत्रालयों ने अपने अंतर्गत आने वाले संगठनों की रैंकिंग निर्धारित करना शुरू कर दिया है। इससे संस्थानों, चाहे वे स्कूल हों, पर्यटक स्थल, स्मारक या हवाई अड्डे, उनके बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने 'उत्कृष्ट पखवाड़ा पुरस्कार' स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि पखवाड़े के दौरान मंत्रालयों और विभागों को साफ-सफाई के नए-नए उपाय अपनाने करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) ने अभियान के संचालन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते उस समय एक बड़ी मिसाल कायम की, जब स्वयं पखवाड़ा मनाने की उसकी बारी आई। अगस्त माह में मंत्रालय ने विशेष दोहरा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया, जिसका विषय था 'खुले में शौच जाने से मुक्ति'। इसकी शुरुआत पर्यावरण भवन के प्रत्येक तल की सफाई के साथ हुई, जिसमें 14 मंजिला भवन में स्थित करीब 30

मंत्रालयों और विभागों के कार्यालयों को शामिल किया गया। हाल ही में मंत्रालय ने अपने परिसर में एक ऐसा उपकरण भी संस्थापित किया है, जो कचरे को कम्पोस्ट में परिवर्तित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मशीन, जो वर्तमान में परीक्षण अवस्था में है, दो टन की अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे, आसपास के भवनों और कार्यालय परिसरों से निकलने वाले कचरे को भी उसमें डाला जा रहा है।

इसके अतिरिक्त महीने के शुरू में मंत्रालय ने स्वच्छता समाचार नाम के द्वि-मासिक न्यूजलेटर का प्रकाशन शुरू किया। मंत्रालय ने स्वच्छ भारत



मिशन से संबंधित मुद्दों के बारे में एक राष्ट्रीय मीडिया विचार गोष्ठी भी आयोजित की। इसके अलावा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के जरिए स्वच्छता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वरिष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने एसबीएम चैम्पियन प्रबंधकों को सम्मानित किया। मंत्रालय ने रियो ओलिम्पिक के चैम्पियनों और प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती अमिताभ बच्चन को भी स्वच्छ भारत मिशन के संदेशों को बढ़ावा देने में शामिल किया। स्वच्छ भारत जन आंदोलन के बारे में 'एन ओपन माइंड' नाम की एक लघु फिल्म सीरीज़ भी शुरू की गई, जिसका उद्देश्य ऐसे स्वच्छता चैम्पियनों को सम्मानित करना था, जो खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने और स्वच्छता पद्धतियां अपनाने के लिए समुदाय में व्यवहारगत बदलाव लाने के प्रयास कर रहे हैं।

स्वतंत्रता दिवस के आसपास मंत्रालय ने राज्यों और जिलों को एकजुट करते हुए रैलियों, दौड़ों और कैंडल मार्च जैसे कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए ओडीएफ चैम्पियनों, जनमत को प्रभावित करने वाले प्रतिनिधियों, युवाओं, महिलाओं और बच्चों को आमंत्रित किया। इन कार्यक्रमों के दौरान जिला और ब्लॉक-स्तर के स्थानीय स्वच्छता चैम्पियनों को सम्मानित भी किया गया।

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने जल संसाधन मंत्रालय, नदी विकास और गंगा जीर्णोद्धार मंत्रालय एवं युवा मामले विभाग, युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के साथ मिल कर 20 अगस्त, 2016 को इलाहाबाद में राष्ट्रीय ग्राम पंचायत सम्मेलन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सहयोग किया। सम्मेलन में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने हिस्सा लिया। सम्मेलन का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे पर स्थित 5 राज्यों और 52 जिलों में 1651 ग्राम प्रधानों की रैली आयोजित करना था, ताकि वे मिलकर काम करते हुए अपने-अपने गांवों को खुले में शौच जाने की कुप्रवृत्ति से मुक्ति दिला सकें, जो स्वच्छ भारत मिशन "नमामि गंगे" कार्यक्रम के लक्ष्यों में से एक है। इस कार्यक्रम को भारी सफलता मिली और इसे स्वच्छ भारत मिशन और "नमामि गंगे" के मिलन



के रूप में देखा गया।

स्वच्छता पखवाड़ों की उपलब्धियों को देखते हुए उनसे निरंतर उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं। लक्ष्य यह है कि इसे अगले स्तर तक पहुंचाया जाए। मंत्रालयों को सलाह दी जा रही है कि वे पखवाड़ों के दौरान नए उपाय और प्रणालियां शुरू करें, जो पखवाड़ा समाप्त होने के बाद बेहतर परिणाम दे सकें, स्वच्छ भारत के लक्ष्य में स्थायी योगदान कर सकें। मंत्रालयों से अब अधिक महत्वपूर्ण और संभावनाओं वाले उपायों को शामिल करने की उम्मीद की जा रही है।

पखवाड़ा ऐसी स्थिति में एक दिलचस्प बिंदु बन जाता है, जहां पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय को छोड़कर साफ-सफाई किसी सरकारी विभाग का प्रमुख आवंटित कार्य नहीं है। परंतु, स्वच्छ भारत समूचे राष्ट्र और सरकार का एक प्रमुख एजेंडा है, जो प्रधानमंत्री ने तय किया है। स्वच्छता अभियान को प्रभावी बनाने में स्वच्छता पखवाड़ा मनाने का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसमें किसी भी संगठन के सभी अनुभाग एकजुट होते हैं और उन्हें अभियान में अपना योगदान करने का माध्यम मिल जाता है, जो उन्हें लक्ष्य के प्रति सचेत भी करता है। स्वच्छता अभियान देश को साफ-सुथरा बनाने का एक कारगर माध्यम सिद्ध हुआ है। फिर भी, इस अभियान की सफलता शासन के प्रत्येक स्तर पर लोगों की पूरे उत्साह के साथ भागीदारी पर निर्भर करेगी।

(लेखक भारत सरकार के पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय में विशेष कार्याधिकारी हैं।)

ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन का आकलन

—सुजाय मजूमदार

देश, राज्यों तथा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के विविध आयामों में हो रही प्रगति को बढ़ावा देने हेतु आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है जोकि योजनाकारों, क्रियान्वयनकर्ताओं, शोधकर्ताओं के साथ-साथ अन्य लोग जो देश को खुले में शौचमुक्त बनाने के मिशन से जुड़े हैं, के लिए उपयोगी हैं ताकि वो आगे की रणनीति निर्धारित कर सकें। साथ ही मिशन को सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पहुंचना और इन प्रयासों में प्रत्येक स्तर के निकायों के लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना बेहद जरूरी है।

स्वच्छता के अंतर्गत कचरे का सुरक्षित प्रबंधन और उचित निपटान का कार्य शामिल है। सुरक्षित स्वच्छता सेवाओं के प्रावधान में व्यावहारिक मुद्दे (शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना), बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता (जैसे शौचालय, नाली) और एक अनुकूल माहौल (जैसेकि स्वच्छता परिणामों को प्राप्त करने के लिए नीतियां, वित्त, वितरण प्रणाली और मानव संसाधन) आदि भी शामिल हैं। सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था में यह सुनिश्चित किया जाता है कि अपशिष्ट पदार्थ मनुष्य के संपर्क में न आने पाएं। इससे पीने योग्य जल की गुणवत्ता में सुधार होता है; बीमारियों के बोझ में कमी आती है और पर्यावरण स्वच्छ होता है जिससे जीवन-स्तर में सुधार होता है।

भारत में पर्याप्त सुरक्षित स्वच्छता की कमी चिंता का विषय है जोकि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है। इन मुद्दों में सबसे अधिक परेशान करने वाला है बेहतर शौचालय पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होना। वर्ष 2011 की जनगणना में यह बात सामने आई थी कि देश में केवल 30.8 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय की सुविधा है। बहुत हद तक भारत में पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत (करीब 15 लाख बच्चे प्रतिवर्ष; जोकि दुनिया में सर्वाधिक है) का कारण शौचालय की सुविधा उपलब्ध न होना है। हर साल औसतन तीन लाख युवाओं की मौत साफ-सफाई और स्वच्छता के निम्न-स्तर के कारण दस्त की वजह से होती है। (जयलक्ष्मी, 2015 जनवरी-जून 6 (1))



पांच वर्ष से कम उम्र के जीवित 15.8 करोड़ बच्चों में से 6.10 करोड़ लंबे समय तक अल्पपोषण के चलते अविकसित रह जाते हैं। हालांकि हाल ही में हुए एक शोध के अनुसार अल्पपोषण से ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण से होने वाला रोग (ईईडी) बच्चों के अविकसित रहने का एक बड़ा कारण है। ईई आंतों की पाचन और भोजन की अवशोषण क्षमता को कम करता है। यह बीमारी स्वच्छता और सफाई के निम्न-स्तर वाले स्थानों में रहने वाले लोगों में पेट के अंदर मल के अपर्याप्त निपटान के

कारण होती है (जॉन्स हॉपकिंस ब्लूमबर्ग स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में मानव पोषण के प्रोफेसर जीन हम्फ्रे, 2014)। इसलिए स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए सुरक्षित स्वच्छता की उपलब्धता बेहद जरूरी है।

भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक हिस्से के रूप में भारत में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1954 में शुरू किया गया था। हालांकि 1981 की जनगणना से पता चला है कि तब ग्रामीण स्वच्छता कवरेज केवल एक प्रतिशत थी। केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) की तरह कई कार्यक्रमों के तहत किए गए प्रयासों, 1986 से लागू कर 2014 तक चले संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) और निर्मल भारत अभियान (एनबीए) के बावजूद ग्रामीण स्वच्छता कवरेज एक प्रतिशत वार्षिक की दर से ही बढ़ी है। इसके चलते भारत 2015 तक स्वच्छता के लिए अपने सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को छू भी नहीं पाया है।

यह समझते हुए कि स्वच्छता की समस्या केवल अपर्याप्त बुनियादी सुविधाओं से ही संबंधित नहीं है बल्कि, इसके लिए शौचालयों के निरंतर उपयोग को लेकर लोगों की मानसिकता बदलने की जरूरत है। मौजूदा ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत को खुले में शौच की कुप्रवृत्ति से मुक्त (ओडीएफ) बनाने के लक्ष्य के साथ क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके लिए सामाजिक सहभागिता और सामूहिक प्रयासों से व्यवहारिक बदलाव लाकर, कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्यों और जिलों को अनुकूलता प्रदान कर, वित्तीय सहायता मुहैया कराकर, नए दृष्टिकोण का परिचय दिया गया है ताकि व्यापक प्रभाव के लिए जिला कलेक्टर के कद और पद का लाभ उठाते हुए स्वच्छता के कार्य में उनका सहयोग लिया जा सके। यद्यपि कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा तैयार और संचालित किया जा रहा है, भारत में स्वच्छता राज्य का विषय है जिसे 73वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों को सौंपा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लागू करने की जिम्मेदारी प्रशासन के निचले स्तर यानी— राज्य, जिला, ब्लॉक और अंत में ग्राम पंचायतों पर टिकी है।

मिशन को सफल बनाने के लिए देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक पहुंचना होगा, और इसे साकार करने के प्रयासों में प्रत्येक स्तर के निकायों को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। इतने बड़े और जटिल कार्यक्रम के नियोजन, क्रियान्वयन और निगरानी के लिए तथा रुके हुए कामों में हो रही प्रगति और कार्यक्रम के क्रियान्वयन के बारे में प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे कार्यों के विश्लेषण और राष्ट्रीय



उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम संबंधी उपयुक्त उपाय करने हेतु सूचना एवं आंकड़ों का निरंतर प्रवाह जरूरी हो गया है।

भारत सरकार के स्तर पर, एसबीएम (जी) को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमडीडब्ल्यूएस) द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। यह मंत्रालय ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) को भी प्रशासित करता है। यही मंत्रालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों और संगठनों द्वारा किए जा रहे साफ-सफाई के प्रयासों के लिए नोडल मंत्रालय भी है। राज्य स्तर पर, राज्यों में एसबीएम (जी) का क्रियान्वयन पंचायती राज, ग्रामीण विकास, जल और स्वच्छता या लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में से किसी एक विभाग द्वारा किया जाता है। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट या जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यालय कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण करता है। इन एजेंसियों को कार्यक्रम के कार्यान्वयन से संबंधित उचित निर्णय लेने के लिए संशोधित आंकड़ों की आवश्यकता होती है। इन जानकारियों की जरूरत योजनाकारों, अनुसंधानकर्ताओं और कार्यक्रम मूल्यांकनकर्ताओं को भी होती है।

स्वच्छता के कवरेज की स्थिति, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को शौचालयों की सुलभता और इससे वंचित परिवारों तक शौचालय की उपलब्धता प्रदान करने में एसबीएम (जी) की प्रगति एक व्यापक प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर उपलब्ध



इस लेख में व्यक्त विचार लेखक के अपने हैं, इनका यूनिसेफ से कोई संबंध नहीं है।

ग्राफ 1: भारत- ग्रामीण स्वच्छता कवरेज (प्रतिशत में)

ग्राफ 2: भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज की प्रगति (प्रतिशत में)



है जिसे मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। यह प्रणाली देश में ग्रामीण स्वच्छता पर जानकारी का अच्छा स्रोत है, जो एक ही स्थान पर ग्रामीण स्वच्छता संबंधी तमाम आंकड़े प्रदान करती है। यहां 18.12 करोड़ ग्रामीण परिवारों को शौचालय के उपयोग की जानकारी है। आंकड़ा 2011 की जनगणना के अनुसार और 2012 और 2013 के दौरान किए गए, एक राष्ट्रव्यापी आधारभूत सर्वेक्षणों से सामने आया। यदि देश में प्रभावी सूचना एवं निगरानी प्रणाली मौजूद होती तो घरेलू स्तर पर एकत्रित ये आंकड़े निर्णायक रूप से महत्वपूर्ण साबित हो सकते थे।

देशभर के सभी राज्यों और जिलों से एकत्रित आंकड़े 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत के समय एमआईएस में डाले गए जो सभी योजनाओं और निगरानी का आधार बने। आधारभूत सर्वेक्षण से पता लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर 18.12 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 11.11 करोड़ परिवारों को शौचालय उपलब्ध नहीं है। 1.8 करोड़ से अधिक परिवारों के इन व्यापक आंकड़ों को संबंधित गृहस्थ के नाम और पहचान के साथ एकल डेटाबेस में प्रवृष्टि करने में एक वर्ष से अधिक का समय लग गया और अब यह ग्रामीण विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति है। अक्टूबर 2014 में एसबीएम (जी) के शुभारंभ के बाद से, इस डेटाबेस को देश भर में 5000 स्थानों से मासिक आधार पर अद्यतन किया जाता है। इसमें ज्यादातर राज्यों में ब्लॉक स्तर पर शौचालय से वंचित ऐसे परिवारों की सूचना डाली जाती जिन्होंने नए शौचालय बनवाए हैं। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, यदि राज्य सरकार द्वारा शौचालय बनाने पर कुछ वित्तीय लाभ देने का प्रावधान है तो उसके भुगतान की सूचना स्वचालित पुष्टि एसएमएस संदेश के माध्यम से परिवारों को भेजी जाती है।

उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित

करने के लिए एसबीएम (जी) जैसे दीर्घकालीन और संवेदनशील कार्यक्रम के कार्यान्वयन में विभिन्न प्रकार के सूचना समर्थन की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त एमआईएस के विकास और परिवार के आधार पर प्राप्त आंकड़ों का नियमित इनपुट देने से, उपलब्ध आंकड़ों का विश्लेषण करने, सूचना और सुझाव देने, प्राथमिकताएं तय करने, सुधारात्मक उपायों का क्रियान्वयन करने तथा उनकी अनुमति देने का अवसर मिलता है।

देश, राज्यों तथा जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के विविध आयामों में हो रही प्रगति को बढ़ावा देने हेतु मिल रहे आंकड़ों के अधिकतम उपयोग हेतु अलग से विश्लेषण किया जा रहा है, जोकि योजनाकारों, क्रियान्वयनकर्ताओं और शोधकर्ताओं के साथ-साथ दूसरे ऐसे लोगों के लिए भी उपयोगी है जो देश को खुले में शौचमुक्त बनाने के मिशन से जुड़े हैं। विश्लेषण में मिशन के भौतिक और वित्तीय दोनों पक्षों को परखा जाता है, साथ ही शौचालय की उपलब्धता वाले परिवारों, खुले में शौच मुक्त ग्राम पंचायतों और गांवों की बढ़ी हुई संख्या की जांच की जाती है। इस गतिविधि को 2015-16 में शुरू किया गया था, जिसे एक पेशेवर एजेंसी की सहायता से 2016-17 के लिए भी जारी रखा गया है। इस गतिविधि में तिमाही आधार पर राष्ट्रीय और राज्यस्तर पर आंकड़ों का विश्लेषण किया जा रहा है, वहीं प्रथम चरण के 187 जिलों में जिन्हें एमडीडब्ल्यूएस ने प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित किया था, प्रगति का विश्लेषण ब्लॉक-स्तर पर प्रत्येक दो महीने में एक बार किया जा रहा है। इस विश्लेषण से जिलेवार योजना तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्राप्त होते हैं, जोकि एसबीएम (जी) और विभिन्न जिलों के लिए तैयार खुले में शौच उन्मूलन की योजनाओं (ओडीईपी) का आधार बनते हैं।



विश्लेषण से हितधारकों को भी प्रयासों के परिणामों के प्रमाण के लिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, और नए कदम उठाने में भी यह विश्लेषण उपयोगी साबित होता है। राष्ट्रीय और राज्य विभागों तथा जिला और ब्लॉक प्रशासकों के साथ ही एसबीएम (जी) पर और उसके साथ काम करने वाले


संगठनों के लिए उनकी गतिविधियों और प्रक्रियाओं में यह उपयोगी साबित हो रहा है।

एसबीएम एमआईएस आंकड़ों के विश्लेषण से प्राप्त जानकारी में निम्नलिखित को शामिल किया जाता है:


परिवार में शौचालय की सुलभता

शौचालय का उपयोग करने वाले परिवारों की संख्या और प्रतिशत में आए बदलाव की निगरानी की जाती है। मार्च, 2016 के अंत तक एसबीएम(जी) के आईएमआईएस के अनुसार देश के 52.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास आईएचएचएल की सुविधा थी, जिसे ग्राफ-1 में दर्शाया गया है। अभी भी वर्ष के अंत तक लगभग 8.7 करोड़ परिवारों के पास शौचालय की सुविधा नहीं है, जोकि निर्धारित लक्ष्य से कम है। 2015-16 के दौरान शौचालय की सुविधा से युक्त परिवारों की संख्या में 7.4 प्रतिशत अंक का सुधार हुआ है। 2014-15 और 2013-14 में इसमें क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जैसाकि ग्राफ- 2 में दर्शाया गया है।

ग्राफ 4: प्रति महीने आईएचएचएल का निर्माण: वास्तविक और जरूरी (लाख में)




ग्राफ 5: (वास्तविक बनाम जरूरी) राज्य जिन्होंने वांछित दर को प्राप्त कर लिया है



ग्राफ केवल संकेतात्मक हैं।

ग्राफ 6: (वास्तविक बनाम जरूरी)

राज्य जिन्होंने वांछित दर को प्राप्त नहीं किया है।



एनएसएसओ द्वारा मई-जून 2015 के दौरान किए गए रैपिड सर्वे के परिणाम से तुलना करने पर इसे उसी श्रेणी में पाया गया, वहीं ग्रामीण भारत में आईएचएचएल कवरेज को 45.3 प्रतिशत पाया गया और (जुलाई-दिसंबर 2012 के दौरान आयोजित) एनएसएसओ के 69वें दौर में यह संख्या 40.6 प्रतिशत पाई गई।

2015-16 के दौरान प्रदर्शन

कार्यक्रम कैसे लागू किए जा रहे हैं इसकी देशव्यापी तस्वीर पेश करने के लिए एसबीएम (जी) के प्रदर्शन का विश्लेषण किया जाता है। वर्ष 2015-16 के दौरान राज्यों में निर्मित आईएचएचएल का विश्लेषण किया गया है जो ग्राफ 3-में दर्शाया गया है।

आईएचएचएल के निर्माण की गति

2019 तक भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए परिसंपत्तियों के निर्माण की गति त्वरित करने और इसका नियमित विश्लेषण ग्राफ 4, 5 और 6 में प्रदर्शित किया गया है।

ग्राफ-4 इंगित करता है कि यदि राज्य सामूहिक रूप से अगले 42 महीनों तक प्रति माह 20.7 लाख आईएचएचएल (जिसे दैनिक हिसाब से देखें तो यह संख्या 67,000 शौचालय प्रति दिन की है) के निर्माण की बढ़त बनाए रखें तो भारत 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच की बुराई से मुक्त घोषित हो सकता है। जुलाई 2016 से औसतन नए निर्मित शौचालयों की संख्या 50,164 बताई गई है और ये सभी परिवार के मुखिया के व्यक्तिगत नाम के साथ और बहुत से मामलों में जियोटैग तस्वीरों के साथ हैं।

ग्राफ-5 और-6 में 2 अक्टूबर 2019 तक खुले में शौचमुक्त होने के लिए राज्यवार निर्माण में वास्तविक और जरूरी बढ़त को दर्शाया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि वांछित गति पाकर 13

राज्य प्रगति पर हैं। अन्य 15 राज्यों को 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच की समस्या से मुक्त होने के लिए शौचालय निर्माण की अपनी गति बढ़ाने की जरूरत है।

कवरेज का विश्लेषण

राज्यों की वर्तमान स्वच्छता कवरेज और उनकी प्रगति की गति का विश्लेषण सभी राज्यों के लिए तिमाही आधार पर किया जाता है। इससे अंतर-राज्यीय बदलावों को समझने में सहूलियत होती है और पीछे छूट गए राज्यों पर उचित ध्यान देने में मदद मिलती है।

अनुमानित कवरेज और ओडीएफ प्राप्त करने का अनुमानित वर्ष

2 अक्टूबर, 2019 की स्थिति के अनुसार राज्यों की अनुमानित आईएचएचएल कवरेज का विश्लेषण 2015-16 से निर्माण की गति के आधार पर किया जाता है। यह राष्ट्रीय स्तर पर और सभी राज्यों के लिए किया जाता है।

जिलेवार कुल निर्माण की दर से ओडीएफ प्राप्त करने की स्थिति

राज्यों और जिलों के लिए ओडीएफ प्राप्त करने की स्थिति का अनुमानित वर्ष रुझान राज्यवार वर्तमान कुल दर के आधार पर निर्धारित होता है। हालांकि, एक राज्य ओडीएफ तभी घोषित होता है जब उसका अंतिम जिला भी ओडीएफ की स्थिति में आ जाए इसीलिए ओडीएफ प्राप्त करने के जिलेवार अनुमान और उनमें से कितने निर्धारित तिथि के बाद जाकर इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यह एकाधिक जिलों के वांछित प्रगति दर में पिछड़ जाने के कारण अनुमानित तिथि से देरी की संभावना की एक बेहतर तस्वीर सामने रखती है। यह अनुमान सभी राज्यों के लिए लगाया जा रहा है।


कवरेज और निर्माण की गति के अनुसार राज्यों की श्रेणियां

किसी वर्ष के आरंभ में बिना शौचालय वाले घरों के हिस्से के रूप में एक वर्ष में निर्मित आईएचएचएल नए कवरेज की गति दर्शाते हैं, यह किसी राज्य को ओडीएफ घोषित होने में लगने वाले समय का अहम निर्धारक होता है। दूसरा स्पष्ट निर्धारक यह होता है कि राज्य सार्वभौमिक कवरेज से कितना पीछे है। यद्यपि सभी राज्यों का लक्ष्य 2019 तक ओडीएफ दर्जा प्राप्त घोषित होना है, तथापि इन दो महत्वपूर्ण संकेतकों पर राज्य विभिन्न स्थितियों में हैं। विश्लेषण में प्रत्येक राज्य की नियमित तौर पर समीक्षा होती है और उस पर उचित ध्यान देने के लिए उसे संबंधित श्रेणी में रख जाता है।

दायरे के बाहर के परिवारों का बोझ

योजना के दायरे से बाहर छूट गए परिवारों का बोझ राज्यों के बीच बांटा गया है और बदलती स्थिति का विश्लेषण प्रत्येक

ग्राफ 7: दायरे से बाहर छूट गए परिवारों का बोझ प्रतिशत में




तिमाही पर किया जा रहा है। जून 2016 के अनुसार देश में कुल ग्रामीण परिवारों में से 46.1 प्रतिशत परिवार आईएचएचएल के बिना हैं।

ओडीएफ प्राप्त करने की समग्र स्थिति

भारत के ओडीएफ यानी खुले में शौच की समस्या से मुक्त घोषित होने के लिए देश के प्रत्येक गांव और ग्राम पंचायत (जीपी) को खुले में शौच से मुक्त होना होगा। इसलिए जीपी को यह घोषित करने की आवश्यकता होगी कि उनके क्षेत्र ओडीएफ हो गए हैं, जिसका अर्थ होगा कि उसमें आने वाले सभी गांव

ग्राफ 8: ओडीएफ जीपी और गांवों की संख्या (प्रतिशत में)



ओडीएफ हो गए हैं, जिन्हें पूरी तरह से सत्यापित कर लिया गया है। इस स्थिति की भी तिमाही स्तर पर समीक्षा हो रही है। ग्राफ-8 से पता चलता है कि देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों में से 9.2 प्रतिशत और 6.1 लाख गांवों में से 9.0 प्रतिशत 31 मार्च, 2016 तक ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। ओडीएफ घोषित होने से 43.4 प्रतिशत ग्राम पंचायतों और 38.4 प्रतिशत गांवों को अब तक सत्यापित किया जा चुका है।

जिलेवार फैक्ट शीट

जून 2016 से हर तिमाही में किए गए उपर्युक्त राष्ट्रीय और राज्यवार विश्लेषण के अलावा, प्रथम चरण के 187 जिलों का विश्लेषण प्रत्येक दो महीने में एक बार किया जा रहा है जिन्हें एमडीडब्ल्यूएस ने केंद्रित जिलों के रूप में चिन्हित किया है। यह प्रक्रिया ब्लॉक स्तर तक चलती है और वे जिला प्रशासन को स्थिति तथा ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के प्रदर्शन के बारे में सूचना और विश्लेषण से अवगत कराते हैं। इससे जिला प्रशासन को कार्यक्रम का बेहतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने में सहूलियत होती है। इन जिलों में से प्रत्येक के प्रदर्शन से संबंधित फैक्टशीट तैयार की गई हैं और बंटवाई गई हैं। इस आलेख में ऋद्धि फाउंडेशन की रिपोर्ट में दी गई सूचनाओं का उपयोग किया गया है, उसे ही स्वीकृत किया गया है।

(लेखक यूनिसेफ इंडिया में पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रम (WASH) के वरिष्ठ विशेषज्ञ हैं।)

ई-मेल: smojumdar@unicef.org

“मानव जाति के लिए साधारणतः स्वास्थ्य का पहला नियम यह है कि निरोग शरीर में निर्विकार मन का वास होता है, यह एक स्वयंसिद्ध सत्य है। मन और शरीर के बीच अटूट सम्बन्ध है। अगर हमारा मन निर्विकार यानी निरोग हो, तो वे हर तरह की हिंसा से मुक्त हो जाए; फिर हमारे हाथों तंदुरुस्ती के नियमों का पालन सहज भाव से होने लगे और किसी तरह की खास कोशिश के बिना ही हमारा शरीर तंदुरुस्त रहने लगे। मेरी राय में जिस जगह शरीर-सफाई, घर-सफाई और ग्राम-सफाई हो, वहां कम से कम बीमारी होती है। अगर ग्रामवासी इतनी बात समझ जाएं तो उन्हें वैद्य, हकीम या डॉक्टर की जरूरत न रह जाए।”

महात्मा गांधी (हरिजन सेवक : 7.4.1946, पृष्ठ संख्या-69)

नदियों की स्वच्छता की चुनौती

—संजय श्रीवास्तव

दशकों से प्रदूषण का शिकार हो रही नदियों की स्वच्छता किसी चुनौती से कम नहीं। अधिकांश नदियों का पानी इस कदर विषैला हो चुका है कि न तो पीने के काबिल रह गया है और न ही स्नान के। अधिकांश नदियां सूख कर गंदे नाले की तरह हो गई हैं, जिनमें कालिमा के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। बढ़ते औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और बांधों के निर्माण के चलते नदियों की अविरलता और स्वच्छता दोनों खासी प्रभावित हुई हैं। जब तक हमारी सभ्यता औद्योगिक, रासायनिक, तरल व ठोस कचरे और शहरी मल-जल को वर्तमान तरीके से निपटाने वाली व्यवस्था से मुक्त थी, हमारी नदियां शुद्ध थीं लेकिन औद्योगिक और शहरी कचरे के चलते अब वो दम तोड़ने लगी हैं। अगर उन्हें अब भी साफ नहीं किया गया तो भविष्य में नदियों से पेयजल को लेकर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

इन दिनों भारतीय नदियों में प्रदूषण चर्चा का विषय है। दशकों से प्रदूषण का शिकार हो रही नदियों की सफाई किसी चुनौती से कम नहीं। अधिकांश नदियों का पानी इस कदर विषैला हो चुका है कि न तो पीने के काबिल रह गया है और न ही स्नान के। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आकलन के अनुसार 29 राज्यों और छह केन्द्रशासित क्षेत्रों में 445 नदियों में से 275 नदियां पूरी तरह प्रदूषित हैं। 302 नदियों

के किनारे स्थित 650 शहरों के गंदे पानी की मात्रा भी 38000 मिलियन लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 62000 मिलियन लीटर (एम. एल.डी.) हो गई है जबकि इसकी तुलना में सीवेज शोधन क्षमता में नाममात्र की वृद्धि ही हुई है। इनमें 34 नदियों को प्रथम श्रेणी में रखा गया है, जिन पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। पिछले पांच सालों में देश में प्रदूषण की शिकार नदियों की संख्या दोगुना से भी अधिक हो गई है। वर्ष 2009 में जहां देश की 121 प्रमुख नदियां प्रदूषण की लपेट में थीं वहीं 2015 में इनकी संख्या बढ़ कर 275 हो गई। नदियों की प्रदूषित पट्टियां 2009 में 150 से बढ़कर वर्ष 2015 में 302 हो गईं। महाराष्ट्र की 85 प्रतिशत नदियां प्रदूषण का शिकार हैं। सबसे ज्यादा प्रदूषित 45 नदी क्षेत्र इसी राज्य में हैं। पूर्व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावेडकर ने संसद में कुछ समय पहले बताया था कि प्रदूषित नदियों के मामले में अगर महाराष्ट्र 28 नदियों के साथ पहले नंबर पर है तो 19 प्रदूषित नदियों के साथ गुजरात दूसरे और 12 ऐसी नदियों के साथ उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। देश में हजारों किलोमीटर नदी क्षेत्र इस कदर प्रदूषित है कि वहां जलीय पौधों और जीव-जंतुओं का जीना दूभर है। नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट यानी राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एनआरसीपी) के तहत आवंटित 45 अरब 18 करोड़ की राशि से देश की तमाम नदियों को जीवनदान देने की योजना है।

नमामि गंगे

यूं तो केंद्र सरकार का गंगा पुनर्जीवन, नदी विकास व जल संसाधन मंत्रालय देश की सभी



नदियों की स्वच्छता पर काम कर रहा है लेकिन निश्चित तौर पर पहली प्राथमिकता देश की सबसे पवित्र नदी गंगा को निर्मल करना है। इस अभियान को 'नमामि गंगे' नाम दिया गया है। 2525 किलोमीटर लंबी गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में समाती है। गंगा के किनारे ही सही मायनों में देश की संस्कृति का विकास हुआ। गंगा हमेशा से जीवनदायिनी और मोक्षदायिनी मानी गई है। लगातार प्रदूषण ने इसे खासा नुकसान पहुंचाया है। जो गंगा कभी एकदम साफ थी, वो अब शहरों की गंदगी ढोते-ढोते थकी-सी लगने लगी है। ये चिंता का विषय भी है। इसीलिए केंद्र ने पुण्यसलिला की सफाई हेतु अलग मंत्रालय बनाया हुआ है। सरकार का दावा है कि जो काम बीते तीस साल में नहीं हुआ, 'नमामि गंगे' परियोजनाओं के जरिए उसे दो साल में पूरा कर दिया जाएगा। जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती का दावा है कि गंगा की सफाई के प्रयासों का असर अक्टूबर 2016 से दिखने लगेगा और वर्ष 2018 तक गंगा पूरी तरह साफ हो जाएगी।

इस दावे का आधार 1500 करोड़ रुपये लागत वाली वे 231 परियोजनाएं हैं, जिन्हें सात जुलाई को शुरू किया गया। इनमें 250 करोड़ रुपये की लागत वाली 43 परियोजनाएं अकेले उत्तराखंड में आठ स्थानों पर गंगा धाराओं को मलिन होने से बचाने का काम करेंगी। शेष हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 95 स्थानों पर अपनी भूमिका निभाएंगी। ये परियोजनाएं मुख्यतः घाट नवीनीकरण, नाला निर्माण, नाला सफाई, मलशोधन संयंत्र निर्माण, औद्योगिक कचरा निस्तारण, पौधारोपण तथा जैव विविधता केंद्रों के निर्माण से संबंधित हैं। गंगा की सफाई के लिए नदी के तट पर बसी ऐसी 118 नगरपालिकाओं की पहचान की गई है, गंदे पानी की सफाई और ठोस कचरे के निपटान सहित पूरी साफ-सफाई का लक्ष्य हासिल किया जाएगा।

गंगा जल संरक्षण के लिए जैविक खेती

'नमामि गंगे' मिशन को तेजी से लागू करने के प्रयास में जुटी केंद्र सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाया, जिसके तहत गंगा किनारे जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा संरक्षण मंत्रालय ने कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के साथ इस बारे में एक करार किया है। जिससे 'नमामि गंगे' कार्यक्रम को तेजी से लागू करने में आ रही कृषि संबंधी अड़चनें भी दूर हो सकेंगी। दरअसल गंगा किनारे के गांवों में जैविक कृषि का विकास करने की योजना को बल देने के लिए परियोजना में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर एक क्लस्टर का प्रतिनिधित्व करने का प्रस्ताव है। गंगा स्वच्छता के प्रति जागरूकता कार्यक्रमों, स्वयंसहायता समूहों तथा

मोबाइल एप के माध्यम से जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जा सकेगा। इस करार के तहत कृषि मंत्रालय रसायन, उर्वरक और कीटनाशकों के संतुलित उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करेगा, ताकि गंगा बेसिन में जल संरक्षण के लिए सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा मिले और किसानों को लाभान्वित किया जा सके।

कई मंत्रालयों से करार

एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन के रूप में 'नमामि गंगे' कार्यक्रम पर 12,728 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है। इसके तहत 7272 करोड़ रुपये की लागत वाली कई परियोजनाएं शुरू भी कर दी गई हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम में जल संसाधन मंत्रालय कई मंत्रालयों से पहले ही समझौता कर चुका है। ये मंत्रालय शिपिंग, मानव संसाधन विकास, ग्रामीण विकास, पर्यटन, आयुष, युवा मामले और खेल तथा पेयजल और स्वच्छता से जुड़े हैं।

गंगोत्री से गंगासागर तक पदयात्रा

गंगा की स्वच्छता को लेकर जागरूकता फैले, सफाई के कामों में तेजी आए, साथ ही गंगा के किनारे चल रही मौजूदा परियोजनाओं की प्रगति का जायेजा लिया जा सके, इसके लिए केंद्रीय जल-संसाधन मंत्री उमा भारती गंगोत्री से गंगासागर तक 'पदयात्रा' करेंगी। ये पदयात्रा गंगासागर से अक्टूबर में शुरू होगी।

अविरलता सुनिश्चित हो

पिछले डेढ़ दशक के दौरान किए गए अध्ययनों और जांच समितियों की रिपोर्टों का ये भी कहना है कि अविरलता सुनिश्चित किए बगैर गंगा की निर्मलता सुनिश्चित करना मुश्किल है। ये एक ऐसा पहलू है जो वाकई चिंताजनक है। देश में सबसे ज्यादा बांध गंगा पर ही बने हुए हैं। सबसे ज्यादा 54 परियोजनाएं गंगा पर ही चल रही हैं। ये निश्चित रूप से गंगा की अविरलता को प्रभावित कर रही हैं। ये गंगा को गंगा बनाने वाले बैक्टिरियोफेज व विशेष गुणों वाली गाद से भी वंचित कर रही हैं। हमारे नए पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे नदी के जानकार माने जाते हैं। मंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था, "हर नदी को बहना चाहिए।" अगर वह और सुश्री उमा भारती नदियों के बहते रहने का कोई पुख्ता रास्ता निकाल पाएं तो ये एक बड़ा और सकारात्मक कदम होगा। मध्य प्रदेश में हुए चौथे नदी महोत्सव में सुश्री उमा भारती ने कहा कि किसी भी नदी को सूखने नहीं दिया जाएगा। नदियों को आपस में जोड़कर प्रवाह को सतत् बनाए रखा जाएगा। बांध के लिए नदी को नष्ट नहीं किया जा सकता। बांध बनाने हैं तो नदियों को भी बचाना होगा।

कैसे रोकें कचरा

इस बीच गंगा के अलावा दूसरी नदियों को भी साफ रखने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी)

गंगा के तटीय गांवों के प्रधानों का सम्मेलन

पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय तथा युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के युवा मामलों से संबंधित विभाग के सहयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार की सहायता से 20 अगस्त 2016 को इलाहाबाद में ग्राम प्रधानों के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य गंगा नदी के किनारे स्थित 5 राज्यों के 52 जिलों के 1651 गांवों के ग्राम प्रधानों को एक स्थान पर एकत्र करना था, ताकि वे एकजुट होकर काम कर सकें और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और साथ ही साथ "नमामी गंगे" कार्यक्रम के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपने गांव को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) बना सकें।

कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री सुश्री उमा भारती द्वारा कंपनी बाग, इलाहाबाद में श्री चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने के साथ हुई। इस अवसर पर सभी प्रधानों को अपने गांवों को ओडीएफ बनाने और यह दर्जा बनाए रखने के संबंध में स्वच्छता शपथ दिलाई गई।

सम्मेलन के आयोजन स्थल, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, नैनी, में सुश्री उमा भारती ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की ओर से इस अवसर पर भेजे गए संदेश को पढ़कर सुनाया। इसी के साथ सम्मेलन की कार्यवाही शुरू हुई। प्रधानमंत्री के संदेश के अंश निम्नलिखित हैं—

“मुझे इस बात की अपार खुशी है कि गंगा के किनारे स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि आज गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम—इलाहाबाद में अपने गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनाने के साझा उद्देश्य के साथ एकत्र हुए हैं। गंगा के तटों के साथ स्थित घनी आबादी



वाले गांवों को सही मायने में स्वच्छ बनाने, हमारी नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने और इस क्षेत्र में पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में यह शुरुआत आवश्यक है। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी सेहत अच्छी हो, हमारी माताएं और बहनें सुरक्षा एवं गरिमा के साथ रहें और हमारा पर्यावरण स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यापक समुदाय के स्वास्थ्य के अनुकूल हो। खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) बनना— इस दिशा में पहला कदम है। गंगा को स्वच्छ और शुद्ध रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस तरह एक साथ, एक मंच पर आने से आप केवल गंगा के किनारे के सभी गांवों को ओडीएफ बनाने का सपना साकार करने में ही सहायता नहीं करेंगे, बल्कि देश में अन्य नदियों के किनारे स्थित गांवों और अंत में समस्त ग्रामीण भारत को भी ओडीएफ बनने के लिए और सही मायनों में “स्वच्छ” बनने के लिए प्रेरित करेंगे।”

सुश्री उमा भारती ने “नमामी गंगे” की अवधारणा के बारे में समझाया और सभी प्रधानों से गंगा जी को साफ करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ओडीएफ के अलावा, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है और गांवों को व्यापक अर्थों में हर हाल में स्वच्छ बनाया जाना चाहिए। पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत का लक्ष्य केंद्र और राज्यों द्वारा एकजुट होकर कार्य करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने गांवों को स्वच्छ बनाने में खुले में शौच से मुक्ति के महत्व पर बल दिया। इस अवसर पर ओडीएफ गांवों के प्रधानों को सम्मानित किया गया।

गंगा के पांच तटीय राज्यों—बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में 2151 ग्राम पंचायतों के 251 ब्लॉकों में गंगा नदी से सटे 52 जिलों की पहचान की गई है। इन ग्राम पंचायतों में कुल 5169 गांव हैं जिनमें से 4279 सीधे गंगा से सटे हैं जिन्हें ओडीएफ का दर्जा प्राप्त करने में प्राथमिकता दी गई है। वर्ष 2012—13 में राज्यों में हुए बेसलाइन सर्वे में इन ग्राम पंचायतों के 15,18,649 घरों में शौचालय नहीं थे। इनमें से कुल 5,58,608 (36.78 प्रतिशत) घरों में अब तक व्यक्तिगत शौचालय बनाए जा चुके हैं। जहां तक खुले में शौचमुक्त होने का सवाल है तो इन 4279 गांवों में से (35.59 प्रतिशत) 1523 गांव खुले में शौच की प्रथा से मुक्त हो चुके हैं।

ने यमुना में पूजा और निर्माण सामग्री तथा अन्य कचरा डाले जाने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाने का कड़ा निर्देश दिया है। एनजीटी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से औद्योगिक इकाइयों को नदी में कचरा बहाने की इजाजत नहीं देने को कहा है। नदी अपने-अपने क्षेत्र की सबसे निचली सतह से बहती हैं। इसलिए नदी के बाहर फेंका गया कचरा भी अंततः नदी में ही जा पहुंचता है। इसलिए पूरे देश में नदियों की दुर्दशा हो रही है। बढ़ती पानी की मांग के चलते नदियों को बांधकर धारा को मोड़ने से उनकी कचरा बहाकर ले जाने की उनकी क्षमता भी कम हो रही है। यह कचरा समुद्र में पहुंच कर समुद्र को भी प्रदूषित ही करेगा।

विदेशों में भी हो चुका है ऐसा

वैसे दुनिया में तकरीबन सभी प्रमुख नदियां किसी न किसी समय प्रदूषण का शिकार हुई हैं। लोगों की जागरूकता और लगातार सफाई के चलते आज वो नदियां जरूर हम सबके लिए एक उदाहरण हैं। लंदन की टेम्स और जर्मनी की राइन नदियां भी एक जमाने में प्रदूषण काली लगने लगी थीं। लेकिन आखिरकार उन्हें साफ करने में सफलता हासिल की गई। अब उनकी स्वच्छता के बाद खुद वहां के निवासी ये ध्यान रखते हैं कि इन नदियों को साफ रखने में वे कितना योगदान दे सकते हैं। राइन तो गंगा से आधी लंबाई की नदी है लेकिन इसे साफ करने में 30 वर्ष लग गए थे।

जर्मनी और चीन जैसे देशों में भी नदियां हमसे कहीं ज्यादा आंसू बहाती हैं। हां, यह बात अलग है कि उन देशों में नदियों को उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया जाता। करीब 10 साल पहले जर्मनी की एल्बे नदी विश्व की सबसे ज्यादा प्रदूषित नदी थी। लेकिन आज उसकी गिनती विश्व की सबसे साफ नदियों में की जाती है। इसकी वजह यह है कि उस देश की सरकार ने नदियों को देश की धरोहर माना है। कुछ ही साल पहले की बात है, जब जर्मनी की नदियों में इतनी गंदगी थी कि इसमें रहने वाली मछलियां अल्सर से मर रही थीं। आज ये नदियां एकदम साफ हैं। हालांकि ये भी कहा जाना चाहिए कि जैव विविधता के लिहाज से भारतीय नदियों में नायाब चीजें मिलती हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियों में जहां यूरोप जैसी मछलियां हैं, तो दक्षिण भारत की नदियों में विषुवत रेखा जैसा जीवन लेकिन कचरा इस खूबसूरती को खत्म कर रहा है।

दिल्ली पहुंचते ही बदरंग यमुना

जरा सोचिए कि हिमालय से निकलने के बाद शुरुआत में गंगा की तरह ही यमुना भी साफ-सुथरी रहती है लेकिन मैदानी इलाके में पहुंचते ही इसकी हालत बदतर होती चली जाती है। ये गंदी होने लगती है। दिल्ली में वजीराबाद के एक तरफ यमुना

का पानी एकदम साफ और दूसरी ओर एक दम काला। इसी जगह से नदी का सारा पानी उठा लिया जाता है और जलशोधन संयंत्र के लिए भेज दिया जाता है ताकि दिल्ली की जनता को पीने का पानी मिल सके। बस यहीं से इस नदी की बदहाली भी शुरू हो जाती है। यमुना में ऑक्सीजन लेवल शून्य तक पहुंच गया है। टिहरी-गढ़वाल जिले में यमुनोत्री से निकलने वाली यमुना उत्तर प्रदेश के प्रयाग में जाकर गंगा नदी में मिलती है। यमुना के बारे में सुश्री उमा भारती का कहना है कि बगैर यमुना को साफ किए स्वच्छ गंगा के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता। यमुना को लेकर उनका दावा है कि केंद्र सरकार वर्ष 2018 तक दिल्ली से आगरा तक यमुना को अविरल और निर्मल कर देगी। दिल्ली के नालों को नदी में गिरने से रोका जाएगा। इसके लिए जापान और नीदरलैंड खासतौर पर तकनीक और कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं। ये बात भी सही है कि यमुना की सफाई बगैर गंगा साफ नहीं हो सकती। यमुना की सफाई तीन चरणों में होगी। पहले दो चरणों में दिल्ली से लेकर मथुरा तक यमुना को स्वच्छ बनाने का कार्य हो रहा है। तीसरे चरण में आगरा में अगले साल शुरू हो सकता है। यमुना एक हजार 29 किलोमीटर का जो सफर तय करती है, उसमें दिल्ली से लेकर चंबल तक के सात सौ किलोमीटर क्षेत्र में उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण तो दिल्ली, आगरा और मथुरा का है।

हिण्डन और उत्तर भारत की नदियां

जब हम यमुना की बात कर रहे हैं तो दिल्ली के करीब यमुना में मिलने वाली हिंडन की स्थिति को भी देखना चाहिए। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहने वाली महत्त्वपूर्ण नदी है। यह उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर के ऊपरी शिवालिक क्षेत्र से निकलती है और सहारनपुर, मुज्जफरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा जिलों से गुजरती हुई दिल्ली के नीचे यमुना नदी में मिल जाती है। हिण्डन की लम्बाई लगभग 400 किलोमीटर है। इसका जलागम क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। यह गंगा और यमुना के बीच के क्षेत्र में बहती है। यमुना में मिलकर गंगा के जल को प्रभावित करती है। हिण्डन एक बड़े जलागम क्षेत्र और घनी आबादी वाले औद्योगिक नगरों को जल निकास व्यवस्था प्रदान करती है। पिछले कुछ बरसों से प्रदूषण के कारण ये नदी भी चर्चा में है। गाजियाबाद के ऊपरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लगे स्टोन क्रशरों (वैध-अवैध) के चलते हिण्डन का पानी लाल हो गया है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कागज मिलें, चीन मिलें, बूचड़खाने, अल्कोहल बनाने की इकाइयां और रासायनिक इकाइयां भी अपना अपशिष्ट सीधे इसमें डालती हैं। नदी में ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो गई है कि इसमें मछलियां नहीं बची हैं। उत्तर प्रदेश सरकार

हिण्डन को अमेरिका के वॉटर रिसोर्स ग्रुप के साथ मिलकर साफ कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि इसमें बेल्जियम की भी मदद ली जा सकती है।

उत्तर भारत की एक और प्रमुख नदी गोमती है, जो अब आमतौर पर गंदे नाले में तब्दील हो गई लगती है। पीलीभीत के गोमद ताल, माधवटांडा से लेकर सीतापुर, हरदोई, लखनऊ बहराइच, जौनपुर व बनारस से पहले कैथीधार पर जाकर गंगा से मिलने वाली गोमती अपने 325 किलोमीटर लम्बे मार्ग में कहीं भी साफ नहीं है। इसकी सफाई के लिए गोमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट परियोजना शुरू की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश की दो अन्य प्रमुख नदियों सरयू और वरुणा की सफाई करने का दावा प्रदेश सरकार करती रही है।

नर्मदा की दुर्दशा

नर्मदा को उसी तरह पूजा जाता है जिस तरह गंगा को। अमरकंटक से शुरू होकर विंध्य व सतपुड़ा की पहाड़ियों से गुजरकर अरब सागर में मिलने वाली नर्मदा का कुल 1,289 किमी. की यात्रा में अथाह दोहन हुआ है। यही दुर्दशा बैतूल जिले के मुलताई से निकल सूरत तक जाकर अरब सागर में मिलने वाली सूर्य पुत्री ताप्ती की हुई है। तमसा बहुत पहले विलुप्त हो गई थी।

एक सरकारी सर्वेक्षण के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर बसे नगरों और बड़े गांवों के पास के लगभग 100 नाले नर्मदा नदी में मिलते हैं। इन नालों में प्रदूषित जल के साथ-साथ शहर का गंदा पानी भी बहकर नदी में मिल जाता है। और तो और ये अपने उद्गम इलाके अमरकंटक में ही खासी प्रदूषित दिखती है। कई स्थानों पर इसकी गंदगी खतरनाक स्तर को पार कर रही है। राज्य सरकार का कहना है कि वह 4000 करोड़ रुपये के बजट से नर्मदा की सफाई को लेकर अभियान चलाएगी।

पर्यावरणविद् अनुपम मिश्र कहते हैं कि हिंदुस्तान का जिस तरह का मौसम चक्र है उसमें हर नदी चाहे वो कितनी भी प्रदूषित क्यों न हो, साल में एक बार बाढ़ के वक्त खुद को फिर से साफ करके देती है, पर इसके बाद हम फिर से इसे गंदा कर देते हैं, तो हमें नदी साफ करने से पहले इसे गंदा करना बंद करना पड़ेगा।

दक्षिण भारत की नदी पम्बा

भारत की युवा वैज्ञानिक शिली डेविड 2009 से जर्मनी के सेंटर फॉर मरीन ट्रापिकल इकोलाजी में केरल की पम्बा नदी पर शोध कर रही हैं। वे भारत में दम तोड़ रही नदियों में फिर से जान फूंकना चाहती हैं।

पानी की क्वालिटी के लगातार गिरावट के चलते हम कह

सकते हैं कि भारत में नदियां धीरे-धीरे मर रही हैं। पानी में ऑक्सीजन की मात्रा गिरने से नदी के भीतर चल रहा पारिस्थितिकी तंत्र मरने लगता है। एक हद के बाद वैज्ञानिक भाषा में नदी को मृत घोषित कर दिया जाता है। एक बार कोई नदी मर जाए तो उसे फिर स्वस्थ करने में कम से कम 30 से 40 साल का वक्त लगता है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में औद्योगीकरण की वजह से यूरोप की कई नदियां यह हाल देख चुकी हैं। कुछ नदियों में तो आज तक भी जीवन पूरी तरह नहीं लौट सका है। गंदी होती नदियों का असर मौसम और समुद्र पर भी पड़ता है।

क्या हो सार्थक हल

इन नदियों को यदि जल्द से जल्द स्वच्छ न किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये नदियां सिर्फ इतिहास के पन्नों पर रह जाएंगी। प्रदूषण का मुख्य कारण है इसमें प्रवाहित किया जाने वाला कचरा और दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक कारण है। प्रतिदिन पूजा के बाद के अवशेष इसमें बहाए जाते हैं। साथ ही स्नान, कपड़े धोने, जानवरों को नहलाने, शवों को जलाकर राख प्रवाहित करने से भी गंदगी लगातार बढ़ रही है। यदि नदियों में कचरा प्रवाहित होना बंद हो जाए तो इनका पानी खुद साफ हो सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नदियों में एक प्रकार का जीव पाया जाता है जो पत्थरों को जोड़कर है पानी को फिल्टर करता है। यह प्रकृति का ही एक स्वरूप है जिससे नदियां स्वयं को स्वच्छ रखती हैं लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें कमी के चलते नदियों में स्वयं की स्वच्छ करने की क्षमता में भी कमी आई है।

नदी के बेसिन का भी कम महत्व नहीं

नदी के प्रवाह को जीवन देने का असल काम नदी बेसिन की छोटी-बड़ी वनस्पतियां और उससे जुड़ने वाली नदियां, झरने, लाखों तालाब और बरसाती नाले करते हैं। इन सभी को समृद्ध रखने की योजना बनानी चाहिए। हर नदी बेसिन की अपनी एक अनूठी जैव विविधता और भौतिक स्वरूप होता है। ये दोनों ही मिल कर नदी विशेष के पानी की गुणवत्ता तय करते हैं। नदी का ढाल, तल का स्वरूप, उसके कटाव, मौजूद पत्थर, रेत, जलीय जीव-वनस्पतियां मिल कर तय करते हैं कि नदी का जल कैसा होगा। नदी प्रवाह में स्वयं को साफ कर लेने की क्षमता का निर्धारण भी ये तत्त्व ही करते हैं। पर्यावरणविद् कहते हैं गाद-सफाई के नाम पर नदियों के तल को जेसीबी लगा कर छीलने, प्रवाह की तीव्रता के कारण मोड़ों पर स्वाभाविक रूप से बने आठ-आठ फुट गहरे कुंडों को खत्म करने, वनस्पतियों को नष्ट करने से बचना चाहिए। इसका नदियों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। नदी जलग्रहण क्षेत्र में रोजगार के कुटीर और अन्य वैकल्पिक साधनों को लेकर पुख्ता कार्ययोजना होनी चाहिए।

ये भी सोचें

वर्ष 1932 में पहली बार कमिश्नर हॉकिन्स ने बनारस के नाले को गंगा में मिलाने का एक आदेश दिया। मालवीय जी की असहमति के बावजूद वह लागू हुआ। इससे पहले नदी में नाला मिलाने का कोई उदाहरण शायद ही हो। क्या हमें तय नहीं करना चाहिए कि पहले कचरे को नदी में मिलाने ही नहीं दिया जाएगा, कचरे का निस्तारण उसके मूलस्रोत पर ही किया जाएगा? आज हम कचरा-जल नदी में और ताजा जल नहरों में बहा रहे हैं। यह सिद्धांत विपरीत है। इसे उलट दें। ताजे स्वच्छ जल को नदी में बहने दें और कचरा-जल को शोधन के बाद नहरों में

जाने दें। यह क्यों नहीं हो सकता? सामुदायिक व निजी सेप्टिक टैंकों पर पूरी तरह कामयाब मलशोधन प्रणालियां भारत में ही मौजूद हैं। बंगलुरु के हनी सर्कर्स सेप्टिक टैंक से मल निकाल कर कंपोस्ट में तब्दील कर नदी भी बचा रहे हैं और खेती भी। भारत सरकार के रक्षा अनुसंधान विकास संगठन द्वारा ईजाद मल की जैविक निस्तारण प्रणाली को देखें, पता चलेगा कि हर नई बसावट, सोसाइटी फ्लैट्स तथा व्यावसायिक परिसरों आदि को सीवेज पाइपलाइन से जोड़ने की जरूरत ही कहां है?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।)

ईमेल- sanjayratan@gmail.com

असम के कामाख्या मंदिर में स्वच्छता पहल

असम के गुवाहाटी में पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत कामाख्या मंदिर के लिए स्वच्छता



कार्ययोजना (क्लीन-अप एक्शन प्लान) का असम सरकार के सहयोग से औपचारिक शुरुआत की है। यह कार्यक्रम केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और स्वच्छता मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर और असम के मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा शुरू किया गया। इस अवसर पर मंदिर के परिसर में साफ-सफाई के प्रतीक के रूप में अत्याधुनिक स्वीपिंग मशीनों का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के चरण-1 के तहत 100 प्रतिष्ठित स्थानों की स्वच्छता संबंधी पहल के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित स्थानों में कामाख्या मंदिर का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने असम की जनता से इस पवित्र स्थान को भारत का सबसे स्वच्छ स्थान बनाने के प्रधानमंत्री के विज्ञान को साकार करने में सहायता देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती पर यही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि उनका मंत्रालय चयन किए गए प्रतिष्ठित स्थानों को पूरी तरह "स्वच्छ" बनाने में सभी प्रकार की आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी 10 प्रतिष्ठित स्थान समयबद्ध रूप से साफ-सफाई का मॉडल बन जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान असम के मुख्य सचिव ने 3,6,9 और 12 महीने की समय-सीमा के लिए तैयार की गई कार्ययोजना के बारे में एक प्रस्तुति पेश की। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री से मंदिर की साफ-सफाई के काम के लिए निगरानी समिति का गठन

करने का अनुरोध किया और उस समिति की अध्यक्षता का दायित्व वहन करने की इच्छा व्यक्त की। आखिर में उन्होंने कहा कि असम सरकार ने पहले-पहल इस कार्यक्रम की शुरुआत की है और वह इसका कार्यान्वयन भी जल्द से जल्द पूर्ण करेगी।

भारत सरकार, ने अपने 'स्वच्छ भारत मिशन' के माध्यम से विरासत, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भारत भर में "प्रतिष्ठित" 100 स्थानों की साफ-सफाई पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक बहु हितधारक पहल का प्रस्ताव किया है। इनमें से दस स्थानों का चयन सीखने और प्रदर्शन के आधार पर प्रायोगिक रूप में किया गया है। ये 10 स्थान भारत के सबसे ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण विरासत वाले स्थानों में से हैं। इनमें अजमेर (राजस्थान) में अजमेर शरीफ दरगाह, मुंबई (महाराष्ट्र) में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अमृतसर (पंजाब) में स्वर्ण मंदिर, पुरी (ओडिशा) में जगन्नाथ मंदिर, गुवाहाटी (असम) में कामाख्या मंदिर, वाराणसी (उत्तर प्रदेश) में मणिकर्णिका घाट, मदुरै (तमिलनाडु) में मीनाक्षी मंदिर, आगरा (उत्तर प्रदेश) में ताजमहल, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम और कटरा (जम्मू और कश्मीर) में वैष्णो देवी शामिल हैं।

हमारे असली चैंपियन हैं विद्यार्थी



स्वच्छ भारत मिशन— ग्रामीण शौचालयों के निर्माण से नहीं, बल्कि व्यवहार में बदलाव लाने से संबंधित है। अगर व्यवहार में बदलाव आएगा, तो निर्माण कार्य भी सहज रूप से होने लगेगा। यह कहना है छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले की जिला पंचायत के सीईओ, सर्वेश्वर भूरे का।

इस मिशन के साथ लगभग दो साल से काम कर रहे श्री भूरे और उनकी टीम ने सामाजिक संघटन और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है। इस संदर्भ में उन्होंने घर-घर जाकर सर्वेक्षण करने से पहले खुद को समुदाय के साथ जोड़ा है और उसके साथ संपर्क साधा है।

वर्तमान में, उनके पास 200 उत्साही स्वयंसेवक मौजूद हैं, जो उनकी सहायता करते हैं। इसके अलावा, उन्होंने समाज के सभी तबकों—धार्मिक नेताओं, जाति से संबंधित नेताओं और सरोकार रखने वाले अन्य समूहों के लोगों को साथ जोड़ा है तथा स्वच्छता एवं साफ-सफाई के मामलों पर समाज में व्यापक पैमाने पर चर्चा करने के लिए उनसे सहयोग मांगा है।

श्री भूरे ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कलेक्टरों के सम्मेलन के दौरान इस बात की पुष्टि करते हुए कहा था, “इससे यकीनन मदद मिली है और इसके नतीजे चौंकाने वाले हैं।” इस सम्मेलन में एसबीएम के दूत एवं महान क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर भी मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि वैसे असली चैंपियन तो विद्यार्थी हैं। जुलाई

15, को जिले के 1738 स्कूलों के लगभग 1.38 लाख छात्रों ने पत्र लेखन अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने अपने माता-पिता से घर में शौचालय बनवाने की अपील की थी। यह असहाय लड़कियों की गरिमा और गर्व की रक्षा करने का विनम्र प्रयास था।

इसके परिणाम अनुमान से बेहतर रहे और 48,000 परिवारों ने शौचालय बनवाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। इतना ही नहीं, 3 महीने की अवधि के दौरान एक ब्लॉक की 96 पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाया गया। श्री भूरे ने यह भी बताया कि जिले में साफ-सफाई की कवरेज में 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

जहां तक त्योहारों का प्रश्न है, एसबीएम नेताओं ने स्वच्छता के संदेश का प्रसार करने के प्रयासों के तहत प्रत्येक त्योहार को—चाहे वह होली, राखी या दिवाली हो, स्वच्छता से जोड़ दिया है। प्रशासन भी उन स्वयंसहायता समूहों के साथ सक्रियता से कार्य कर रहा है, जो जागरूकता फैलाने, प्रेरित करने और राजगिरी के काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

श्री भूरे ने बताया, “हमारे पास 100 से ज्यादा महिलाएं हैं, जो शौचालयों के निर्माण में कुशल हैं।” जिस रफ्तार से गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, कबीरधाम दिसम्बर 2016 तक खुले में शौच करने से मुक्त हो जाएगा। उन्होंने बताया, “प्रत्येक गांव में कार्य प्रगति पर है, इसलिए ज्यादातर चीजें व्यवस्थित हैं।”

स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार



महात्मा के विचार

नगर पालिकाओं तथा स्थानीय बोर्डों द्वारा प्रमुख कांग्रेसी नेताओं का अभिनंदन करने का जो चलन अब स्थायी होता दिख रहा है, उसके कारण मुझे लगभग पूरे भारत में नगर पालिकाओं के कामकाज का तरीका पता चला है। इतनी नगर पालिकाओं को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि उनके सामने सबसे बड़ी समस्या स्वच्छता की है। मैं जानता हूँ कि यह बहुत बड़ी समस्या है। कुछ राष्ट्रीय आदतें इतनी खराब होती हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता फिर भी वे हमारे भीतर इतनी गहराई तक बैठ रही हैं कि उन्हें मिटाया नहीं जा सकता। मैं जहां भी जाता हूँ, किसी न किसी रूप में गंदगी दिख जाती है। पंजाब और सिंध में स्वास्थ्य के बुनियादी नियमों को भी अनदेखा करते हुए हम अपनी छतों को गंदा रखते हैं, जिन पर बीमारी फैलाने वाले करोड़ों कीटाणु पनपते हैं और मक्खियों के झुंड पैदा होते हैं। दक्षिण में हम अपनी सड़कों को गंदा करने में बिल्कुल नहीं हिचकते और सुबह-सुबह किसी भी शिष्ट व्यक्ति के लिए उन सड़कों से गुजरना असंभव है क्योंकि लोग उनके किनारे कतार में बैठे शौच करते रहते हैं, जबकि यह काम एकांत में और ऐसे स्थानों पर करने का है, जहां मनुष्य आता-जाता नहीं हो। बंगाल में यही कहानी किसी दूसरे रूप में दिखती है; जिस तालाब में लोग अपनी गंदगी, अपने बर्तन धोते हैं और जिसमें पशु पानी पीते हैं, उसी तालाब से पीने का पानी भी लिया जाता है। और यहां कच्छ में महिलाओं और पुरुषों को वह सब करने में कोई परेशानी ही नहीं, जो मैंने मद्रास में देखा था। ये लोग अबोध नहीं हैं; अशिक्षित नहीं हैं; कई लोग तो विदेश भी जा चुके हैं। उन्हें बेहतर जानकारी होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। और किसी को उन्हें स्वच्छता के बारे में बताने की जरूरत भी महसूस नहीं होती। नगर पालिकाओं का यह विशेषाधिकार है या होना चाहिए कि अपनी सीमाओं के भीतर गंदगी के सफाये को वे अपना मुख्य दायित्व बनाएं। अगर हमें शहरों में रहना है, अगर हमें व्यवस्थित जीवन जीना है, अगर हमें स्वास्थ्य और ज्ञान में वृद्धि करनी है तो हमें कभी न कभी गंदगी से छुटकारा पाना ही होगा। जितना जल्दी पाएं, उतना बेहतर है। स्वराज हासिल करने तक सब कुछ टालने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें तो निस्संदेह तभी हो पाएंगी, जब स्वराज की हम सबकी आकांक्षा पूरी होगी। लेकिन अगर हम वह सब नहीं करते हैं, जो आज भी उतनी ही आसानी से हो सकता है, जितना स्वराज आने के बाद और जो संगठित एवं सभ्य राष्ट्रीय जीवन का प्रतीक है तो हमें स्वराज कभी हासिल नहीं होगा। हमारी नगर पालिकाओं से बेहतर और अधिक तेजी के साथ कोई भी संस्था इस समस्या को दूर नहीं कर सकती। जहां तक मुझे पता है, उनके पास वे सभी अधिकार हैं, जिनकी इसके लिए जरूरत है और जरूरत पड़ने पर उन्हें और अधिकार भी मिल सकते हैं। अक्सर इच्छाशक्ति की ही कमी आड़े आ जाती है। ऐसा नहीं है कि उस नगर पालिका को बने रहने का अधिकार ही नहीं है, जिसके पास आदर्श शौचालय नहीं हों और जिसकी सड़कें-गलियां दिन-रात चमचमाती न हों। लेकिन नगर पालिकाओं और स्थानीय बोर्डों के सदस्यों के अथक प्रयास के बगैर सुधार नहीं हो सकता। सभी नगर पालिकाओं को एक साथ रखने और तब तक इंतजार करने से, जब तक हरेक काम करना शुरू नहीं कर देती, सुधार हमेशा के लिए टल जाएगा। जिनके भीतर इच्छा और क्षमता है, उन्हें सही ढंग से सुधार का काम फौरन शुरू करने दें, बाकी खुद ही हो जाएगा।

यंग इंडिया (29 अक्टूबर, 1935) के अंश

स्रोत: कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी, खंड: 28, पृष्ठ: 400-402

ग्रामीण स्वच्छता और गांधीजी

—डॉ. राजीव रंजन गिरि

प्रश्न उठता है कि हमारे गांवों की ऐसी दशा क्यों थी? गांधीजी के मुताबिक इसका कारण है, 'श्रम और बुद्धि के बीच अलगाव।' इसीलिए हम 'गांवों के प्रति लापरवाह हो गए हैं।' हमारी सभ्यता-संस्कृति का जिस दिशा में विकास हुआ है उसमें मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच खाई बढ़ती गई है। आलम यह है कि मानसिक श्रम को शारीरिक श्रम की तुलना में श्रेष्ठ भी मान लिया गया है। नतीजतन बौद्धिक श्रम करने वालों को श्रेष्ठ और शरीर श्रम करने वालों को हेय मानने की समझ विकसित हुई है। गांधीजी श्रम-विभाजन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न लापरवाही को 'गुनाह' का दर्जा देते हैं।


गांव, गांव के लोग और ग्रामीण समाज महात्मा गांधी के चिंतन-दर्शन के केन्द्र में रहे हैं। भारत की आत्मा, चरित्र, प्रकृति एवं मनोभूमि को देखने-समझने के लिए वे बार-बार गांव पर जोर देते रहे हैं। यही वजह है कि सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने के पश्चात जब भी उन्होंने भारत के बारे में विचार किया गांव उनकी चिंता से ओझल नहीं हुए। गांधीजी के चिंतन और चिंता के साथ ही भावी भारत के उनके स्वप्न की बुनियाद में भी गांव हैं। लिहाजा यह कहना सही होगा कि उनकी कामना जमीन पर कितनी फलीभूत हुई, इसे परखना हो तो देखना होगा कि बुनियाद कितनी बुलंद है। गांव, ग्रामीण लोग और ग्रामीण समाज की बुलंदी के आधार पर गांधीजी के 'सपनों का भारत' का मूल्यांकन किया जा सकता है।

शारीरिक श्रम, सामुदायिक जीवन एवं प्रकृति पर निर्भरता ग्रामीण जीवन के ऐसे आयाम हैं, जो गांधीजी को भाते थे। परन्तु ऐसा नहीं है कि उन्हें गांव, ग्रामीण लोग एवं समाज में सब कुछ सुन्दर ही दिखता था। ग्रामीण समाज के व्यापक आयामों में सिर्फ स्वच्छता पर केंद्रित होकर भी देखा जा सकता है कि इस बाबत गांधीजी के विचार क्या थे। इससे यह भी जाना जा सकता है कि उनके 'सपनों का गांव' कैसा होना चाहिए।

सन 1941 में गांधीजी ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक पुस्तिका लिखी। इसका नाम रखा—'रचनात्मक कार्यक्रम—उसका रहस्य और स्थान'। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह से लेकर भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन की अगुवाई करते हुए गांधी जी ने संघर्ष और रचना को एक-दूसरे का पूरक बना दिया था। उनके नेतृत्व में चले स्वतन्त्रता संघर्ष को तब तक नहीं समझा जा सकता, जब तक किसी भी आंदोलन के पश्चात आहत रचनात्मक कार्यक्रम को एक दिशा में रखकर न देखा जाए। गांधीजी के आंदोलन और रचनात्मक कार्यक्रम स्वायत्त न होकर एक ही संरचना के अभिन्न अंग थे। 'रचनात्मक कार्यक्रम—उसका रहस्य और स्थान' की प्रस्तावना में उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'पाठकों को, फिर वे कार्यकर्ता और स्वयंसेवक हों या न हों, निश्चित रूप से यह समझ लेना चाहिए कि रचनात्मक कार्यक्रम ही पूर्ण स्वराज या मुकम्मल आजादी को हासिल करने का सच्चा और अहिंसक रास्ता है। उसकी पूरी-पूरी सिद्धि ही सम्पूर्ण स्वतंत्रता है।' गांधीजी ने अठारह आयामों को इसमें शामिल किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये अठारह कार्यक्रम ही 'पूर्ण स्वराज्य' हासिल करने के वास्तविक और अहिंसक

मार्ग हैं। इतना ही नहीं इनकी 'पूरी-पूरी सिद्धि ही सम्पूर्ण स्वतंत्रता' है। आशय यह कि ये रचनात्मक कार्यक्रम साधन भी हैं और साध्य भी। इन्हीं महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में एक है—गांवों की सफाई। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि गांधी दर्शन में ग्रामीण स्वच्छता की किस कदर अहमियत है।

स्वच्छता के मामले में हमारे गांव कैसे थे? देश के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करने वाले गांधीजी का अनुभव क्या कहता है? उन्होंने बताया है कि 'देश में जगह-जगह सुहावने और मनभावन छोटे-छोटे गांवों के बदले हमें



घूरे-जैसे गांव देखने को मिलते हैं।' इन गांवों के बारे में वे पूरी साफगोई से कहते हैं कि 'बहुत से या यों कहिए कि करीब-करीब सभी गांवों में घुसते समय जो अनुभव होता है, उससे दिल को खुशी नहीं होती।' इसकी वजह क्या है? गांव को केंद्र में रखकर अपना स्वप्न रचने वाले गांधीजी गांवों के बारे में ऐसा खयाल क्यों रखते हैं? कारण है अतिशय गन्दगी और इससे जनित बदबू। उन्होंने लिखा है कि 'गांव के बाहर और आसपास इतनी गंदगी होती है और वहां इतनी बदबू आती है कि अक्सर गांव में जाने वाले को आंख मूंदकर और नाक दबाकर जाना पड़ता है।' (रचनात्मक कार्यक्रम— पृष्ठ-27) प्रसंगवश, दो दशकों से अधिक समय तक बाहर रहने के पश्चात जब 1915 में गांधीजी ने स्वदेश वापसी की और अपने राजनीतिक गुरु गोपालकृष्ण गोखले के आदेश पर साल भर भारत भ्रमण किया तो सार्वजनिक प्रश्नों पर मौन रखा। एक वर्ष बाद बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के उद्घाटन के अवसर पर अपना पहला सार्वजनिक भाषण 4 फरवरी 1916 को किया। इस बहुचर्चित भाषण में भी उन्होंने स्वच्छता का प्रश्न खड़ा किया और इसे स्वराज के साथ जोड़ा। गांव और शहर की गलियां ही नहीं, बड़े-बड़े मंदिरों के आसपास की बदबूदार गंदी गलियों की तरफ

ध्यान आकृष्ट करते हुए उन्होंने कहा था कि 'स्वराज की दिशा में बढ़ने के लिए हमें बिना शक ये सारी बातें सुधारनी चाहिए।' (पुरुषार्थ, त्याग और स्वराज—मो. क. गांधी, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, नई दिल्ली, संस्करण 2014, पृष्ठ 30–32) (1)

प्रश्न उठता है कि हमारे गांवों की ऐसी दशा क्यों थी? गांधीजी के मुताबिक इसका कारण है, 'श्रम और बुद्धि के बीच अलगाव।' इसीलिए हम 'गांवों के प्रति लापरवाह हो गए हैं।' हमारी सभ्यता—संस्कृति का जिस दिशा में विकास हुआ है उसमें मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम के बीच खाई बढ़ती गई है। आलम यह है कि मानसिक श्रम को शारीरिक श्रम की तुलना में श्रेष्ठ भी मान लिया गया है। नतीजतन बौद्धिक श्रम करने वालों को श्रेष्ठ और शरीर श्रम करने वालों को हेय मानने की समझ विकसित हुई है। गांधीजी इस श्रम—विभाजन और इसके परिणामस्वरूप उत्पन्न लापरवाही को 'गुनाह' का दर्जा देते हैं।

गांधीजी ने सफाई के प्रसंग में भारत के लोगों में जो दोहरी मानसिकता महसूस की, वह थी व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई में भेद। 8 फरवरी, 1934 के 'हरिजन' में कुछ विदेशी लेखकों के हवाले से लिखा कि व्यक्तिगत सफाई के पालन में दुनिया में भारत संभवतः सबसे आगे है। लेकिन यह फर्क भी रेखांकित किया है कि गांवों या सार्वजनिक सफाई के बारे में स्थिति बिलकुल उलट है। हालत यह है कि 'लोग अपने खुद के घर को तो साफ—सुथरा रखेंगे, लेकिन पड़ोसी के घर की सफाई में कोई दिलचस्पी नहीं लेंगे।' दिलचस्पी न लेने तक ही यह सीमित नहीं है अपितु गांधीजी का भी यह मानना है कि 'वे अपने घर के आंगन को कूड़ा—करकट, कीड़े—मकोड़ों और जीव—जंतुओं से बचाएंगे, किन्तु इन सबको पड़ोसी के आंगन में फेंक देने में उन्हें संकोच नहीं होगा।' ऐसा बुरा हाल 'व्यक्तिगत जिम्मेदारी' और 'सामूहिक जिम्मेदारी' के मध्य भेद का प्रमाण है। बकौल गांधीजी 'सामूहिक जिम्मेदारी के अभाव का नतीजा यह हुआ है कि हमारे गांव कूड़े के ढेर बन गए हैं।' प्रदत्त संस्कारों, व्रत—अनुष्ठानों के कारण लोग व्यक्तिगत सफाई, अपने घर की सफाई करते हैं, लेकिन 'हमने राष्ट्रीय या सामाजिक सफाई को न तो जरूरी गुण माना और न उसका विकास ही किया। यों रिवाज के कारण हम अपने ढंग से नहा भर लेते हैं, मगर जिस नदी, तालाब या कुएं के किनारे हम श्राद्ध या वैसी ही कोई दूसरी धार्मिक क्रिया करते हैं, और जिन जलाशयों में पवित्र होने के विचार से हम नहाते हैं, उसके पानी को बिगाड़ने या गंदा करने में हमें कोई हिचक नहीं होती।' (रचनात्मक कार्यक्रम, पृष्ठ 27–28)

गांधीजी की दृष्टि में जितनी जरूरी व्यक्तिगत सफाई है उतनी ही सामूहिक स्तर पर होने वाली सार्वजनिक जगहों की सफाई भी है। हमारा जीवन रोगरहित हो, इसके लिए सामूहिक स्तर पर सार्वजनिक सफाई अनिवार्य है। सार्वजनिक कुआं, तालाब की अहमियत हमारे समाज में रही है। इसकी पूरी उपयोगिता के बावजूद बहुधा इसकी सफाई के प्रति सामाजिक लापरवाही व्यक्त हो रही है। 15 फरवरी, 1935 के 'हरिजन सेवक' में उन्होंने जल की स्वच्छता को आरोग्य शास्त्र से जोड़ कर बताया। उन्होंने लिखा कि "आरोग्य विज्ञान इस

विषय में एकमत है कि पानी की सफाई के संबंध में गांव वालों की उपेक्षा—वृत्ति ही उनकी बहुत सी बीमारियों का कारण है।" गांधीजी का अनुभव था कि गांव के तालाबों से स्त्री और पुरुष सब स्नान करने, कपड़े धोने, पानी पीने तथा भोजन बनाने का काम लिया करते हैं। बहुत से गांवों के तालाब पशुओं के काम भी आते हैं। बहुधा इनमें भैंसें बैठी पायी जाती हैं। इस गंदगी को देख कर उन्हें अचरज होता था। उन्होंने लिखा कि "तालाबों का इतना पापपूर्ण दुरुपयोग होते रहने पर भी महामारियों से गांवों का नाश अब तक क्यों नहीं हो पाया है?" गांधी जी स्वच्छता—अस्वच्छता को पुण्य—पाप की कोटि में विभाजित कर समझाते हैं। पुण्य और पाप जैसे बिम्बों का प्रयोग आधुनिक मानस को अटपटा लग सकता है। ऐसा लग सकता है कि स्वच्छता को स्वास्थ्य एवं दायित्व—बोध से जोड़ने के साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? व्यक्तिगत एवं अपने घर—परिवार की सफाई के प्रति सचेत एवं सार्वजनिक—सामाजिक स्वच्छता के प्रति ग्रामीण समाज के सामान्य बोध के लिहाज से ऐसे बिंब प्रचलित हैं और सहज भी। ऐसे बिंब सार्वजनिक तालाब के दुरुपयोग को बड़ा फलक प्रदान करते हैं।

गांधीजी के लिए स्वच्छता सिर्फ स्वास्थ्य से संबद्ध नहीं है। वे इसे समूचे पर्यावरण से जोड़ कर देखते हैं। गंदगी से पूरी पारिस्थितिकी प्रभावित होती है। पर्यावरण का संतुलन बिगाड़ने में इसका भी योगदान होता है। पर्यावरण को प्रदूषित करने का खामियाजा समस्त जीव—जगत को उठाना पड़ता है। महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते। पृथ्वी के सबसे विवेकवान मनुष्य ही ऐसा करते हैं। गांधीजी ने लिखा है कि "अपनी गंदी आदतों से हम अपनी पवित्र नदियों के किनारे बिगाड़ते हैं, मक्खियों की पैदाइश के लिए बढ़िया जमीन तैयार करते हैं। परिणाम यह होता है कि हमारी दण्डनीय लापरवाही के कारण जो मक्खियां खुले मैले पर बैठती हैं, वे ही हमारे नहाने के बाद हमारे शरीर पर बैठती हैं और उसे गंदा बनाती हैं।" (मेरे सपनों का भारत—गांधीजी, नवजीवन प्रकाशन मंदिर, अहमदाबाद, अगस्त 2013, पृ. 179) गांधीजी के मुताबिक जहां—तहां शौच के लिए बैठ जाना, नाक साफ करना या सड़क पर थूकना ईश्वर और मानव—जाति के लिए अपराध है और दूसरों के प्रति लिहाज की दयनीय कमी प्रकट करता है। जो आदमी अपनी गंदगी को ढकता नहीं, वह भारी सजा का पात्र है, फिर चाहे वह जंगल में ही क्यों न रहता हो। स्पष्ट है कि गंदगी चाहे घनी आबादी में फैलाई जाए या गांव—करबे से दूर जंगल में, वह अक्षम्य है। उनकी नज़र में ऐसी गंदगी फैलाना न सिर्फ मनुष्य जाति बल्कि ईश्वर के खिलाफ अपराध है। जाहिर है गांधीजी गंदगी को कितना संगीन समझते थे।

गांधीजी ग्रामीण अस्वच्छता को लेकर मात्र चिंता प्रकट नहीं करते अपितु निदान की राहें भी सुझाते हैं। 15 फरवरी, 1935 के 'हरिजन सेवक' में वे कहते हैं कि "सब प्रकार का कूड़ा—करकट हटाकर स्वच्छ बना लेना चाहिए। फिर उस कूड़े का वर्गीकरण कर देना चाहिए। इसमें से कुछ का तो खाद बनाया जा सकता है, कुछ को सिर्फ जमीन में गाड़ देना भर काफी होगा और कुछ हिस्सा ऐसा होगा कि जो सीधा सम्पत्ति के रूप में परिणत किया जा सकेगा। वहां मिली हुई

प्रत्येक हड्डी एक बहुमूल्य कच्चा माल होगी, जिससे बहुत-सी उपयोगी चीजें बनाई जा सकेंगी, पीसकर कीमती खाद बनाया जा सकेगा। फटे-पुराने चिथड़ों तथा रद्दी कागजों से कागज बनाए जा सकते हैं और इधर-उधर से इकट्ठा किया हुआ मलमूत्र गांव के खेतों के लिए सुनहले खाद का काम देगा।" गंदगी फैलाने वाले अवशिष्ट भी इस प्रकार उपयोगी साबित होंगे। साथ ही उर्वराशक्ति बढ़ाएंगे और अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे। गांधीजी न सिर्फ सलाह देते हैं बल्कि अमल में लाने का तरीका भी सुझाते हैं। उन्होंने लिखा है कि "मलमूत्र को उपयोगी बनाने के लिए यह करना चाहिए कि उसके साथ-चाहे वह सूखा हो या तरल-मिट्टी मिलाकर ज्यादा से ज्यादा एक फुट गहरा गड्ढा खोद कर जमीन में गाड़ दिया जाए।" वे डॉ. पूअर के हवाले से बताते हैं कि जमीन में मलमूत्र को नौ या बारह इंच से अधिक गहरा नहीं गाड़ना चाहिए क्योंकि जमीन की ऊपरी सतह सूक्ष्म जीवों से परिपूर्ण होती है और हवा एवं रोशनी की सहायता से-जोकि आसानी से वहां तक पहुंच जाती है- ये जीव मलमूत्र को एक हफ्ते के अंदर एक अच्छी, मुलायम और सुगंधित मिट्टी में बदल देते हैं।



रचते हैं। हमारी सोच का हिस्सा बन गया है कि गंदगी साफ करने वाले कमतर होते हैं जबकि गंदा फैलाने वाले श्रेष्ठ। गांधीजी के स्वच्छता संबंधी विचार इसका मजबूत प्रत्याख्यान रचते हैं।

गांधीजी द्वारा सुझाया उपाय ऐसा नहीं होता जिसमें बड़ी पूंजी लगती हो। ऐसा भी नहीं है कि किसी तरह के अधिक संसाधन की आवश्यकता हो, मानव संसाधन भी नहीं। इसे गांववासी व्यक्तिगत स्तर पर भी कर सकते हैं और सामूहिक स्तर पर भी। वे साफ-साफ शब्दों में कहते हैं कि कोई भी ग्रामीण स्वयं इस बात की सच्चाई का पता लगा सकता है, प्रयोग कर जांच सकता है। मलमूत्र से खाद बनाने की प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि "यह कार्य दो प्रकार से किया जा सकता है। या तो पखाने बनाकर इनमें शौच जाने के लिए मिट्टी तथा लोहे की बाल्टियां रख दी जाएं और प्रतिदिन उन बाल्टियों को पहले से तैयार की हुई जमीन में खाली करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए, या जमीन में चौरस गड्ढा खोदकर सीधे मलमूत्र का त्याग करके ऊपर से मिट्टी डाल दी जाए। यह मलमूत्र या तो देहात के सामूहिक खेतों में गाड़ा जा सकता है या व्यक्तिगत खेतों में।" गांधीजी के बताए इस कार्य के लिए आवश्यक है दृढ़ संकल्प। मजबूत इरादे के सहारे कोई व्यक्ति भी यह कर सकता है और ग्रामीण समाज भी। ऐसा करने से ग्रामवासी अपने वातावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाएंगे। गांधीजी बताते हैं कि "कोई भी उद्योगी ग्रामवासी कम से कम इतना काम तो खुद भी कर सकता है कि मलमूत्र को एकत्र करके उसको अपने लिए सम्पत्ति में परिवर्तित कर दे। आजकल तो यह सारा कीमती खाद जो लाखों रुपये के कीमत का है, प्रतिदिन व्यर्थ जाता है और बदले में हवा को गंदी करता तथा बीमारियां फैलाता है।" कहना होगा कि ऐसा प्रस्तावित कर गांधीजी गंदगी को जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था, प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ जोड़ते हैं। इसमें एक नई संस्कृति निर्मित करने का नेक विचार भी अनुस्यूत है। इस संस्कृति में शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम के बीच अलगाव नहीं होगा। नई कार्य संस्कृति को जन्म देने में सफल ये विचार हमारी लापरवाही और सार्वजनिक स्वच्छता को लेकर गैर-जिम्मेदार सामूहिक समझ का प्रतिरोधी विमर्श

गांधीजी के स्वच्छता संबंधी विचारों की खासियत यह भी है कि इसे लागू करने के लिए बाहर से आए व्यक्तियों की जरूरत नहीं है। जहां गंदगी है, वहीं के लोग इसे स्वच्छ बनाएंगे। उन्होंने ग्रामीण स्वच्छता के लिए ग्रामसेवक, राजनीतिक-सामाजिक कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत पर जोर दिया है। स्पष्ट है कि सभी गांव की सीमा में रहने वाले लोग हैं। इस सोच की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें सफाई के लिए किसी खास समुदाय की तरफ संकेत मात्र भी नहीं किया गया है। इसके हिसाब से सफाई सबका निजी एवं सार्वजनिक कर्म और धर्म होना चाहिए। इसके आरंभ के लिए वे जिस तबके की तरफ इशारा करते हैं और जिससे सर्वाधिक अपेक्षा करते हैं-वह हैं कार्यकर्ता। राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में गांधीजी की प्रेरणा-प्रभाव से कार्यकर्ताओं की पूरी फौज तैयार हुई थी। हालांकि वे भी प्रदत्त सामान्य बोध के असर में थे इसीलिए गांधीजी को कहना पड़ा कि "अगर ऐसे उत्साही कार्यकर्ता मिल जाएं, जो झाड़ू और फावड़े को भी उतने ही आराम और गर्व के साथ हाथ में ले लें जैसे कि कलम और पेंसिल लेते हैं, तो इस कार्य में खर्च का कोई सवाल नहीं उठेगा। अगर किसी खर्च की जरूरत पड़ेगी भी तो यह केवल झाड़ू, फावड़ा, टोकड़ी, कुदाली और शायद कुछ कीटाणुनाशक दवाईयां खरीदने तक ही सीमित रहेगा। सूखी राख संभवतः उतनी ही अच्छी कीटाणुनाशक दवा है, जितनी कोई रसायनशास्त्री दे सकता है।"


गांधी जी के सपनों का गांव बिलकुल स्वच्छ एवं आत्मनिर्भर होगा। दरअसल उनके चिंतन में जिस गांव और ग्रामीण समाज की बार-बार चर्चा मिलती है, वह कल्पित है। यह गांधी जी का स्वप्न लोक है, जिसे समझे बगैर उनकी आलोचना होती है।

(लेखक गांधी साहित्य के विद्वान हैं और गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति द्वारा प्रकाशित 'अंतिम जन' पत्रिका से जुड़े रहे हैं।)
ई-मेल: rajiv.giri19@gmail.com

भविष्य के IAS, IPS तथा IRS अधिकारियों की मार्गदर्शिका
सिविल सेवा परीक्षा

की तैयारी के लिये आपके सशक्तिकरण हेतु उपयोगी पुस्तकें

मूल्य: ₹ 395/-



ISBN: 9789352602308

मूल्य: ₹ 395/-



ISBN: 9789352602322

मूल्य: ₹ 595/-



ISBN: 9789352602452

मूल्य: ₹ 595/-



ISBN: 9789352602285

मूल्य: ₹ 715/-



ISBN: 9780070144859

मूल्य: ₹ 265/-



ISBN: 9789352601660

मूल्य: ₹ 240/-



ISBN: 9780070660328

मूल्य: ₹ 195/-



ISBN: 9789339219093

शीघ्र प्रकाशित



ISBN: 9789352603657



ISBN: 9789352603664



ISBN: 9789352602292

मूल्य: ₹ 425/-



ISBN: 9789339220341

Prices are subject to change without prior notice.

मैकग्रॉ हिल एजुकेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

बी-4, सैक्टर 63, जनपद गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201 301

टोल फ्री नं०: 1800 103 5875 | ई-मेल: reachus@mheducation.com | खरीदें @ www.mheducation.co.in

संपर्क करें @ [f /McGrawHillEducationIN](https://www.facebook.com/McGrawHillEducationIN) [/mheducationIN](https://www.twitter.com/mheducationIN) [in /company/mcgraw-hill-education-india](https://www.linkedin.com/company/mcgraw-hill-education-india)



ग्रामीण भारत में बुनियादी सफाई का लक्ष्य

—डॉ. बिदेश्वर प्रसाद पाठक

स्वच्छता का मतलब सिर्फ साफ-सुथरा रहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ पर्यावरण के उन स्रोतों का संरक्षण करना भी है जो टिकाऊ विकास में मदद करते हैं। मगर कोई भी विकास कार्यक्रम चाहे वह कितना ही नया क्यों न हो, उससे तब तक वांछित परिणाम देने की अपेक्षा नहीं की जा सकती जब तक कि पर्यावरण की स्वच्छता की स्थिति में सुधार न हो और इसका संरक्षण न हो।

स्वच्छता का मतलब सिर्फ साफ-सुथरा रहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ पर्यावरण के उन स्रोतों का संरक्षण करना भी है जो टिकाऊ विकास में मदद करते हैं। वहीं पर्यावरण की स्वच्छता के कार्य के अंतर्गत साफ पानी की आपूर्ति, मानव मल व अपशिष्ट जल का सुरक्षित तरीके से निपटान तथा ठोस कचरे का प्रबंधन, जलजनित रोगों की रोकथाम और घरेलू व व्यक्तिगत स्वच्छता शामिल हैं।

क्या है समस्या

सारी दुनिया में 2.5 अरब लोगों को साफ-सफाई की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इनमें से 1.1 अरब लोग खुले में शौच करते हैं। जिन देशों में खुले में शौच करने का अधिक प्रचलन है उनमें से ज्यादातर वे देश हैं जिनमें पांच साल से कम उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें होती हैं, अल्पपोषण व गरीबी अत्यधिक है और गरीब-अमीर की खाई भी सबसे ज्यादा चौड़ी है।

2010 में भारतीय सांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर अनुमान लगाया गया कि भारत में 62.6 करोड़ लोग खुले में शौच करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देश की आधी से ज्यादा आबादी बुनियादी ढांचे पर आधारित स्वच्छता सुविधाओं से वंचित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार 53 प्रतिशत परिवार किसी भी तरह के शौचालय या पाखाने का इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन स्वच्छता सुविधाओं की कमी के असर को खुले में शौच के दुष्प्रभावों से भी कही ज्यादा व्यापक रूप में देखा जा सकता है। भारत के छह साल से कम उम्र के 28 प्रतिशत (2.3 करोड़) से भी अधिक बच्चे कुपोषित हैं।

उनका वजन सामान्य से कम है जिसकी सीधी वजह स्वच्छता सुविधाओं की दयनीय स्थिति को माना जाता है।

स्वच्छ भारत अभियान

2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया जिसका उद्देश्य 2019 तक देश से खुले में शौच करने की कुप्रथा का उन्मूलन करना है। इसकी शुरुआत नई दिल्ली में राजघाट से की गई जहां प्रधानमंत्री ने स्वयं सड़क की सफाई में हिस्सा लिया। स्वच्छता के इस देशव्यापी अभियान का मकसद 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करना है। गांधीजी स्वच्छता को भारत की एक प्राथमिकता बनाना चाहते थे। वर्तमान स्वच्छता अभियान का लक्ष्य, अन्य बातों के



अलावा, देश में व्यापक रूप से प्रचलित खुले में शौच करने की बुरी आदत को समाप्त करना, अधिक से अधिक संख्या में शौचालय बनाना और कूड़े-कचरे के प्रबंधन में सुधार लाना है।

कार्यक्रम के तहत अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण क्षेत्रों में 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के नाम अपने संबोधन में शौचालयों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा था— “क्या हमें कभी इस बात की पीड़ा नहीं होती कि हमारी माताओं और बहनों को खुले में शौच करना पड़ता है। गांवों में बेचारी औरतें रात होने का इंतजार करती हैं; जबतक रात नहीं हो जाए वे शौच के लिए बाहर नहीं जा सकतीं। उन्हें कितनी शारीरिक यातना का सामना करना पड़ता होगा; कितनी बीमारियों का खतरा उन्हें उठाना पड़ता होगा, इसकी हम कल्पना कर सकते हैं। क्या हम अपनी माताओं और बहनों की गरिमा की खातिर शौचालयों का इंतजाम नहीं कर सकते”

ग्रामीण भारत में स्वच्छता की समस्याएं

विकसित देशों में मानव मल के स्वच्छता से निपटान का मानक तरीका सीवरेज है। वित्तीय अड़चनों और संचालन व रखरखाव की भारी लागत की वजह से फिलहाल भारत में मानव मल के प्रबंधन की समस्या के समाधान का तरीका सीवरेज प्रणाली नहीं है। विकासशील देशों में न तो सरकार और न स्थानीय निकाय या लाभार्थी सीवेज प्रणाली के रखरखाव और संचालन की पूरी लागत का खर्च उठा सकते हैं। इसके अलावा लम्बे समय तक रखरखाव और संचालन के लिए कुशल व्यक्तियों और अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह सेप्टिक टैंक प्रणाली भी महंगी है और इसमें मानव मल को बहाने के लिए बहुत अधिक पानी की जरूरत होती है। इसके अलावा समय-समय पर सफाई कराने और कचरे के निपटान की अन्य समस्याएं भी हैं। अपशिष्ट जल-मल के निपटान की अपर्याप्त सुविधाओं के कारण मच्छर पैदा होते हैं, बदबू उठती है और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

तकनीकी उपाय

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी उपायों से ही साफ-सफाई की समस्या का समाधान हो सकता है। इसके लिए सुलभ ने किफायती लागत वाली एक-दो गड्ढे वाली क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया जिसमें पानी उड़ेल कर मानव मल को बहाया जाता है।

सुलभ के दो गड्ढे और पानी उड़ेल कर मल बहाने वाले कंपोस्ट शौचालय

सुलभ फ्लश कंपोस्ट शौचालय पर्यावरण की दृष्टि से

अनुकूल, तकनीकी लिहाज से उपयुक्त, सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से स्वीकार्य और आर्थिक दृष्टि से किफायती शौचालय हैं। यह स्वदेशी टेक्नोलॉजी है और इस तरह के शौचालयों का निर्माण स्थानीय मजदूरों और सामग्री की मदद से आसानी से किया जा सकता है। इसमें मल के उत्पन्न होने के स्थान पर ही मानव मल का सुरक्षित तरीके से निपटान कर दिया जाता है जिससे स्वास्थ्य संबंधी फायदे मिलते हैं। इसमें एक बर्तन होता है जिसकी तली की ढलान 25-28 डिग्री तक होती है और इसमें विशेष रूप से बनाया गया 20 मिलीमीटर का ट्रैप वॉटर सील का काम करता है। इसमें मानव मल को बहाने के लिए सिर्फ एक लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है जिससे यह पानी के संरक्षण में मदद करता है।

इस तरह के शौचालय के गड्ढों को साफ करने के लिए सफाई मजदूर की जरूरत भी नहीं होती। शौचालय में दो गड्ढे होते हैं जिनका आकार स्थान और उपयोग करने वालों की संख्या के अनुसार अलग-अलग होता है। प्रत्येक गड्ढे को आमतौर पर तीन साल के उपयोग के लिए बनाया जाता है। दोनों गड्ढे बारी-बारी से इस्तेमाल में लाए जाते हैं। जब एक गड्ढा भर जाता है तो बहाए जाने वाले मल को दूसरे गड्ढे की ओर मोड़ दिया जाता है। करीब दो साल में पहले गड्ढे का कचरा सड़ कर सूख जाता है और खाद बन जाता है। हानिकारक जीवाणुओं से मुक्त हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़ा हुआ कचरा गंधहीन होता है और अच्छी खाद तथा जमीन को सुधारने का काम करता है। इसे खोद कर आसानी से निकाला जा सकता है और खेती में इस्तेमाल किया जा सकता है। गड्ढे को खाली कराने की लागत को उससे निकलने वाली खाद की कीमत से कुछ हद तक वसूल हो जाती है। सुलभ शौचालयों को मकानों की ऊपरी मंजिलों में भी बनाया जा सकता है। इसमें सुधार करने की पर्याप्त गुंजाइश होती है और बाद में जरूरत पड़ने पर इसे सीवर लाइन से जोड़ा जा सकता है। सुलभ ने अब तक देश के विभिन्न भागों में 15 लाख से ज्यादा व्यक्तिगत घरेलू शौचालय बनाए हैं।

सुलभ फ्लश कंपोस्ट शौचालयों से पानी के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न नहीं होती। एक समान प्रकार की जमीन पर बनाने पर बैक्टीरिया क्षैतिज दिशा में 3 मीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकते और पानी का रिसाव भी ऊपर की दिशा में एक मीटर से अधिक नहीं होता। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एहतियाती उपाय के तौर पर ऐसे शौचालयों को पानी के स्रोत से सुरक्षित दूरी पर बनाया जाता है। चूंकि जल-मल के सड़ने से निकलने वाली गैसों भी जमीन में सोख ली जाती हैं अतः इनके निकास के लिए कोई वेंट पाइप नहीं लगाना पड़ता। जिस स्थान

लुधियाना केस स्टडी का असर

उत्तर भारत के पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में तीन बच्चों की मां 27 वर्षीय परमजीत कौर के घर में हाल में शौचालय बना है। वह इसे बहुमूल्य उपहार मानती हैं। 6000 रुपये की मासिक आमदनी वाले परमजीत कौर के परिवार के पास आधुनिक शौचालय बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह परिवार अपनी ही तरह के चार अन्य परिवारों की एक छोटी-सी बस्ती में रहता है और अन्य परिवारों में भी घर पर शौचालय सुविधा उपलब्ध नहीं है। आंशिक रूप से कंक्रीट के बने उनके घर धूलभरी मोटर रोड से सटे हैं जिस पर तेज रफ्तार ट्रकों और कारों की आवाजाही लगी रहती है। परमजीत बताती हैं कि शौचालय के उपहार से उनके परिवार की जिन्दगी ही बदल गई। “मुझे रोजाना सूरज निकलने से पहले अपने तीन बच्चों के साथ पानी की बोतलें लेकर दो किलोमीटर दूर सड़क पार के खेतों में शौच के लिए जाना पड़ता था। इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उजाला होने से पहले ही निपट जाएं ताकि कोई हमें देखने न पाए।”

उनका कहना है कि यह सब करने में बड़ा डर लगता था और शर्म भी आती थी क्योंकि अगर खेतों के मालिक हमें अपने खेतों में शौच करता देख लेते तो वे गालियां देकर वहां से भगा देते थे। इसके अलावा सांप के डसने, दूसरे जानवरों के काटने और अंधरे में किसी भी अनहोनी का भी खतरा बना रहता था। इसका बुरा असर परिवार पर पड़ रहा था। “मेरे बच्चे पेचिश, हैजे, बुखार, पेट के संक्रमण या सर्दी की चपेट में आ जाते थे। तकरीबन हर महीने हमें काफी पैसा दवाओं पर खर्च करना पड़ता था। सर्दियों में भी हमारे लिए देर तक सोना नामुमकिन था। यहां तक कि बर्फीली



हवा और कोहरे में भी सुबह-सुबह बाहर जाना पड़ता था।” अगर घर का कोई सदस्य बीमार हो जाता तो शौच के लिए जाना और भी बड़ी मुसीबत बन जाता था। ऐसे में घर के पास ही फारिंग होना पड़ता था और मैले को कुछ दूर फेंकने जाना पड़ता था। इसके अलावा बच्चे अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाते और उन्हें अध्यापक की डांट-फटकार सुननी पड़ती थी।

कुछ महीने पहले एक भारतीय बहुराष्ट्रीय व्यावसायिक कंपनी समूह भारती एंटरप्राइज की कार्पोरेट सामाजिक दायित्व इकाई भारती फाउंडेशन ने उसके और उसके पड़ोसियों के लिए मुफ्त में शौचालय बनवाने की पेशकश की। यह परियोजना 100 करोड़ रुपये लागत की उस पहल का हिस्सा है जिसके तहत लुधियाना जिले के 9,000 गांवों में 12,000 शौचालय बनाए जाने हैं। ये शौचालय सुलभ इंटरनेशनल द्वारा बनाए जा रहे हैं और वही इनका रखरखाव भी कर रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने वाला दुनिया भर में मशहूर एनजीओ है जिसे दोहरे गड्ढे और पानी उड़ेल कर मैला बहाने वाले किफायती शौचालयों के निर्माण का 40 साल का अनुभव है।

केस स्टडी दो : हिरमथला

हिरमथला हरियाणा के मेवात जिले का एक गांव है जहां सुलभ ने स्वच्छता के बारे में जागरूकता पैदा करने और लोगों के लिए शौचालयों के निर्माण का बीड़ा उठाया। इस कार्य के लिए रेलटैल कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने अपने कार्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी कार्यक्रम के तहत घरों में 100 व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिए सुलभ को वित्तीय मदद दी। कुल लागत में लाभार्थियों का अंशदान 3000 रुपये का था जबकि 100 शौचालयों का खर्चा रेलटैल कार्पोरेशन ने और 36 का सुलभ ने उठाया। आज गांव के प्रत्येक घर में शौचालय है और गांव खुले में शौच की बुराई से मुक्त हो गया है। निर्मल ग्राम घोषित होने के बाद हिरमथला गांव को स्वच्छता के लिए पुरस्कृत भी किया गया। सुलभ ने गांव में सम्पूर्ण स्वच्छता सुविधा प्रदान की और सभी परिवारों के लिए अलग अलग शौचालय बनवाए, स्वच्छता के बारे में लोगों को जागरूक किया, स्कूलों में स्वास्थ्य और स्वच्छता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया, महिला सशक्तीकरण को प्रोत्साहित किया तथा स्वच्छता एवं सामाजिक योजनाओं की निगरानी व उन पर अमल के लिए स्वयंसहायता समूहों को सुदृढ़ बनाया।

पर शौचालय बनाया जाना है वहां के इलाके के प्रकार और मिट्टी की स्थूलता को ध्यान में रखकर निर्माण के मानदंडों में बदलाव कर लिए जाते हैं। शौचालय के गड्ढे का आकार जगह की उपलब्धता के अनुसार बढ़ाया-घटाया जा सकता है। इस तरह का शौचालय विश्व स्वास्थ्य संगठन की सैनिटरी लैट्रिन संबंधी सभी सात शर्तें पूरी करता है। (एक्सक्रीटा डिस्पोजल फॉर रुरल एरियाज एंड स्माल कम्युनिटीज; लेखक-ई.जी. वैगनर और जे.एन. लेनाइक्स, डब्ल्यू.एच.ओ., 1958, पृष्ठ 39)।

ग्रामीण स्वच्छता के बारे में सुलभ के कार्यक्रम की रूपरेखा

स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य पांच साल में 12 करोड़ शौचालय बनाने का है। इसका मतलब हुआ हर सेकेंड एक शौचालय का निर्माण। यों तो यह बड़ा भारी कार्य लगता है लेकिन नीतिगत योजना बनाकर और सामुदायिक सहयोग से इसे पूरा करना कोई असंभव कार्य नहीं लगता।

लक्ष्य

इसका लक्ष्य है भारत को 2019 तक खुले में शौच की आदत (ओडीएफ) से मुक्ति दिलाना। भारत में 686 जिले, 6849 ब्लॉक, 2.51 लाख पंचायतें और 6.46 लाख गांव हैं। जो लक्ष्य प्राप्त किया जाना है वह है करीब 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण।

धन की आवश्यकता

बारह करोड़ शौचालयों के निर्माण के लिए 3 लाख 60 हजार करोड़ रुपये की जरूरत होगी और इसमें तीन साल लगेंगे। (यह अनुमान तीन वर्षों में कीमतों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए और शौचालय की लागत 30,000 रुपये मान कर लगाया गया है। इसलिए तीन साल की इस अवधि में इसके अतिरिक्त धन की कोई आवश्यकता नहीं होगी।)

विभिन्न स्रोतों से धन

- लाभार्थियों से प्राप्त अंशदान
- सरकार से सहायता
- बैंक ऋण
- कंपनी के सामाजिक दायित्व की निधि
- भारत, विदेशों, उद्योगों और धनी लोगों से मिला चंदा
- अनिवासी भारतीय

टेक्नोलॉजी

दो गड्ढों पर आधारित पोर प्लश कंपोस्ट टॉयलेट टेक्नोलॉजी किफायती, पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल, स्वदेशी और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य प्रौद्योगिकी है और इसे आमतौर पर सुलभ शौचालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे भारत

सरकार ने तो स्वीकार और अंगीकार किया ही है, कुछ अन्य देशों जैसे चीन, वियतनाम, बंगलादेश और दक्षिण अफ्रीका में भी यह अपनायी गई है।

प्रविधि

यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है और केन्द्र सरकार अपने पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के माध्यम से भारत के 1.25 लाख से अधिक ग्रामीण बैंकों में पैसा रखेगी। पंचायतों की कुल संख्या 2.51 लाख है। इस तरह एक बैंक आसपास की दो पंचायतों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा।

वित्त पोषण का स्वरूप और प्रक्रिया

कार्यान्वयन एजेंसियों/एजेंसी का चयन उनकी विशेषज्ञता, अनुभव, बुनियादी ढांचे, वित्तीय कारोबार, प्रबंधन की क्षमता और भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के आधार पर किया जाएगा।

इस तरह एजेंसी/एजेंसियां हर पंचायत से एक व्यक्ति का चयन करेंगी जिसे मोटिवेटर यानी प्रेरक कहा जाएगा (पंचायतों की कुल संख्या 2.51 लाख)। इसका मतलब यह हुआ कि कार्यक्रम को लागू करने के लिए देशभर से 2.51 लाख प्रेरकों का चुनाव किया जाएगा। प्रेरणा तथा शिक्षा देने तथा संचार के अलावा प्रत्येक पंचायत से इस तरह से चुने गए प्रेरक दो राजमिस्त्रियों और चार मजदूरों की मदद से एक महीने में कम से कम 20 शौचालयों का निर्माण करेंगे और बाद में इनके कामकाज की जांच भी करते रहेंगे।

एक महीने में कम से कम 20 शौचालयों के निर्माण के आधार पर 3 साल में 720 शौचालयों का काम पूरा हो सकेगा। इस तरह तीन साल में 2.51 लाख पंचायतों में 18 करोड़ से अधिक (1,80,720,000) शौचालय बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर निर्माण में कुछ गड़बड़ी होगी तो भी कम से कम 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण तो पूरा हो ही जाएगा।

प्रेरक, लाभार्थियों को उनके घरों में शौचालय के निर्माण के लिए प्रेरित करेंगे और उनके राजी हो जाने पर एक फार्म भरेंगे और लाभार्थी की ओर से बैंक से धन प्राप्त करने के लिए एजेंसी को प्राधिकृत करेंगे। आवेदन प्राप्त करने और उसकी समुचित जांच के बाद बैंक 50 प्रतिशत राशि निर्माण शुरू करने के लिए अग्रिम के रूप में देगा। बैंक निर्माण कार्य की जांच करेगा और यह सुनिश्चित करने के बाद कि प्राप्त राशि से होने वाला 80 प्रतिशत कार्य पूरा कर लिया गया है, 45 प्रतिशत और राशि अग्रिम के रूप में जारी करेगा। शेष 5 प्रतिशत राशि यह सुनिश्चित हो जाने पर जारी की जाएगी कि सारा काम पूरा हो गया है। कार्यान्वयन एजेंसी को 15 प्रतिशत राशि कार्यान्वयन

शुल्क के तौर पर दी जाएगी जिसमें से 10 प्रतिशत परियोजना को लागू करने वाले स्थानीय युवा को मिलेगी।

समीक्षा

काम पूरा हो जाने पर प्रगति की समीक्षा बैंक, लाभार्थी, कार्यान्वयन एजेंसी और समन्वय एजेंसी द्वारा मिलकर की जानी चाहिए। लाभार्थी तथा निर्माण करने वाली एजेंसी द्वारा दस्तखत किया गया पूर्णता प्रमाणपत्र बैंक को भेजा जाएगा और बैंक किए गए काम की जांच के बाद धनराशि का समायोजन करेगा।

- पहले 10 प्रतिशत परिवार जिनके घरों में शौचालय नहीं हैं उन्हें सहायता से बाहर रखा गया है क्योंकि यह माना गया है कि वे पैसे वाले लोग हैं।
- करीब 5.4 करोड़ परिवारों को 1986 से सहायता या सब्सिडी पहले ही दी जा चुकी है जब शौचालय की लागत 500 रुपये हुआ करती थी। हालांकि इनमें कुछ प्रतिशत ऐसे भी हैं जिनके यहां शौचालय या तो हैं ही नहीं या फिर चालू हालत में नहीं हैं। सरकार को चाहिए कि वह उन्हें नए सिरे से सब्सिडी दे, अन्यथा वे तीन साल के भीतर अपने घरों में शौचालय नहीं बना पाएंगे।
- इस समय भारत सरकार प्रति शौचालय 12,000 रुपये का ऋण दे रही है जिससे अच्छी गुणवत्ता वाला शौचालय बनाना संभव नहीं है। इसलिए इसके लिए 50,000 रुपये तक का ऋण दिया जाना चाहिए जिससे वे अपनी पसंद का शौचालय बना सकें और लक्ष्य पूरा हो सके।
- अगर सरकार 30 हजार रुपये की सब्सिडी दे तो शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त करने की पूरी संभावना है।
- भारत में 675 जिले, 6849 ब्लॉक, 2.51 लाख पंचायतें और 6.46 लाख गांव हैं। हमारे यहां 16057 कंपनियां हैं जिनका सालाना मुनाफा 500 करोड़ रुपये से अधिक है। ये कंपनियां अपनी क्षमता के अनुसार एक गांव या एक पंचायत या एक ब्लॉक या एक जिले को शौचालयों के निर्माण के लिए अपना सकती हैं।
- हमने शौचालय की लागत 30,000 रुपये रखने का जो अनुमान लगाया है वह अगले तीन सालों, यानी 2019 तक निर्माण सामग्री की कीमतों में अवश्यंभावी बढ़ोतरी को ध्यान में रखकर लगाया है। यानी कंपनी को एक शौचालय के निर्माण के लिए उसकी लागत के कम से कम 30,000 रुपये देने होंगे। अगर किसी गांव में 200 शौचालय बनाने हैं तो लागत 60 लाख रुपये आएगी। तीन गांवों वाली पंचायत के लिए यह लागत 1.8 करोड़ रुपये होगी। इसी तरह किसी ब्लॉक या तहसील को इसके दायरे में लाने के लिए 60

करोड़ रुपये और जिले के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे। भारती फाउंडेशन ने पंजाब के एक जिले लुधियाना में इस अभियान का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। कंपनी को फैसला करना है कि वह एक शौचालय का निर्माण करेगी या एक गांव, एक पंचायत, एक ब्लॉक और एक जिले में सभी शौचालयों का निर्माण करेगी। यह काम कंपनी या संगठन के नाम से किया जाएगा। निर्णय करने से पहले कंपनी गांव के उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहेगी जिनके लिए वह शौचालयों का निर्माण करने जा रही है।

निष्कर्ष

सुलभ का काम करने का तरीका सामुदायिक भागीदारी और स्थानीय सरकारों के साथ साझेदारी पर आधारित है और इसके प्रयासों से गरीब लोगों की रिहायश वाले ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी बस्तियों में पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी सुधार आया है। सुलभ के शौचालय कभी काम करना बंद नहीं करते क्योंकि इनमें दो गड्ढे होते हैं। जब एक गड्ढे की सफाई की जा रही होती है तो दूसरा काम करता रहता है। इन शौचालयों का निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्री से किया जा सकता है और इनका रखरखाव भी आसान है। इन शौचालयों को उन्नत बनाने की भी अच्छी संभावना रहती है। सुलभ ने ऐसे 8,500 सार्वजनिक शौचालय भी बनाए हैं जिनका इस्तेमाल पैसा देकर किया जा सकता है। इनको संचालित करने के लिए चौबीसों घंटे कर्मचारी मौजूद रहते हैं। इन सार्वजनिक शौचालयों में नहाने और कपड़े धोने की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं और बच्चे, विकलांग तथा गरीब लोग इनका उपयोग निःशुल्क कर सकते हैं। इनकी बदौलत दो करोड़ लोगों को किफायती लागत पर बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं और 50,000 नए रोजगार भी पैदा हुए हैं। सुलभ के घर-घर प्रचार के अभियान से लाखों लोगों को स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा मिली है। यह संगठन स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संख्या में शौचालय खुद बनाने के लिए भी प्रेरित करता है। इसने झुग्गी-झोंपड़ी बस्तियों और अन्य इलाकों में शुल्क वाले शौचालय बनाने और उनके संचालन में मदद की है। स्वच्छता सुविधाओं की कमी की समस्या विस्तार और सघनता दोनों ही दृष्टियों से बड़ी भारी है और 50,000 से अधिक समर्पित स्वयंसेवियों वाले सुलभ परिवार ने इस चुनौती से डटकर निपटने के लिए अपने आप को फिर से समर्पित करने का संकल्प लिया है।

(लेखक सुलभ स्वच्छता और सामाजिक सुधार आंदोलन के संस्थापक, समाजशास्त्री और समाज सुधारक हैं; इन्हें कई राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं।)

ई-मेल: bindeshwarpathak@gmail.com



स्वच्छता का आर्थिक पहलू और रोजगार

—ऋषभ कृष्ण सक्सेना

स्वच्छता का बाजार एकदम बुनियादी स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार देने में काम आ सकता है। जब हम शौचालय बनाने की बात करते हैं तो शौचालयों के लिए टाइल्स बनाने वाले उद्यमियों से लेकर उपकरण फिट करने वाले प्लंबर और दीवार चुनने वाले राजमिस्त्री तक सभी को इससे रोजगार हासिल हो सकता है। रोजगार के मौके शौचालय बनाने पर ही खत्म नहीं हो जाते। हमारे देश में कई सदियों से अपशिष्ट पदार्थों से बनने वाली कंपोस्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है। ग्रामीण इलाकों में यही काम व्यावसायिक स्तर पर किया जा सकता है। इसमें उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर बायोगैस भी तैयार हो सकती है। इससे बायोगैस संयंत्रों में रोजगार के मौके ग्रामीणों को हासिल होंगे। इसके कई फायदे होंगे— गांव साफ रहेंगे, लोग बीमारियों से बचे रहेंगे, खेतों के लिए पूरी तरह जैविक खाद उपलब्ध होगी और ईंधन भी मिलेगा।

नवीनतम सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश के गांवों में 2 करोड़ से अधिक शौचालय बन चुके हैं और 70,000 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां कोई भी खुले में शौच नहीं जाता। इतने शौचालय बनने के बावजूद राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की इस साल की रिपोर्ट बताती है कि गांवों में आधे से भी अधिक लोग अब भी खुले में शौच जाते हैं। स्वच्छता को बढ़ावा देने वाले सरकारी कार्यक्रम 'स्वच्छ भारत अभियान' का प्रभाव जानने के लिए मई-जून, 2015 में कराए गए इस सर्वेक्षण में पता चला है कि ग्रामीण भारत में 52.1 प्रतिशत लोग शौचालयों का इस्तेमाल करने के बजाय खुले में शौच जाते हैं।

दोनों ही आंकड़े एक-दूसरे से उलट तस्वीर पेश कर रहे हैं। एक ओर सरकार अधिक से अधिक शौचालय बना रही है और

सरकारी विभाग गांवों को खुले में शौच से मुक्त करार दे रहे हैं, दूसरी ओर ग्रामीण लोग शौचालयों का इस्तेमाल करने को तैयार ही नहीं हैं। सर्वेक्षण के मुताबिक साल भर पहले तक लगभग 45.3 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय थे। लेकिन तमाम दूसरे सर्वेक्षणों तथा मीडिया रिपोर्टों में यह साफ पता चलता है कि गांवों में इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है। सरकार के लिए यह गंभीर समस्या है और इससे निपटना उसके लिए बड़ी चुनौती भी है। इससे निपटने के लिए सरकार ग्रामीणों को शिक्षित करने की पूरी कोशिश कर रही है। स्वच्छता के आर्थिक या वित्तीय पहलू को काफी हद तक अनदेखा किया गया है। जबकि स्वच्छता के अभाव का बहुत बड़ा आर्थिक और वित्तीय प्रभाव पड़ता है।



वास्तव में ग्रामीणों को इस पहलू के बारे में बताने की सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि स्वच्छता के अभाव में बीमारियां तो होती ही हैं, काफी माली-नुकसान भी होता है। इसे समझने के लिए पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेना जरूरी है। विश्व बैंक ने 2012 में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें खासतौर पर भारत में स्वच्छता के अभाव के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान की बात कही गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक भारत स्वच्छता की कमी के कारण हर साल तकरीबन 53.8 अरब डॉलर गंवा देता है। 2006 के उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) से उसकी तुलना की जाए तो यह आंकड़ा उसके 6.4 प्रतिशत के बराबर बैठता है। ताज्जुब इस बात का है कि इस पैमाने पर भारत इंडोनेशिया और फिलीपींस जैसे देशों से भी खासा पीछे है, जहां स्वच्छता नहीं होने पर जीडीपी का 2.3 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत ही नुकसान होता है।

यह नुकसान छोटी उम्र से ही शुरू हो जाता है, जब बच्चों को स्वच्छता या साफ पानी के अभाव में डायरिया जैसी बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। यूनिसेफ की नियमित अंतराल पर आने वाली तमाम रिपोर्टें यह बताती हैं कि किस तरह डायरिया भारत में हर साल लाखों बच्चों को लील जाता है। यह हमारी श्रमशक्ति का नुकसान है, जिसकी आर्थिक कीमत आखिरकार देश को ही चुकानी पड़ती है। कुपोषण का बहुत बड़ा कारण स्वच्छता की कमी भी है और यूनिसेफ के 2013-14 के रैपिड सर्वे ऑफ चिल्ड्रन के मुताबिक देश में 5 साल से कम उम्र के 29.5 प्रतिशत बच्चों का वजन सामान्य से कम है। इनमें बड़ी संख्या झुग्गी-बस्तियों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की है।

हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय ग्रामीण शौचालय बनवाने की इच्छा नहीं रखते। मॉनिटर डेलॉयट नाम की संस्था ने 2014 में बिहार में एक सर्वेक्षण कराया था, जिसमें 84 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों ने शौचालय बनवाने की इच्छा जताई, लेकिन वे बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के मोहताज थे। हालांकि आर्थिक समस्या को सरकार दूर कर रही है, लेकिन दूसरी दिक्कतें सामने आ रही हैं। एनएसएसओ का सर्वेक्षण यह नहीं बताता कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए शौचालयों के साथ जो टैंक या गड्ढे बनाए जाते हैं, वे अक्सर बहुत छोटे होते हैं। इस मसले पर आई कई मीडिया रिपोर्टों में ग्रामीणों को यह शिकायत करते सुना गया है कि टैंक बहुत छोटे होते हैं। अगर उनका पूरा परिवार शौचालयों का इस्तेमाल करेगा तो टैंक जल्दी भर जाएंगे और बार-बार उन्हें साफ कराना पड़ेगा, जिसे ग्रामीण परिवार अक्सर झंझट मानते हैं। स्वच्छता के बाजार की तस्वीर यहीं से साफ होनी शुरू हो जाती है।

भारत में स्वच्छता के विषय पर मॉनिटर डेलॉयट के 2014

के श्वेतपत्र में बताया गया कि गांवों में स्वच्छता का तकरीबन 2,500 करोड़ डॉलर सालाना का बाजार है। इसमें 600 से 900 करोड़ डॉलर का तो शौचालयों का ही बाजार है। विश्व बैंक की 2012 की रिपोर्ट इस बाजार को कई गुना बड़ा बताती है। इसके मुताबिक देश में स्वच्छता से जुड़े बुनियादी ढांचे का करीब 15,200 करोड़ डॉलर का बाजार है। जाहिर है कि इसका बड़ा हिस्सा गांवों में है, जहां न तो ढंग से शौचालय हैं और न ही उनके ठीक रखरखाव की सुविधा। ऐसे में विश्व बैंक की यह बात सही लगती है कि शौचालय से ही छोटे उद्यमियों के लिए बड़ा बाजार खड़ा हो रहा है।

स्वच्छता का बाजार एकदम बुनियादी स्तर पर ग्रामीणों को रोजगार देने में काम आ सकता है। जब हम शौचालय बनाने की बात करते हैं तो सरकारी अभियान ध्यान आता है या सरकार की अपील पर हजारों शौचालय तैयार कर रही कंपनियों की तरफ हमारी नजर जाती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि शौचालयों के लिए टाइल्स बनाने वाले उद्यमियों से लेकर उपकरण फिट करने वाले प्लंबर और दीवार चुनने वाले राजमिस्त्री तक सभी को इससे रोजगार हासिल होता है। अगर सरकार ने 2 करोड़ शौचालय बनाए हैं तो निश्चित रूप से भारी तादाद में लोगों को रोजगार मिला होगा, लेकिन अगर इसी रोजगार को ग्राम केंद्रित बना दिया जाये अर्थात् यानी ग्रामीणों को ही इस काम में लगाया जाये तो गांवों में बेरोजगारी या कम आय की समस्या काफी हद तक दूर हो सकती है। जो 52 प्रतिशत ग्रामीण अभी खुले में शौच जाते हैं, यदि उन्हें ही शौचालय मुहैया कराने के लिए ग्रामीण श्रमशक्ति या ग्रामीण लघु उद्यमी समूह तैयार किए जाएं तो भारी मात्रा में वैकल्पिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

सरकार के लिए भी यह अच्छा मौका हो सकता है क्योंकि यदि ग्रामीण स्वयं-सहायता समूहों अथवा लघु उद्यमियों की मदद से सस्ते शौचालय तैयार कराए जाएंगे तो उसकी अच्छी-खासी रकम बच जाएगी। इसके लिए बांग्लादेश का उदाहरण हमारे सामने है, जो महज 13 वर्षों में खुले में शौच की समस्या से लगभग मुक्त हो चुका है। वहां की सरकार के मुताबिक 2003 में उस देश में लगभग 42 प्रतिशत लोग खुले में शौच जाते थे, लेकिन अब उनकी तादाद एक प्रतिशत से भी कम बची है। लेकिन यह काम आसान नहीं था। भारत की तुलना में गरीब होने के बाद भी वहां की सरकार ने शौचालयों पर जमकर खर्च किया और विकास के लिए रखे गए बजट का कुल 25 प्रतिशत हिस्सा स्वच्छता पर लगाया। सरकार की इस पहल से वहां बड़ा बाजार तैयार हो गया। वहां शौचालयों की बेहद सस्ती इकाइयां तैयार की जा रही हैं, जिनकी कीमत 12 डॉलर से 60 डॉलर के बीच है। सरकारी मदद के साथ अपनी जेब से इसमें मामूली रकम

देनी पड़ती है, जिसकी वजह से वहां शौचालय काफी संख्या में बनाए गए। इस मुहिम ने बांग्लादेश में शौचालय निर्माण को कुटीर उद्योग सरीखा बना दिया है।

भारत भी इस मॉडल को आराम से अपना सकता है। सरकार फिलहाल शौचालय बनाने के लिए 12,000 रुपये का अनुदान देती है और बाकी रकम अपनी जेब से लगानी पड़ती है। गांव-देहात में सदियों से खुले में शौच जाने वाले लोगों को अक्सर शौचालय पर इतना खर्च करने की तुलना नहीं आती। इसके लिए उन्हें शिक्षित और जागरूक बनाने का सरकार का प्रयास तो अच्छी बात है, लेकिन अगर प्रशिक्षण देकर ग्रामीण युवाओं को ही शौचालय बनाने के लिए तैयार किया जाए तो संभवतः सरकारी अनुदान से भी कम रकम में शौचालय बन जाएगा और ग्रामीणों के लिए उसे अपना आसान होगा। इससे स्वच्छ भारत अभियान को बल मिलेगा, सरकार की रकम बचेगी और युवाओं को आसानी से रोजगार मिल जाएगा।

शौचालय बन जाने के बाद उनके रखरखाव और साफ-सफाई से रोजगार का एक और मौका हासिल होता है। यह बात सही है कि हमारे समाज में शौचालय की सफाई सामाजिक दृष्टि से काफी हेय काम माना जाता है, लेकिन अगर यह काम परंपरागत तरीके से नहीं कर मशीनों की मदद से किया जाए तो इसे अपनाने में युवाओं को कोई हिचक नहीं होगी। सरकार को नवाचार के जरिये इस तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि यह हमेशा के लिए रोजगार देने वाला काम है। ग्रामीण इलाकों में हाल के वर्षों में यह बात सामने आई है कि शौचालय के सेप्टिक टैंक छोटे होने और उनके जल्द भर जाने की आशंका के कारण परिवार में एक या दो लोगों को छोड़कर बाकी लोग उनका इस्तेमाल नहीं करते। अगर इसके लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स की तरह कुछ बड़े सामुदायिक शौचालय कॉम्प्लेक्स बनाए जाएं तो समस्या सुलझ सकती है क्योंकि उनके टैंक भी बड़े होंगे। इनके निर्माण से रोजगार मिलेगा साथ ही, जिस स्वयं-सहायता समूह के हाथ में इनके रखरखाव का काम होगा, वह भी कुछ लोगों को रोजगार प्रदान करेगा। ध्यान रहे कि सुलभ शौचालयों में आज 70,000 से भी अधिक लोग काम कर रहे हैं और अच्छा वेतन पा रहे हैं। यदि कंपनियां सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियों में ऐसे शौचालयों के रखरखाव को जोड़ दिया जाए तो समस्या हमेशा के लिए सुलझ जाएगी।

राजस्थान सरीखे राज्यों में सरकार कम पानी की जरूरत वाले या शुष्क शौचालयों को भी बढ़ावा दे सकती है। इनकी कीमत भी सामान्य शौचालयों जैसी ही होती है। इसके लिए भी कुटीर इकाइयों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है और रोजगार के मौके बढ़ाए जा सकते हैं। रोजगार के मौके शौचालय बनाने पर

ही खत्म नहीं हो जाते। हमारे देश में कई सदियों से अपशिष्ट पदार्थों से बनने वाली कंपोस्ट का इस्तेमाल खाद के रूप में किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में यही काम व्यावसायिक स्तर पर किया जा सकता है। इसमें उन्नत तकनीक इस्तेमाल की जाए तो बायोगैस भी तैयार हो सकती है और उसके संयंत्रों में रोजगार के मौके भी ग्रामीणों को हासिल होंगे। इसके कई फायदे हो सकते हैं जैसे— गांव साफ रहेंगे, लोग बीमारी से बचे रहेंगे, खेतों के लिए पूरी तरह जैविक खाद उपलब्ध होगी और ईंधन भी मिलेगा।

मगर यह भी ध्यान रखना होगा कि पूरी जिम्मेदारी सरकार की या दूसरे पक्षों की नहीं है। ग्रामीणों को कुछ प्रयास खुद भी करने होंगे। मेघालय के उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। वहां 2009 तक खुले में शौच या असुरक्षित शौचालय की समस्या बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से वहां गंदगी पसरी रहती थी और वहां के निवासी बहुत जल्दी रोगों की चपेट में आ जाते थे। लेकिन 2009 के बाद से ही मेघालय सरकार ने वाटर एंड सैनिटेशन प्रोग्राम (डब्ल्यूएसपी) के साथ मिलकर सामुदायिक और मांग आधारित परियोजना चलाई, जिसके तहत सामुदायिक सभाओं में स्वच्छता के महत्व को समझाया गया और इसे रोजमर्रा की आदतों में शामिल करने का प्रयास किया गया। इससे वहां की तस्वीर ही बदल गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिस मेघालय में 2004 से 2006 के बीच शौचालय नहीं के बराबर थे, उसी राज्य में दिसंबर 2013 तक इनका आंकड़ा 71 प्रतिशत तक पहुंच गया। 2012-13 में मेघालय के 1231 गांवों में से 768 पूरी तरह स्वच्छ या निर्मल घोषित कर दिए गए थे और इस मामले में यह राज्य देश में पहले स्थान पर रहा था।

यदि हमें शेष भारत के गांवों में ऐसा ही कार्याकल्प करना है तो ग्रामीणों को जागरूक करना होगा। बेशक सरकार इसमें पूरा हाथ बंटाएगी और मनरेगा ऐसी ही सरकारी योजना है, जो इसमें बहुत कारगर साबित हो सकती है। कुछ अरसा पहले विवादों में घिरी इस योजना पर मोदी सरकार भी अब जोर दे रही है। यदि स्वच्छता, शौचालय निर्माण और उनके रखरखाव को मनरेगा के तहत कामों में प्रमुखता दे दी जाए तो स्वच्छ भारत अभियान को काफी बल मिल सकता है। मनरेगा के तहत शौचालयों की साज-संभाल का काम दे दिया जाए या उनका निर्माण कराया जाए तो सरकार के खजाने से एक भी पाई अधिक नहीं जाएगी और समूचे गांवों में अच्छी तरह से चलने वाले शौचालयों का जाल बिछ जाएगा।

अहम बात यह भी है कि स्वच्छता का बाजार शौचालयों पर ही खत्म नहीं हो जाता। उनसे आगे बढ़ें तो हमें स्वच्छता का एक और महत्वपूर्ण बाजार दिखेगा। यह बाजार महिलाओं की व्यक्तिगत

स्वच्छता से जुड़ा है, जहां रोजगार के प्रचुर अवसर हैं। सैनिटरी पैड इसका अच्छा उदाहरण हैं, जिनका बाजार बहुत बड़ा है। जयश्री इंडस्ट्रीज के मालिक और पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके तमिलनाडु के मामूली पढ़े-लिखे उद्यमी अरुणाचलम मुरुगनंतम इसके उदाहरण बन चुके हैं। उनकी बनाई मशीनें 23 राज्यों के करीब 1,300 गांवों में हजारों महिलाएं चला रही हैं और सैनिटरी पैड बनाकर बेच रही हैं। 75,000 रुपये से शुरू होने वाली ऐसी हरेक मशीन से 10 महिलाओं को रोजगार मिलता है और उससे बने पैड बमुश्किल 2.5 रुपये में बेचे जा सकते हैं। इनके बाजार के आकार का भारत सरकार के उस सर्वेक्षण से चल जाता है, जो उसने 2011 में एसी नील्सन के जरिए कराया था। उसमें पता चला कि भारत भर में केवल 12 प्रतिशत महिलाएं सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करती हैं। ऐसे में इसका बाजार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। गांवों में यह बाजार और भी बड़ा होगा क्योंकि वहां सैनिटरी पैड का इस्तेमाल न के बराबर होता है। गांवों में महिलाएं या तो माहवारी के दिनों में घरों में ही बंद हो जाती हैं या असुरक्षित तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। इसकी वजह जागरूकता की कमी भी है और 'महंगे' सैनिटरी पैड को पैसे की बरबादी समझना भी है। लेकिन मुरुगनंतम का प्रयास यह दिखा चुका है कि सस्ते पैड मिलने पर गांवों में भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए यदि सरकार और गैर सरकारी संगठनों की ओर से मदद मिले तो ग्रामीण महिलाएं बड़े स्तर पर इनका उत्पादन कर सकती हैं और रोजगार हासिल कर सकती हैं। जो महिलाएं खाली समय में स्वयं-सहायता समूहों के अंतर्गत पापड़-मुरब्बे आदि बनाती हैं, वे सस्ती मशीनें और कच्चा माल मिलने पर घर बैठे पैड भी बनाएंगी। इसीलिए अगर कुटीर उद्योग के तौर पर इसे बढ़ावा दिया जाए और सरकार इसके लिए छोटे कर्ज देने को तैयार हो तो दोहरा काम होगा – स्वच्छता की कमी से निपटा जा सकेगा और ग्रामीण परिवारों को पूरक रोजगार भी हासिल हो जाएगा।

ग्रामीणों के लिए रोजगार के मौके तो स्वच्छता का बाजार मुहैया करा रहा है लेकिन बड़ा सवाल पूंजी का खड़ा होता है क्योंकि हमारे देश में लघु उद्यमियों के सामने पूंजी की बड़ी किल्लत होती है। मोदी सरकार के कार्यकाल में इसके लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की गई हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों को उनका फायदा उठाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। नतीजा यह होता है कि बड़ी संख्या में उद्यमियों या स्वयं सहायता समूहों को रकम का इंतजाम खुद ही करना पड़ता है या रिश्तेदारों तथा साहूकारों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं। यदि स्थिति ऐसी ही रहेगी तो गांव-देहात में स्वच्छता के बाजार

का फायदा उठाने के लिए भी कोई आगे नहीं आएगा। ऐसे में स्वच्छता का बुनियादी ढांचा तैयार करने और उसे चलाते रहने के लिए कौन से वित्तीय विकल्प हो सकते हैं?

ग्रामीण उद्यमों को बढ़ावा देने और स्वच्छता का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ अनूठे तरीके आजमाए जा सकते हैं। देश में छोटे कर्ज देने वाले माइक्रो फाइनेंस संस्थानों का केंद्र अक्सर गांव-देहात का इलाका ही होता है। मोटा अनुमान यही है कि देसी गांवों-कस्बों और छोटे शहरों में उन्होंने 40,000 करोड़ रुपये से भी अधिक के कर्ज बांटे हैं। इनका इस्तेमाल स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे उद्यमियों और समूहों के लिए किया जा सकता है। कुछ माइक्रोफाइनेंस संस्थान तो केवल साफ-सफाई के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर गार्डियन नाम का संस्थान तमिलनाडु के कुछ जिलों में इस क्षेत्र के लिए कर्ज दे रहा है। ग्रामीण कूट नाम का एक और संस्थान कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में काम कर रहा है। लेकिन बमुश्किल 100-125 करोड़ रुपये की यह रकम ऊंट के मुंह में जीरे सरीखी है और इससे कई गुना रकम की जरूरत है। यहां सरकार को हस्तक्षेप करना होगा। अगर वह स्वच्छता से जुड़े कर्ज को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ले आती है तो माइक्रोफाइनेंस संस्थानों तथा बैंकों को इसमें अधिक से अधिक कर्ज देना होगा और गांवों में स्वच्छता के ढांचे को बनाए रखने के लिए धन की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। बैंकों के लिए ऐसा करना और भी आसान है क्योंकि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत गांवों में अधिकतर परिवारों के खाते किसी न किसी बैंक में हैं। बैंक शौचालय बनाने के लिए उन्हें आसानी से कर्ज दे सकते हैं।

इसी तरह कंपनियों को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की अपील सुनने के बाद तमाम बड़ी कंपनियां लाखों शौचालय बनवा रही हैं, लेकिन उन्हें अपने कर्तव्य की इतिश्री वहीं नहीं कर लेनी चाहिए। शौचालयों या स्वच्छता से जुड़े दूसरे उद्योगों में वित्तीय सहायता के लिए आगे आना चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 के मुताबिक उन कंपनियों को अपने मुनाफे की कम से कम 2 प्रतिशत राशि सीएसआर से जुड़े कार्यों में खर्च करनी है। एक अनुमान है कि यह रकम 15,000 करोड़ से भी अधिक होगी। यदि शौचालय आदि की देखभाल के लिए इसका एक अंश कंपनियों से अनिवार्य तौर पर गांवों में लगवाया जाए तो स्वच्छता की दृष्टि से गांवों का कायापलट हो सकता है।

(लेखक आर्थिक दैनिक
'बिजनेस स्टैंडर्ड' से जुड़े हैं।

ई-मेल rishabhkrishna@gmail.com



Preparing Civil Servants

In Association with



An Institute for IAS Exam...

Personalised. Powerful. Proven

Civil Services Examination 2017 preponed. Join now to prepare early !

New Batches Starting

General Studies (Pre + Main) English Medium	General Studies (Pre + Main) Hindi Medium	
Batch 1 - Oct, 7.30 am to 10.30 am, 6 Days / Week	Oct, 10 am to 1 pm, 6 Days / Week	
Batch 2 - Oct, 5 pm to 8 pm, 6 Days / Week	Optional Subjects English Medium 12th October	
Batch 3 - Oct, Weekend (Saturday & Sunday)	History 11 am	Pud Ad 2.30 pm

100+ Ranks* in Civil Services Examination-2015



AIR-1

TINA DABI

Civil Service Examination - 2015



AIR-2

ATHAR AAMIR UL SHAFI KHAN

Civil Service Examination - 2015

*from the house of KSG

JOIN THE LEAGUE OF ACHIEVERS !

ETEN IAS Centers: Agra, Alwar, Amritsar, Bangalore, Bareilly, Bhilai, Bhilwara, Bilaspur, Chandigarh, Chennai, Dehradun, Delhi, Dibrugarh, Ernakulam, Ghaziabad, Gurgaon, Guwahati, Hyderabad, Imphal, Indore, Jabalpur, Jalandhar, Jammu, Jamshedpur, Jodhpur, Kolkata, Lucknow, Ludhiana, Moradabad, Nagpur, Patna, Raipur, Rohtak, Salem, Tirupati, Trivandarum, Varanasi & Vijayawada

Toll free: 1800 1038 362 • SMS IAS to 567678 • Call: 9654200517/23 • Website: www.etenias.com

Excellent Franchise opportunity of ETEN IAS KSG is available in following locations: Agra, Ahmedabad, Aligarh, Allahabad, Arunachal Pradesh, Bangalore, Bhubneshwar, Bikaner, Jaipur, Kanpur, Kohima, Kota, Mangalore, Mumbai, Patiala, Pune, Ranchi, Srinagar, Secunderabad, Shillong & Surat

For Franchise details, call Mr. Manav Aggarwal

Product Head: +91 9958 800 068 or email: manav.aggarwal@pearson.com



ग्रामीण स्वच्छता में पंचायतों की भूमिका

—रविन्द्र सिंह

गांवों में खुले में शौच जाने की समस्या व्यापक है जिससे निपटने के लिए मात्र शौचालय बनाना पर्याप्त नहीं है। इसके लिए न केवल लोगों को स्वच्छ आदतों के प्रति जागरूक करना होगा बल्कि उन्हें इस मुहिम में जोड़ना होगा। और खुले में शौच को लेकर बैठी तमाम धारणाओं को तोड़ना होगा। पंचायतों और गैर-सरकारी संगठनों के जरिए इस कार्य को बेहतर अंजाम दिया जा सकता है।

पिछले दिनों एक खबर काफी चर्चा में रही। कर्नाटक में मलम्मा नाम की एक 10वीं की एक छात्रा अपने घर में टायलेट बनाने की मांग को लेकर अनशन पर बैठ गई। इसका असर भी हुआ। जिले के अधिकारियों ने उसके गांव का दौरा किया व ग्राम प्रधान ने पहल कर उसके घर में शौचालय बनवाया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भी मलम्मा और ग्राम प्रधान की प्रशंसा की।

यह घटना दर्शाती है कि ग्रामीण स्वच्छता जैसे अहम विषय पर ग्राम पंचायत व स्थानीय समुदाय की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इसी विषय पर विचार करेंगे। और देखेंगे कि किस तरह ग्राम पंचायतें, स्थानीय समुदाय और गैर-सरकारी संगठन मिलकर भारतीय ग्रामों को स्वच्छ बना सकते हैं।

73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में भारत में पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और गांवों के सामाजिक-आर्थिक विकास में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई। इसी संशोधन द्वारा संविधान में अनुसूची-11 भी जोड़ी गई। इसमें 29 विषय शामिल हैं जोकि पंचायतों के कार्यक्षेत्र को बताते हैं। इन्हीं में से एक विषय है – स्वच्छता।

स्वच्छता (या कहें अस्वच्छता) भारत की बड़ी समस्या है। जो विदेशी भारत आते हैं वे भारत की छवि एक गंदगी भरे देश के रूप में लेकर जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि इस छवि से हमारा पर्यटन उद्योग प्रभावित होता है.... लेकिन समस्या उससे भी कहीं अधिक गंभीर है। हमारे आस पास फैली अस्वच्छता लोगों

के स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर डालती है। सरकार प्रतिवर्ष स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं पर अरबों खर्च करती है, बहुत से गरीब परिवार इलाज पर भारी खर्च के कारण कर्ज में फंस जाते हैं। यदि हमारा परिवेश स्वच्छ रहे तो लोग बहुत-सी बीमारियों से बच सकते हैं और स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय काफी कम हो सकता है। उद्योगों को भी कर्मचारियों के बीमार पड़ने से होने वाली हानि कम होगी। वर्तमान में हम ग्रामीण स्वच्छता की समस्या को निम्न रूपों में देख सकते हैं—

खुले में शौच जाना; अपशिष्ट प्रबंधन; जागकता का अभाव; शौचालयों का निर्माण व प्रयोग; स्कूल व आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता की कमी; स्वच्छ जीवनशैली का अभाव अब इन समस्याओं पर हम विस्तार से विचार करेंगे—

1. खुले में शौच जाना

यह भारत में बड़ी चुनौती बनी हुई है। आज भी गांवों के करीब 65 प्रतिशत लोग खुले में शौच करते हैं। यह हैजा जैसी अनेक संक्रामक बीमारियों का कारण बनता है, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा भी खतरे में पड़ती है। इस समस्या से निपटने के लिए हर घर में शौचालय का निर्माण आवश्यक है।

गांवों में शौचालय निर्माण

इस काम में ग्राम पंचायत की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। पंचायत प्रतिनिधियों को अपने गांव की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता है। उन्हें पता रहता है कि किस घर में

शौचालय नहीं है और क्यों नहीं है। ना होने का कारण धन या स्थान का अभाव हो सकता है या जागरुकता की कमी भी हो सकती है। इन तीनों ही कारणों का समाधान पंचायतें स्थानीय स्तर पर निकाल सकती हैं।

यही कारण है कि स्वच्छ भारत मिशन में पंचायतों को अहम भूमिका दी गई है और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के दिशानिर्देशों में पंचायतों के लिए स्पष्ट उपबंध किए गए हैं। इन दिशानिर्देशों में कहा गया है कि राज्य सरकारें शौचालय बनवाने के लिए लोगों तक धन पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायतों का प्रयोग कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतें अपने संसाधनों से भी इस कार्य के लिए धन जुटा सकती हैं। गांव में जो सामुदायिक शौचालय बनेंगे उनकी देख-रेख का काम भी पंचायतों के जिम्मे होगा तथा ग्राम-स्तर पर समुदाय की लामबंदी में उनकी प्रमुख भूमिका होगी।



पंचायतों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र व एनजीओ क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान में भागीदार होंगे। निजी कंपनियां भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल शौचालय निर्माण की सस्ती व सुलभ तकनीकी का विकास करने में मदद कर सकती हैं।

भारत के विभिन्न भागों में जलवायवीय दशाएं भिन्न हैं। लेह-लद्दाख की जलवायु राजस्थान की जलवायु से बहुत अलग है। राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। अतः निजी क्षेत्र एनजीओ के साथ मिलकर ऐसे शौचालयों के विकास में शोध कर सकता है जिनमें कम पानी की जरूरत पड़ती हो। निजी कंपनियां अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड का प्रयोग ऐसे प्रोजेक्टों के लिए कर सकती हैं। इस तरह बने इन सस्ते शौचालयों को ग्रामीणों तक ले जाने में पंचायतें और एनजीओ अहम भूमिका निभाएंगें। सुलभ शौचालय गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा विकसित किया गया एक ऐसा ही सस्ता व पर्यावरण अनुकूल मॉडल है जिसे विदेशों में भी प्रशंसा मिली है।

अभी तक के विश्लेषण में हमने देखा कि भारत में किस तरह हर घर में शौचालयों का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन बने हुए शौचालयों को प्रयोग न किए जाने की अब एक विशिष्ट समस्या हो गई है। यह समस्या विशेष रूप से भारत में ही है और स्वच्छता अभियान चला रहे विश्व के अन्य विकासशील देशों में उतनी देखने को नहीं मिलती है।

निर्मित शौचालयों को प्रयोग न करना

देखने में आया है कि गांवों में जिन लोगों के घर में शौचालय बन गये हैं, उनमें से भी काफी लोग उनका प्रयोग नहीं कर रहे हैं। गांवों में पंचायत के सहयोग से बने शौचालयों में लोग लकड़ी, कंड़े और भूसा जैसे सामान भर लेते हैं और उन्हें बतौर स्टोर रूम प्रयोग करते हैं। अनेक गैर-सरकारी संस्थाओं और स्वतंत्र शोधार्थियों के सर्वेक्षणों में इसके निम्न कारण सामने आए हैं—

1. **मनोवैज्ञानिक व व्यावहारिक अवरोध** — लोगों को खुले में शौच जाने की आदत पड़ी है। घर में शौचालय बनने पर भी वे आदतन शौच के लिए बाहर ही जाते हैं।
2. **परंपरागत विश्वास व अंधविश्वास** — गांव में रुढ़िवादी सोच के लोग अपने घर के भीतर ही शौच करने को घर अपवित्र करने के समान समझते हैं।
3. **जल की कमी** — कुछ क्षेत्रों में शौचालयों के

लिए पानी की कमी है।

4. शौचालयों का डिजाइन दोषपूर्ण होना – लोगों को लगता है कि यदि वे नियमित रूप से शौचालय का प्रयोग करेंगे तो उसका पिट (गड्ढा) जल्दी भर जाएगा और फिर उस पिट को खाली करना पड़ेगा। पूर्व काल में मैला की सफाई का अमानवीय काम कुछ जातियों पर थोप दिया गया था। अतः इस जातीय मानसिकता के कारण अन्य जातियों के लोग अब अपने ही शौचालय के पिट को खाली करने में असहज महसूस करते हैं और इसीलिए शौचालय के पिट के भर जाने के डर से उसका प्रयोग नहीं करते।

इस स्थिति को बदलने के लिए लोगों के व्यवहार और सोच को बदलना होगा। अतः व्यापक-स्तर पर जागरूकता व प्रचार अभियान चलाने की आवश्यकता है। लेकिन सरकार यह काम अकेले के दम पर नहीं कर सकती। इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान में सरकार के सूचना, शिक्षा और संवाद (आई ई सी) कार्यक्रम में पंचायतों, समुदाय और स्वयंसेवी संगठनों को विशेष स्थान दिया गया है। ये लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में निम्न प्रकार से काम कर सकते हैं, और कर रहे हैं—

1. ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को स्थानीय लोग सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। यदि वे लोगों को इस आदत को छोड़ने को बोलें और स्वयं शौचालय का प्रयोग कर उदाहरण स्थापित करें तो लोगों पर इसका असर अवश्य होगा और वे अपने शौचालयों का प्रयोग करने को प्रेरित होंगे।
2. गांवों में हर समुदाय में उनके कुछ सम्मानित सदस्य होते हैं जो उस समुदाय को नेतृत्व प्रदान करते हैं। ये सामुदायिक नेता लोगों को शौचालयों का निर्माण व प्रयोग करने की बात बड़ी आसानी से उन्हीं की भाषा में समझा सकते हैं।
3. लेकिन अब सवाल उठता है कि पंचायत सदस्यों व सामुदायिक नेताओं को ये बात कौन समझाएगा। यह काम स्वयं-सेवी संस्थाएं व एनजीओ कर सकते हैं। स्वच्छता के क्षेत्र में काम कर रहे ये संगठन सेमिनार व गोष्ठियां आयोजित कर पंचायत सदस्यों व सामुदायिक नेताओं को इस समस्या की गंभीरता से परिचित करा सकते हैं व उन्हें बदलाव लाने को प्रेरित कर सकते हैं। इस कार्य के लिए एनजीओ को फंडिंग कार्पोरेट क्षेत्र द्वारा सीएसआर के अधीन की जा सकती है।
4. खुले में शौच जाने से संबंधित मानव व्यवहार को बदलने के लिए विशेषज्ञ एनजीओ अनेक तरह के परीक्षण कर रहे हैं, उदाहरण के लिए—

एक एनजीओ की टीम ने एक गांव में जाकर लोगों से

‘अगर ऐसे उत्साही कार्यकर्ता मिल जाएं, जो झाड़ू और फावड़े को भी उतनी आसानी और गर्व के साथ हाथ में लें जैसे वे कलम और पेंसिल को ले लेते हैं, तो इस कार्य में खर्च का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। अगर किसी खर्च की जरूरत पड़ेगी तो वह केवल झाड़ू, फावड़ा, टोकरी, कुदाली और शायद कुछ कीटाणुनाशक दवाइयां खरीदने तक ही सीमित रहेगा।

(ग्राम स्वराज्य, पृष्ठ संख्या-79) महात्मा गांधी

खुले में शौच जाने के कारणों पर बात की। कुछ लोगों ने बताया कि वे घर में ही शौच करने को ठीक नहीं मानते। इससे घर अपवित्र होता है। तब एनजीओ टीम उन्हें गांव के मंदिर के पास के खेत में ले गईं जहां मानव मल पर मक्खियां बैठी थीं और कहा कि यही मक्खियां यहां से उड़कर मंदिर में भगवान की मूर्तियों पर भी बैठेंगी क्योंकि लोग वहां मीठा चढ़ाते हैं। इससे उन लोगों के मन पर गहरा असर पड़ा। साथ ही एनजीओ टीम ने लोगों से पूछा कि जो परिवार महिलाओं को घर में भी घूंघट में रखता है, वह उन्हें शौच के लिए बाहर खुले में भेजते समय कैसा महसूस करता है।

5. गांवों में काम कर रहे कुछ एनजीओ ने पाया कि लोगों में आम धारणा बैठी हुई है कि खेत में शौच जाने से खेत की मिट्टी को खाद मिलता है। एनजीओ के विशेषज्ञों ने लोगों को समझाया कि मल के सड़कर खाद बनने से पहले अनेक बैक्टीरिया पर्यावरण में फैलते हैं, जोकि प्रदूषण और बीमारियों को फैलाते हैं।

खुले में शौच जाना, भारतीय गांवों की सबसे बड़ी समस्या अवश्य है, पर एकमात्र समस्या नहीं है। किसी भी गांव में जाने पर वहां गोबर और कूड़े के ढेर आस-पास फैले मिलेंगे। परिवारों में पैदा होने वाले इस ठोस अपशिष्ट का सही प्रबंधन भी एक चुनौती है।

2. अपशिष्ट प्रबंधन

इसके लिए भी पंचायतें ग्राम-स्तर पर योजना बना सकती हैं, जिसमें बायो डिग्रेडेबल व नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे को परिवार के स्तर पर अलग किया जाए। फिर ग्राम पंचायतें उसे डंपिंग यार्ड तक पहुंचाए, जहां उस कचरे का प्रयोग कंपोस्ट बनाने या बायोगैस प्लांट में हो सकता है। इस कार्य में पंचायतों का क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता इस क्षेत्र के विशेषज्ञ गैर-सरकारी एवं स्वयंसेवी संगठनों द्वारा किया जा सकता है।

कुल मिलाकर यह स्पष्ट है कि स्वच्छता जैसे विषय में आम

लालकिले से स्वच्छ भारत मिशन का शुभारम्भ करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शपथ लेते हुए कहा था कि “मैं शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगा और इसके लिए समय दूँगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह दो घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के लिए काम करूँगा। मैं न गंदगी करूँगा, न किसी ओर को करने दूँगा। सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मुहल्ले से, मेरे गांव से और कार्यस्थल से इसकी शुरुआत करूँगा।” यह शपथ हम सभी के लिए है जिसे हम सभी अपने कार्यशैली में उतारें ताकि भारत एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बन सके।

जनता को बड़े पैमाने पर शामिल किए बगैर सफलता हासिल नहीं की जा सकती। भारत सरकार जन-भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से नई अप्रोचें भी अपना रही है, जैसे—

1. स्वच्छता दूत — ग्राम पंचायत गांव में से कुछ योग्य व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें स्वच्छता दूत नामित करेंगी। ये स्वच्छता से संबंधित सभी गतिविधियों का समन्वय करेंगे। साथ ही परिवारों का मार्गदर्शन और परिवारों एवं ग्राम पंचायत के बीच सेतु के रूप में काम करेंगे।

2. स्वच्छता दिवस— ग्राम पंचायत माह के किसी एक दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में निर्धारित कर सकती है। इस दिन सार्वजनिक बैठक होगी जिसमें समुदाय व पंचायत के लोग स्वच्छता के क्षेत्र में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वे अपने गांव के स्वच्छता कार्यक्रम की कमियों की पहचान और उन्हें दूर करने की भावी योजना पर विचार करेंगे।

3. ग्राम स्वच्छता सभा— स्वच्छता के लिए ग्रामसभा की विशेष बैठक छह माह में एक बार होती है। इसमें इस विषय से संबंधित सभी मुद्दों पर विचार-विमर्श होता है व निर्णय लिए जाते हैं।

ग्राम स्वच्छता से संबंधित ये समन्वित प्रयास बहुत शीघ्र ही सकारात्मक परिणाम ला सकते हैं जैसाकि गड़री गांव की सफलता से इंगित होता है। गड़री गांव को 27 फरवरी, 2014 को झारखण्ड का प्रथम खुले में शौच मुक्त गांव घोषित किया गया। यह सफलता गड़री के ग्राम प्रधान व एक एनजीओ—एक्सेस फॉर कम्युनिटी एम्पावरमेंट (एईसी) के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम थी। दोनों ने मिलकर पूरे समुदाय को इस मुहिम में शामिल किया और लोगों को शौचालय बनवाने व उनका प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन पूर्ण स्वच्छता की यह राह आसान नहीं है। गांवों को स्वच्छ बनाने में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान का विवरण निम्न है—

1. भारतीय ग्रामीण समुदाय में स्वच्छता से संबंधित विषयों पर जागरुकता का घोर अभाव है। लोग शादी- विवाह, बाइक पर खूब खर्च कर देते हैं पर शौचालय बनवाने के बारे में नहीं सोचते।

इस समस्या के हल के लिए सरकार व्यापक जागरुकता व प्रचार अभियान चला रही है। इसे पूरे उत्साह से जारी रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा गांवों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से लोगों को नई जानकारी मिलेगी, लेकिन साथ ही जहां आधुनिक संचार माध्यमों की अधिक पहुंच नहीं है, वहां नुककड़ नाटक, लोकगीतों जैसे परम्परागत माध्यमों का प्रयोग करके लोगों को जागरुक किया जाए। इस प्रचार अभियान में स्वच्छता को लोगों के आत्मसम्मान से जोड़कर दिखाना जरूरी है।

2. पंचायतें ग्राम स्वच्छता कार्यक्रम में नोडल संस्थान हैं। लेकिन इनके पास संसाधनों व क्षमता निर्माण की समस्या रही हैं। वर्तमान सरकार स्वच्छ भारत मिशन पर काफी बल दे रही है, और इस कारण धन की आपूर्ति बढ़ी है लेकिन पंचायतों की क्षमता निर्माण में अभी भी काफी कुछ किया जाना बाकी हैं। इस कार्य में एनजीओ की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है।

3. सामुदायिक भागीदारी व पहल को बढ़ाने में भारत में जाति एक बड़ी समस्या रही है। जाति विषमता पर आधारित भारतीय समाज में साफ-सफाई का काम इतिहास में एक जाति विशेष ऊपर थोप दिया गया था। अभी भी यह मानसिकता सफाई के मुद्दे पर सभी लोगों के एक साथ आकर कार्य करने में बाधक बनती है।

4. स्कूलों और आंगनबाड़ियों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे परिवर्तन के दूत साबित हो सकते हैं। वे न केवल स्वयं स्वच्छ आदतें सीखेंगे बल्कि अपने घर जाकर माता-पिता को भी इसके बारे में बताएं व प्रेरित करेंगे।

निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि पंचायतें, गैर-सरकारी और स्वयंसेवी संगठन मिलकर जन-स्वच्छता के इस कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को सुनिश्चित कर सकते हैं। और जब यह स्वच्छ भारत मिशन, भारत के जन-जन का मिशन बन जाएगा तो अवश्य ही हम 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त राष्ट्र बना सकेंगे और स्वच्छता को जीवनशैली का एक अंग बना सकेंगे।

(लेखक स्वतंत्र पत्रकार और तकनीक विशेषज्ञ हैं।)
ई-मेल: rsambawat@gmail.com

मानसिकता बदलाव में प्रभावी हैं परंपरागत माध्यम

—मीना नरुला



इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो पाते हैं कि विलक्षण कार्यों को जनसमर्थन के द्वारा ही सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ठीक उसी प्रकार स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता के प्रति बदलाव हेतु सकारात्मक रूप से प्रेरित जनमानस के जुड़ने से ही सफलता निश्चित है। यहां प्रश्न उठता है कि ग्रामीण समाज को स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक किया जाए कि वह न केवल स्वच्छता के महत्व को समझे बल्कि उसे अपनी जीवनशैली में शामिल करें और अपने आसपड़ोस को भी जागरूक और प्रोत्साहित करें। इस लेख में लेखिका ने बताया है कि गांवों में स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में परंपरागत संचार माध्यम आज भी बेहद कारगर साबित हो रहे हैं।

भारत में ग्रामीण जनता तक विकास संबंधी संदेश पहुंचाने में परंपरागत संचार माध्यम अतीत से अपनी विशिष्ट भूमिका निभाते रहे हैं। वर्तमान में भी ग्रामीण जनता के दिलोदिमाग तक पहुंचाने और उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

शहरी जनता को आधुनिक संचार माध्यमों से प्रभावित किया जा सकता है लेकिन जहां तक ग्रामीण जनता के नजरिए में बदलाव लाने का सवाल है तो इसके लिए हम आज भी परंपरागत संचार माध्यमों पर ही निर्भर हैं चूंकि ग्रामीण जनता को इन्हीं माध्यमों में अपनी छवि नजर आती है और ये उन्हें अपने से लगते हैं। लोककला के माध्यम से दिए गए सामाजिक संदेश गहरे असर करते हैं, जिससे उनके व्यवहार को बदलने में सार्थक मदद मिलती है। जैसाकि नाम से ही विदित है परंपरागत संचार माध्यम वे माध्यम हैं जिनमें समाज की परंपराएं, संस्कृति और मूल्य समाहित हैं। ग्रामीणों के दिलों के करीब होने के कारण ये लोकसंचार माध्यम भी कहलाते हैं। भारतीय समाज के पास अपनी लोककलाओं, लोकनृत्यों, लोक कथाओं, महाकाव्यों, आल्हाओं और नाटकों का विपुल भंडार है जिसका इस्तेमाल ग्रामीण जनता को शिक्षित करने के लिए किया जा सकता है।

हमारे देश की सबसे लोकप्रिय परंपरागत कलाशैलियां हैं— महाराष्ट्र में तमाशा और पोवाड़ा, उत्तरप्रदेश में नौटंकी, कर्नाटक में यक्षगान, पश्चिम बंगाल में यात्रा, तमिलनाडु में तेरुकुत, गुजरात में भवाई। इसके अलावा कीर्तन, लोकसंगीत, पहेलियां, लोककथाएं और कठपुतली का खेल भी लोकप्रिय कलाशैलियां हैं, जिनके माध्यमों से ग्रामीण जनता तक संदेश प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकता है। इन माध्यमों में परिवर्तन की क्षमता अधिक है और वे श्रोताओं में स्वाभाविक रुचि पैदा करते हैं।

परंपरागत माध्यमों ने देश की विकास प्रक्रिया में बहुत योगदान दिया है। इनका योगदान समाज सुधार, शिक्षा, परिवार नियोजन तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय है। ये संचार माध्यम काफी लंबे समय से नई पीढ़ी में हमारी परंपरा, संस्कृति और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने की कोशिश करते रहे हैं। इन माध्यमों में ज्यादा सांस्कृतिक साम्य है। इसलिए इन माध्यमों से दिया गया संदेश ग्रामीण श्रोताओं द्वारा अधिक आसानी से स्वीकार और आत्मसात कर लिया जाता है। विभिन्न सामाजिक बुराईयों दहेज प्रथा, बालविवाह, सतीप्रथा आदि के प्रति लोगों का नजरिया बदलने के लिए इन माध्यमों का अतीत में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया जिन्हें बदलना वैसे बहुत कठिन था।

ये तो बात हुई परंपरागत संचार माध्यमों के अतीत में इस्तेमाल और सफलता की। यहां हम बात कर रहे हैं वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में परंपरागत संचार माध्यमों के योगदान की। आज भी उन गांवों में स्वच्छता की मुहिम ज्यादा सफल हो रही है जहां सरकार/स्वयंसेवी संगठन/कॉरपोरेट परंपरागत संचार माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं।

स्वच्छता के प्रति जागरूकता जरूरी

हमारी स्वस्थ जीवनशैली और जीवन-स्तर को बनाए रखने के लिए स्वच्छता अत्यंत आवश्यक है। साथ ही हम सभी को विदित है कि पूरे भारत में आम जन के बीच स्वच्छता को प्रचारित-प्रसारित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आज शहरों के साथ-साथ गांवों में सभी व्यक्तियों, बच्चों, पुरुषों, महिलाओं के साथ-साथ वृद्धजनों को साफ-सफाई और स्वच्छता के प्रति पूर्व से निर्मित प्रथाओं एवं धारणाओं को बदलने की तत्काल जरूरत है जिससे सर्वजन को स्वच्छ भारत अभियान, के उद्देश्यों के अनुरूप आगे ले जाने में सहजता हो। साथ ही, स्वच्छ समाज की परिकल्पना में अपनी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत को बनाए रख आपसी भाईचारे और पारस्परिक सहमति से अनूकूल वातावरण बनाया जा सके, ताकि हम निर्धारित समयावधि में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

यह परिवर्तन व्यक्ति के व्यावहारिक परिवर्तन के साथ सामाजिक आदर्श का भी स्वरूप होगा। इसकी प्राप्ति के उपरांत व्यक्ति अपने मूल्यों और विश्वास को बनाए रखेगा, साथ ही 'स्वच्छता' विषय की गंभीरता को समझते हुए इसे सहजता से स्वीकार कर, अपने सार्थक प्रयास के साथ निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रेरित होगा। हम सभी इस तथ्य से पूरी तरह अवगत हैं कि व्यक्तिगत व्यवहार में जटिलता पारिवारिक मूल्यों और सामाजिक नियमों के कारण ही अधिक होती है। व्यक्ति के मन में वर्षों पूर्व से चली आ रही पारिवारिक और सामाजिक सोच को बदलने हेतु व्यक्ति विशेष के साथ समुदाय की प्राथमिक और सकारात्मक भागीदारी नितांत आवश्यक है।

आज भी ग्रामीण समाज और समुदाय-स्तर पर 'स्वच्छता' विषय को लेकर ज्ञान की कमी पायी जाती है। साथ ही आपसी सामंजस्य की भी कमी होती है। लोग अपनी गरीबी के कारणों और स्वास्थ्य के मुद्दों जैसे मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्यु दर और अन्य बीमारियों के बीच सुरक्षित पानी और साफ-सफाई के बीच पारस्परिक संबंध को मानने से इंकार करते रहे हैं। यह सोच स्वच्छता कार्यक्रम की पहल में बाधक है।

लोग पारंपरिक मान्यताओं और अपने सामाजिक बंधनों को लेकर अधिक दृढ़ संकल्पित और विश्वासी होते हैं। विश्वस्तर पर

पौराणिक काल से ही यह देखा जाता रहा है कि मानव अपनी भाषा, संस्कृति, सामाजिक संरचना, उत्सव और संबधित क्रियाकलापों के प्रति अत्यंत संवेदनशील और आत्मीय भाव रखता है जिसकी झलक आए दिन हमें विभिन्न आयोजनों में देखने को मिलती है। आम जन आज अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने, परंपरा को कायम रखने में अग्रणी भूमिका के साथ अपनी अभिरुचि को दर्शाते हैं जिसके लिए किसी खास आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती।

समुदायों को एकत्रित कर उनके व्यवहार में परिवर्तन के लिए परंपरागत संचार माध्यमों का प्रयोग कर पानी, साफ-सफाई और स्वच्छ प्रथाओं के प्रति जागरूकता हेतु, सामाजिक-सांस्कृतिक मुद्दों को साथ लेकर परिवर्तन लाने की पहल की जा रही है। यह कार्यप्रणाली, उद्देश्य पूर्ति के दृष्टिकोण से सार्थक भी सिद्ध हो रही है जिसे ग्रामीण-स्तर पर सफलता से संचालित भी किया जा रहा है। कला कार्यक्रमों का उद्देश्य मनोरंजक ढंग से ऊर्जा और चंचलता के साथ 'स्वच्छता' के प्रति जागरूकता लाना है, एवं आमजनों द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले अस्वच्छ क्रियाकलापों को स्वच्छ तरीके में परिवर्तित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। इस तरह स्वच्छता के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलती है।

पारंपरिक कार्यक्रमों के जरिए सुरक्षित पीने के पानी हेतु, जलस्रोतों के निर्माण एवं देख-रेख, समुदाय में शौचालय निर्माण और उपयोग तथा स्वच्छ प्रथाओं को प्रोत्साहित किया जाता है। सामाजिक कला कार्यक्रम समाज के विभिन्न वर्गों में सकारात्मक विश्वास और एक नई ऊर्जा संचारित करते हैं। स्थानीय कलाकार कलात्मक तरीके से समाज में दिन-प्रतिदिन घटित घटनाओं को प्रदर्शित कर समुदाय को आईना दिखाते हैं, जिसे व्यक्ति और समुदाय एक साथ मनोरंजन के रूप में देखता है, लेकिन भावनात्मक रूप से अपने घर और समाज की कहानी को प्रतिबिंब के रूप में देखता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह उसकी अपनी कहानी है, जिसमें उसके साथ परिवार, मित्र और सगे-संबंधी भी हैं। पात्र से जुड़ महसूस करने की वजह से दिया गया संदेश उसे गहरे तक प्रभावित करता है।

परंपरागत कला के अंतर्गत स्थानीय संस्कृति का प्रयोग अपनेपन की भावना लाता है जिससे व्यक्ति न चाहते हुए भी जुड़ जाता है। तदोपरांत एक आम समस्या की प्रकृति को बदलने की प्रक्रिया में वही व्यक्ति उत्प्रेरक की भूमिका के साथ, आपसी सामंजस्य कर परिवर्तनीय बिंदुओं के ध्यान में रखते हुए सामुदायिक भागीदारी भी निभाता है। यह प्रक्रिया आपसी सहभागिता और रचनात्मक दृष्टिकोण, स्थानीय संस्कृति और लाभार्थियों की स्वायत्तता को बढ़ावा देने के साथ अविलंब सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया को शुरू करने के लिए योगदान देती है। इसके अलावा

यह भी माना जाता है कि समुदाय के सदस्य, रचनात्मक अभिनय द्वारा सीख प्राप्त कर गरीबी के दुष्क्र को तोड़ सकते हैं। परंपरागत स्थानीय कलाएं किसी व्यक्ति पर अपनी अमिट छाप छोड़ती हैं, जिससे प्रभावित होकर व्यक्ति स्थानीय संस्कृति को तो जीवंत रखता ही है साथ ही नई चेतना और रचनात्मक अभिव्यक्ति के साथ सामाजिक मूल्यों को बनाए रखते हुए परिवर्तन की ओर अग्रसर होता है।

स्वच्छता का मनोवैज्ञानिक पहलू

सर्वप्रथम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाने हेतु परिवर्तित किए जाने वाले बिंदुओं की पहचान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। साथ ही यह भी देखा जाता है कि व्यक्ति का अपना सामाजिक-सांस्कृतिक और भौतिक वातावरण होता है जिसका उस पर गहरा प्रभाव होता है और उसका मन-मस्तिष्क उसी के अनुसार आगे व्यवहार करता है। ऐसे में व्यक्ति में गहरी पैठ बनाई आदतों को बदलना एक बड़ी चुनौती होता है। सामान्यतः अगर हम एक व्यक्ति के व्यवहार का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि एक ही व्यक्ति अपनी दिनचर्या के विविध चरणों में अलग-अलग तरह से व्यवहार करता है।

अगर हम उसके व्यवहार में परिवर्तन पर एक नजर डालें तो पाते हैं कि घर पर अक्सर व्यक्ति अपने स्वच्छ व्यवहार के प्रति काफी सजग रहता है। जबकि वही व्यक्ति समाज, कार्यस्थल और अन्य जगहों पर जाता है तो लापरवाह हो जाता है। जो केवल एक सार्थक सोच का नहीं होना और सामाजिक-सांस्कृतिक उत्तरदायित्व में कमी को दर्शाता है। साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि नीतिगत ढांचा भी कहीं न कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं।

सामान्यतः हमने अपने घरों में बुजुर्गों, दादी और मां को खासकर देखा होगा कि पूजा से पहले स्वच्छता को लेकर बहुत ही सख्त होती हैं; ये कोई अलग बात नहीं है बस वो हमारी आदत बनाना चाहती हैं। लेकिन, वो यह नहीं बताती कि स्वच्छता से अनेक फायदे हैं जिससे हम अपनी समझ को बढ़ा सकें और सरलता से अनुसरण करें। हर अभिभावक को तार्किक ढंग से स्वच्छता के उद्देश्य, फायदे और जरूरत आदि के बारे में अपने बच्चों से बात करनी चाहिए। उन्हें जरूर बताना चाहिए कि स्वच्छता हमारे जीवन में भोजन और जल की तरह पहली प्राथमिकता है।

यह कोई बाध्यकारी कार्य नहीं है लेकिन हमें इसे शांतिपूर्ण





- शौचालय निर्माण और उपयोग;
- शिशु मल का सुरक्षित निपटान;
- शौच के बाद, भोजन से पहले और बाद में, शिशु मल निपटाने के उपरांत हाथ धोने;
- पीने के पानी का सुरक्षित भंडारण और उपयोग।

लोगों में वर्षों से चली आ रही खुले में शौच करने की प्रथा अस्वीकार्य हो रही है और सामाजिक मापदंड बदल रहे हैं। साथ ही बच्चे के मल का सुरक्षित निपटान और साबुन से हाथ धोने के अभ्यास के साथ सुरक्षित पेयजल के भंडारण और उचित उपयोगिता के प्रति भी लोग सहज होते जा रहे हैं।

एक सकारात्मक व्यवहार परिवर्तन के लिए शौचालय और अन्य महत्वपूर्ण प्रथाओं के संबंध को जोड़ना समग्र लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक है, जो लोगों में स्वच्छता की आदतें सुधारने के साथ-साथ

उनमें उत्साहजनक परिवर्तन लाने में सहायक होगा जोकि अनेक व्यापक उद्देश्यों के साथ जन-जागरूकता को बढ़ाने, दर्शकों को उत्प्रेरित करने, साफ-सफाई और स्वच्छता के महत्व के प्रति अधिक जागरूक बनाने के साथ निर्णय क्षमता को भी विकसित करेगा। इस तरह भविष्य के लिए स्वच्छता मानकों की प्राप्ति का समग्र वातावरण तैयार करेगा। साथ ही यह परिवारों के बीच स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान, गुणवत्तापूर्ण स्वच्छता सेवाओं में वृद्धि, जनता के द्वारा स्वच्छ प्रथाओं को अपनाए जाने को भी प्रेरित करना सुनिश्चित करेगा।

जब हम अपने परंपरागत माध्यमों जैसे लोकसंगीत, नुक्कड़ सभा/नाटक, बहुआयामी कार्यक्रम, लघु फिल्म, व्यक्तिगत संचार आदि को समुदाय से जोड़े तो यह बहुत ही सहजता से प्रदर्शित करना नितांत आवश्यक है कि स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अपने घर, पालतू जानवर, अपने आसपास, पर्यावरण, तालाब, नदी, स्कूल और कार्यस्थल आदि में स्वच्छता की आदत होनी चाहिए। अपने को साफ-सुथरा रखने से समाज में अच्छे व्यक्तित्व और प्रभाव को बनाता है; साथ ही यह अच्छे चरित्र को भी दर्शाता है। धरती पर सुन्दर जीवन को संभव बनाने के लिए अपने शरीर की सफाई के साथ पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों, भूमि, पानी, खाद्य पदार्थ आदि को स्वच्छ बनाए रखना आवश्यक है। बिहार के सुदूरवर्ती जिले शिवहर में वाटर फार पीपल इंडिया और वन ड्राप आपसी समन्वय से स्थानीय परंपरागत माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर बिहार की सांस्कृतिक विरासत के रूप-रंग, स्थानीय बोली, आंचलिक लोकनृत्य झिझिया, श्यामा चकवा, जट-जटिन और जोगी रा रा का सम्मिश्रण लोगों को खूब भा रहा है।

तरीके से करना चाहिए। ये हमें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से स्वस्थ रखता है। सभी के साथ मिलकर उठाया गया कदम एक बड़े कदम के रूप में परिवर्तित हो सकता है। जब एक छोटा बच्चा सफलतापूर्वक चलना, बोलना और दौड़ना सीख सकता है तो आम जन अपनी आदतों को क्यों नहीं सुधार सकते हैं।

तर्जनी के द्वारा माता-पिता अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं क्योंकि ये जीवन जीने के लिए जरूरी है। इसी प्रकार उन्हें समझाना चाहिए कि स्वच्छता स्वस्थ जीवन और लंबी आयु के लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए अपने बच्चों में साफ-सफाई की आदत डालनी जरूरी है। अपने बच्चे को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना एक बड़ा कदम होगा जो भावी समाज के निर्माण के प्रणेता होंगे। अब पूर्ण स्वच्छता हमसे दूर नहीं है। क्योंकि आधुनिककाल के बच्चे बहुत ही समझदार और परिवर्तन को लेकर उत्साहित हैं। यदि अभिभावकों द्वारा इसको बढ़ावा दिया जाए तो बहुत आसानी से स्वच्छता की आदत को व्यक्ति बचपन से ग्रहण कर सकता है और जीवनपर्यंत वह उससे जुड़ा रहेगा चूंकि स्वच्छता उसके संस्कारों में शुमार हो जाएगी।

व्यक्ति का पारस्परिक संबंध, सामुदायिक भागीदारी और अन्य नेटवर्क के द्वारा समायोजित प्रयास व्यवहार परिवर्तन में अग्रणी भूमिका निभाते हैं। प्रभावी संचार के लिए लोग विभिन्न स्तरों पर अलग-अलग तरीके से प्रयासरत हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण संचार दृष्टिकोण है। अनेक साक्ष्यों से यह पता चलता है कि बहुत सारे व्यवहार बदलने के प्रयास सुचारु रूप से कार्य नहीं करते हैं, जिससे अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाती है चूंकि इसमें सिर्फ चार बिंदुओं पर ही सारा ध्यान केंद्रित किया जाता है जो निम्न हैं:-

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यक्रमों को स्थानीय समुदाय से विचार-विमर्श कर तैयार किया जाता है जो उनके अपने परिवार और समाज की घटना होती है। वे अपने कठिनाई, संघर्ष और सफलता की कहानी खुद बयां करते हैं, जिसे नाटकों, बहुआयामी कार्यक्रम और लघु फिल्म में चित्रित कर तैयार किया जा रहा है। स्थानीय कलाकारों की कार्यक्रमों में भागीदारी से कार्यक्रमों को संवारने में और बल मिल रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस प्रक्रिया में कलाकारों का व्यवहार तो परिवर्तित हो ही रहा है साथ-साथ उन्हें रोजगार भी प्राप्त हो रहा है। संस्था द्वारा, कलाकारों को प्रशिक्षित करने, उनमें कौशल विकास और क्षमतावर्द्धन का विशेष ध्यान रखा जा रहा है जिससे उनकी कलाजगत में अपनी पहचान हो और उनका यह कौशल जीविकोपार्जन का साधन भी बन सके। प्रशिक्षण के दौरान प्रसिद्धि प्राप्त कलाकारों का मार्गदर्शन उन्हें नई दिशा दे रहा है। आज संस्थान के साथ जुड़कर 155 स्थानीय कलाकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें 40 प्रतिशत महिलाएं हैं। लघु फिल्मों के पात्र के रूप में जब समुदाय के लोग अपने बीच के लोगों को देखते हैं तो उनकी रुचि और बढ़ जाती है और अनायास ही उनके मुख से यह निकलता है "यह तो हमारे बीच का है और यह मेरी कहानी हमारी ही भाषा में कह रहा है।" "ये तो मदन सहनी है। देख तो केतना बढ़िया से बतावइत छै, केतना फयदा हे शौचालय बनवइला से"।

नाटकों के मंचन में स्थानीय कलाकारों का समावेश समुदाय को जागृत करने में काफी सार्थक सिद्ध हो रहा है। लोग इसे व्यवहार परिवर्तन के लिए अनूठा कदम मान रहे हैं जिसे जीविका के साधन के साथ सामाजिक सेवा की भावना से भी जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही वर्षों से चली आ रही परंपरा को कायम रखने में काफी सहायक है। प्रस्तुति के दौरान यह देखा जाता है कि लोग भावविभोर होकर कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं और संगीत की धुन और बोल के साथ वो भी अपने को जोड़ लेते हैं। कार्यक्रम

की समाप्ति के उपरांत लोकगीतों को गुनगुनाते हुए अपने घरों की ओर प्रस्थान करने से पूर्व कहते हैं:- "भइया जे बात तू हमरा समझइल हे हमनी के जरुर करब जा, इत हमरे घर के बात बा हमनी के जरुर ध्यान देब जा।"

कार्यक्रमों का यह स्वरूप स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज के सदस्यों और समुदाय के बीच नई चेतना और ऊर्जा का संचार कर रहा है। प्रायः यह देखा जाता है कि बहुआयामी कार्यक्रमों के दौरान लोगों के बीच आपसी चर्चा होती है "हमें ही हमारी बात समझ में नहीं आ रही थी देखो, कितनी आसानी से यह कह गया।" शिवहर में स्वच्छता कार्यक्रम के जिला समन्वयक नीलेश सिंह ने भी वाटर फार पीपल इंडिया के प्रयासों को सराहा है।

नुककड़ नाटक, बहुआयामी कार्यक्रम और लघु फिल्म को लोग तहेदिल से सराह रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान लोगों का अपार समर्थन कलाकारों में स्फूर्ति तो ला ही रहा है, साथ ही समुदाय के लोगों के द्वारा कार्यक्रम के उपरांत अपने को बदलने की शपथ लेना और ध्वजवाहक बन समुदाय को जागरूक करने की बात कहना, इसे मुकाम तक पहुंचाने में सहायक हो रहा है। जिले की कुल आबादी में 55 प्रतिशत जनसंख्या तक अपनी पहुंच बनाई जा चुकी है। संस्था जिले की तीन ग्राम पंचायतों को शौचमुक्त करने में अपनी अहम भागीदारी निभा चुकी है।

वैसे तो संस्था पूरे जिले में अपने कार्यक्रम आयोजित कर जागरूकता फैला रही है, लेकिन जिले की तीन पंचायतों 1. धनकौल, 2. दोस्तियां और 3. कोल्हुआ ठीकहा को 2 अक्टूबर 2016 तक शौचमुक्त करने का लक्ष्य जिला प्रशासन और स्थानीय पंचायत प्रतिनिधि के साथ समन्वय स्थापित कर निर्धारित किया है।

(लेखिका वॉटर फार पीपल इंडिया कार्यक्रम की कंट्री डायरेक्टर हैं।)

ई-मेल: mnarula@waterforpeople.org

पत्रिकाओं के शुल्क की नई दरें

क्रम सं.	पत्रिका का नाम	एक प्रति का मूल्य	विशेषांक का मूल्य	वार्षिक शुल्क	द्विवार्षिक शुल्क	त्रिवार्षिक शुल्क
1.	योजना	22	30	230	430	610
2.	कुरुक्षेत्र	22	30	230	430	610
3.	आजकल	22	30	230	430	610
4.	बालभारती	15	20	160	300	420
5.	रोजगार समाचार	12	—	530	1000	1400

स्वच्छ भारत मिशन की चुनौतियां

—डॉ. अमृत पटेल

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सिर्फ शौचालयों के निर्माण पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, बल्कि उनके समुचित रखरखाव और निरंतर स्वच्छता रखते हुए उनका इस्तेमाल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए व्यवहारगत परिवर्तन की आवश्यकता है।

“जिस दिन हम में से प्रत्येक को इस्तेमाल के लिए एक शौचालय उपलब्ध हो जाएगा, उस दिन मैं यह समझूंगा कि देश प्रगति के शिखर पर पहुंच गया है।” —जवाहरलाल नेहरू

पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता संबंधी संयुक्त राष्ट्र-विश्व स्वास्थ्य संगठन निगरानी कार्यक्रम (2010) के अनुसार स्थायी परिष्कृत स्वच्छता प्रणाली एक ऐसी ‘उन्नत’ स्वच्छता व्यवस्था है, जो मानव मल-मूत्र को स्वास्थ्यकर ढंग से मानव संपर्क से पृथक करती है। इसमें मल-मूत्र सीवर प्रणाली या विभिन्न प्रकार के शौचालयों में प्रक्षालित यानी फ्लश कर दिया जाता है या बहाया जाता है। ऐसे शौचालयों में सैप्टिक टैंक वाले शौचालय, पिट यानी गड्ढे वाले शौचालय, उन्नत पिट शौचालय, स्लैब पिट शौचालय या कंपोस्टिंग शौचालय शामिल हैं।

स्वच्छता सुविधाओं के अभाव का दुष्प्रभाव मानव स्वास्थ्य और गरिमा पर पड़ता है। स्वच्छता सुविधाओं के प्रावधान मात्र से 5 वर्ष

से कम आयु के बच्चों में पेचिश के मामलों में 7 से 17 प्रतिशत और मृत्यु के मामलों में 5 से 20 प्रतिशत तक कमी आती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, भारत स्वच्छता सुविधाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का 0.2 प्रतिशत खर्च करता है जबकि पाकिस्तान और नेपाल इन सुविधाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 0.4 प्रतिशत और 0.8 प्रतिशत खर्च करते हैं। ग्रामीण भारत के लिए, स्वच्छता सुविधाओं में मानव मल-मूत्र के सुरक्षित प्रबंधन और सम्बद्ध स्वच्छ व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ग्रामीण भारत को “अपरिष्कृत” स्वच्छता सुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें विशेष रूप से खुले में शौच जाना शामिल है। खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति मानव सुरक्षा और गरिमा में कमी लाती है। ग्रामीण भारत को स्वच्छ शौचालयों की कमी और मानव मल-मूत्र के असुरक्षित निपटान की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मानव मल-मूत्र 50 से अधिक प्रकार के संक्रमणों का प्रमुख स्रोत है और इससे लगभग 80 प्रतिशत बीमारियां पैदा होती हैं।

यूनिसेफ की एक ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में करीब 54 प्रतिशत लोग खुले में मल त्याग करते हैं, जबकि ब्राजील और बांग्लादेश में ऐसा करने वाले लोग मात्र 7 प्रतिशत हैं। भारत में 5 वर्ष से कम आयु के मात्र 6 प्रतिशत ग्रामीण बच्चे शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं और सभी भारतीयों में करीब 50 प्रतिशत ऐसे हैं, जो मल से संपर्क होने पर अपने हाथ साबुन से धोते हैं। केंद्र सरकार की सामाजिक-आर्थिक गणना (2011) से पता चला है कि ग्रामीण परिवारों में मात्र 30.7 प्रतिशत और शहरी परिवारों में 81.4 प्रतिशत शौचालय सुविधाएं थीं। इनमें से ग्रामीण परिवारों में 63.2 प्रतिशत शौचालय निकासी रहित थे, जबकि शहरी क्षेत्रों के परिवारों में ऐसे शौचालय मात्र 18.2 प्रतिशत थे। ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के जरिए सीवर प्रणाली सुविधा मात्र 2.2 प्रतिशत परिवारों के पास थी। भारत सरकार द्वारा 2 अक्टूबर, 2014 से शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान के संदर्भ में इस आलेख में सरकारी कार्यक्रमों की संक्षिप्त समीक्षा की गई है और लक्षित अभियान को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण कार्ययोजना का सुझाव दिया गया है।



केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (1986) : केंद्र सरकार ने 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका लक्ष्य महिलाओं को निजता और गरिमा प्रदान करना था। इस कार्यक्रम में स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सब्सिडी देने का प्रावधान था। परंतु, 1996-97 में स्वयं सरकार द्वारा कराए गए अध्ययन से पता चला कि ग्रामीण लोगों को स्वच्छता सुविधाओं के निर्माण के लिए मात्र सब्सिडी के जरिए प्रोत्साहित करना पर्याप्त नहीं था, बल्कि स्वच्छता के प्रति उनमें जागरूकता पैदा करने की तत्काल आवश्यकता थी।

संपूर्ण स्वच्छता अभियान (1999) : ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का पुनर्गठन करते हुए 1999 में पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य स्थानीय स्वच्छता बाजार और अनेक प्रौद्योगिकी विषयक विकल्पों को बढ़ावा देना था। पूर्ण स्वच्छता अभियान के विशेष लक्ष्य थे, जैसे (1) सुरक्षित शौचालय की जरूरत के बारे में लोगों को शिक्षित बनाने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाना; (2) लागत की दृष्टि से किफायती और समुचित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना; (3) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करना; (4) अकेले सरकार से सुविधाएं प्रदान करने की अपेक्षा रखने की बजाए लोगों की तरफ से सुविधाएं प्राप्त करने की मांग सृजित करना; (5) स्वच्छता कार्यक्रम को ग्रामीण परिवारों से आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचाना ताकि साफ-सफाई की पद्धतियों पर बल दिया जा सके।

निर्मल भारत अभियान (2012) : 2012 में स्वच्छता कार्यक्रम को निर्मल भारत अभियान का नाम दिया गया। कार्यक्रम का लक्ष्य यानी संपूर्ण स्वच्छता हासिल करने के लिए समयावधि 2012 से बढ़ा कर 2022 कर दी गई। निर्मल भारत अभियान में सामुदायिक नेतृत्व और जन-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया। इसमें अन्य बातों के अलावा सूचना, शिक्षा और संचार का इस्तेमाल करने और ठोस एवं तरल कचरे के प्रबंधन पर बल दिया गया। इसके निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार थे : (1) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता सुविधाओं का विस्तार करना, ताकि 2022 तक निर्मल भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सके, जिसमें देश की सभी ग्राम पंचायतों द्वारा निर्मल का दर्जा हासिल किया जाना था; (2) जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए समुदायों और पंचायती राज संस्थानों को स्थायी स्वच्छता सुविधाओं के लिए प्रेरित करना; (3) ग्रामीण क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कवर न किए गए स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को कवर करते हुए उनमें समुचित स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था करना और विद्यार्थियों में स्वच्छ आदतों तथा स्वास्थ्य शिक्षा को प्रोत्साहित करने के सक्रिय उपाय करना; (4) पारिस्थितिकी की दृष्टि से सुरक्षित और स्थायी स्वच्छता सुविधाओं के लिए समुचित किफायती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा

देना; तथा (5) समुदाय द्वारा प्रबंधित पर्यावरणीय स्वच्छता प्रणालियों का विकास करना ताकि ठोस और तरल कचरा प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में समग्र स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था की जा सके।

स्वच्छ भारत अभियान (2014) : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 02 अक्टूबर, 2014 को प्रारंभ किए गए स्वच्छ भारत अभियान (एसडब्ल्यूए) का लक्ष्य खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति को समाप्त करना (लोगों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार के एक अभिन्न घटक के रूप में) है, जिसके लिए ग्रामीण भारत में 2019 तक रुपये 1.96 ट्रिलियन की परियोजना लागत के साथ 12 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अभी तक एक करोड़ शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है। परंतु, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) ने बताया है कि बनाए गए शौचालयों में से आधे से ज्यादा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और परिवारों द्वारा अभी भी खुले खेतों में मल त्याग करने का सिलसिला जारी है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण से पता चलता है कि स्वच्छता अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य हासिल करने के प्रति अधिक उत्साह है, जबकि केंद्रीय और राज्य सरकारें और कॉरपोरेट घराने अपने सामाजिक दायित्व कार्यक्रमों के अंतर्गत समुचित जल की उपलब्धता और रख-रखाव जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि किसी व्यक्ति को गंदे, इस्तेमाल न किए जा सकने वाले शौचालयों और खुले खेतों के बीच विकल्प चुनना पड़े तो वह परवर्ती विकल्प को ही चुनेगा और इससे व्यवहारगत परिवर्तन लाना और ग्रामवासियों को शौचालय के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करना संभव नहीं हो पाएगा। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण से प्रकट हुई जमीनी हकीकत से सरकार को यह समझना होगा कि देशभर में सिर्फ शौचालयों का निर्माण करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें इस्तेमाल योग्य बनाना और लक्षित उपयोग के लिए उनका रख-रखाव करना भी आवश्यक है।

2011 की जनगणना से पता चलता है कि 32.67 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय सुविधाएं थीं। निर्मल भारत अभियान का लक्ष्य 2022 तक सभी परिवारों की पहुंच स्वच्छता सुविधाओं तक कायम करना था। शौचालय सुविधाएं प्रदान करने की वार्षिक क्षमता, जो 2002-03 में 6.21 लाख थी, वह वर्ष 2012-13 में बढ़कर 45 लाख पर पहुंच गई। मार्च, 2014 तक 49 लाख शौचालय बनाए गए। इस दिशा में खराब प्रदर्शन के कारणों में अन्य बातों के अलावा, (1) सांस्कृतिक और परंपरागत कारणों तथा शिक्षा के अभाव के कारण अस्वास्थ्यकर पद्धति बनी हुई है; (2) अधिकतर अजा/अजजा, बीपीएल और निम्न आय समूह के परिवार बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण के लिए स्वच्छता के

महत्व के प्रति आमतौर पर जागरूक नहीं हैं। उनके लिए स्वच्छता सुविधाएं “स्वयं महसूस की गई जरूरत” नहीं हैं, इसलिए वे स्वच्छता कार्यक्रमों में हिस्सा नहीं लेते हैं; (3) ग्रामीण परिवारों में जागरूकता पैदा करने के ऐसे प्रयासों के अभाव के कारण स्वच्छता सुविधाओं के कवरेज का स्तर निम्न रहता है, जिनके जरिए ग्रामीण परिवारों को शौचालय सुविधाएं रखने और उनका इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित किया जा सके। (4) लागत की दृष्टि से वहनीय स्वच्छता प्रौद्योगिकी और प्रशिक्षित कार्यान्वयन एजेंसियों का अभाव और (5) शौचालय डिजाइनों और क्षेत्र विषयक प्रौद्योगिकियों के विकल्प उपलब्ध न होना, सहायक वितरण प्रणालियां पर्याप्त न होना और प्रशिक्षित राजगीरों, प्रशिक्षित श्रमिकों और तकनीकी कार्मिकों का अभाव आदि अन्य कारण हैं, जो निम्न कवरेज के लिए जिम्मेदार हैं।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

2009 से 2014 की अवधि को कवर करने वाली नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि “स्वच्छता कार्यक्रम जो तीन दशकों से मिशन मोड में चलाया जा रहा है, विभिन्न सरकारी एजेंसियों, प्रतिभागी स्वयंसेवी संगठनों और कॉरपोरेट घरानों में अपेक्षित उत्साह पैदा करने में विफल रहा है”। लेखा परीक्षा के दौरान निचले स्तर यानी ग्राम पंचायतों के स्तर पर समुचित योजनाओं का अभाव पाया गया, जिन्हें जिला योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके। शौचालयों की लक्षित संख्या में से आधे शौचालयों का ही निर्माण किया गया और उनमें भी करीब एक तिहाई ऐसे थे, जो इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। वे या तो अधूरे थे, या उनका निर्माण ठीक से नहीं किया गया या उनका रख-रखाव खराब ढंग से किया जा रहा था। अध्ययन के वर्षों के दौरान न केवल केंद्र ने आधे से कम धन जारी किया, बल्कि, 16 राज्यों में या तो कोई धन जारी ही नहीं किया, या फिर वित्त पोषण में अपने हिस्से से कम धन जारी किया। चूंकि सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है, जिनके कार्यों में अतिव्यापन होता है, इसलिए समुचित समन्वय की योजना आवश्यक है। उदाहरण के लिए इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत घरों में निर्मित किए जाने वाले शौचालयों के लिए सामग्री की लागत स्वच्छता कार्यक्रम से और श्रम लागत ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से उपलब्ध कराई जानी थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अतः कार्यक्रम की निगरानी ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली के जरिए करनी पड़ी। परंतु, समस्या सिर्फ यह नहीं थी कि अपलोड किया गया डाटा जांचा-परखा नहीं गया था, बल्कि यह भी कि विभागों की वार्षिक कार्य निष्पादन रिपोर्टों के साथ उसका मिलान नहीं किया गया था। ऐसे में कार्यक्रमों के बीच परस्पर सामंजस्य आवश्यक है। अतीत की तुलना में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र— यानी लोगों को शौचालयों के वास्तविक इस्तेमाल के लिए प्रेरित करने के लिए बदलाव

अपेक्षित है। संदेश संप्रेषण के लिए ब्रैंड एम्बेसेडर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण से पता चला है कि कुछ लोग नए शौचालयों को भंडारगृहों की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। सरकार को अधिक विस्तृत अध्ययन कराने की आवश्यकता है, ताकि वास्तविकता के पीछे के कारणों का पता लगाया जा सके और उनके परिणाम लोगों के समक्ष रखे जा सकें। इस अभियान के संचालन में धन की कोई समस्या नहीं होगी। विश्व बैंक ने 1.5 अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया है, ताकि परियोजना के अंतर्गत व्यवहारगत बदलाव पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में भारत की रैंकिंग में 2013 की 131 की तुलना में मामूली सुधार दर्ज हुआ जो 2014 में 130 आंकी गई। वैश्विक मानव विकास रिपोर्ट के 2015 के संस्करण के अनुसार 2009 से 2014 की तुलना में इसमें 6 स्थानों का सुधार हुआ।

कार्यनीतिक उपायों की आवश्यकता

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत 2019 तक सभी के लिए शौचालय प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरे समर्थन के साथ मिशनरी भावना से लागू किया जा रहा है। इसकी कार्यनीति में निम्नांकित महत्वपूर्ण तत्व शामिल हैं :

- खुले में शौच जाने के दुष्प्रभावों के प्रति ग्रामीण लोगों को पूरी तरह जागरूक बनाने के लिए ग्राम-स्तर पर अभियान चलाने की आवश्यकता है। यह तथ्य भलीभांति प्रचारित किया जाना चाहिए कि खुले में मल त्याग अनेक संक्रमणों और बीमारियों के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। संचार के सभी उपलब्ध साधनों के जरिए व्यापक अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि स्कूली बच्चों, युवाओं और महिलाओं सहित किसी भी गांव के सभी लोगों को इस तथ्य से अवगत कराया जाए कि वे खुले में शौच जाने के लिए कभी नंगे पैर न जाएं; मानव मल-मूत्र को हमेशा मिट्टी से ढक दें, ताकि उस पर मक्खियां न बैठ सकें और खाद्य वस्तुओं को विषाक्त न बना सकें, जो पेचिश, दस्त, हैजे आदि का प्रमुख कारण होता है। प्राथमिक स्कूलों के अनिवार्य विषयों में ग्रामीण स्वच्छता को स्वास्थ्य के एक अध्याय के रूप में समुचित स्थान अवश्य दिया जाना चाहिए। अभियान का अंतिम लक्ष्य सुरक्षित स्वच्छ शौचालयों के लिए मांग पैदा करना और विशेष रूप से महिलाओं को खुले में शौच जाने की पीड़ा और कष्ट से मुक्ति दिलाना होना चाहिए।
- सुरक्षित स्वच्छता और स्वच्छ जल किसी भी आबादी को स्वस्थ बनाते हैं। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों का एक-दूसरे के साथ परस्पर संबंध है। हैजा, पेचिश जैसी जलजन्य बीमारियां और कई स्थानों पर पेयजल में आर्सेनिक की मात्रा से कैंसर का जोखिम होने को देखते हुए,

यह जरूरी है कि स्वास्थ्य, जलापूर्ति और स्वच्छता को एक ही क्षेत्र के अंतर्गत समझा जाए, न कि अलग-अलग।

- अनुभवों से पता चलता है कि उपयोगकर्ता लाभार्थियों पर शौचालय का एक समान डिजाइन नहीं थोपा जाना चाहिए। किसी शौचालय के उपयोगकर्ता को अपने शौचालय का डिजाइन तय करने की छूट होनी चाहिए। पता चला है कि सुलभ इंटरनेशनल ने शौचालयों के 46 डिजाइन तैयार किए हैं। उनमें बीपीएल परिवारों और मध्यम आय समूहों या उच्चतर आय समूहों के लिए जलयुक्त फलश शौचालयों के डिजाइन शामिल हैं। बीपीएल परिवारों को शौचालय सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा सकती हैं जबकि मध्यम आय समूह और उच्चतर आय समूह को इसके लिए सब्सिडी दी जा सकती है। बैंकों को भी चाहिए कि वे शौचालयों के निर्माण को प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत ऋण का पात्र समझें। खुले में मल त्याग से मुक्त, स्वच्छ वातावरण को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ भारत अभियान को राष्ट्रीय महत्व का कार्यक्रम समझते हुए सरकार घरों में शौचालयों के निर्माण के लिए सभी लाभार्थियों को ब्याज-मुक्त बैंक ऋण प्रदान करने पर विचार कर सकती है।
- स्वयंसेवी संगठनों के पास प्रमाणित और प्रदर्शन योग्य विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचा होना चाहिए। उन्हें कार्यक्रम के कार्यान्वयन का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में अन्य बातों के अलावा अपेक्षित सूचना, शिक्षा, संचार, कार्यान्वयन और अनुवर्ती कार्रवाई आदि पहलू शामिल किए जाने चाहिए।
- कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बड़े पैमाने पर सामाजिक एकजुटता के महत्वपूर्ण प्रयासों की आवश्यकता होती है, ताकि विभिन्न समूहों से सम्बद्ध लोगों को शामिल किया जा सके। निचले स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी।
- मार्च, 2018 तक यह जरूरी है कि प्रत्येक स्कूल में शौचालय सुविधाएं प्रदान की जाएं। व्यक्तिगत दानकर्ता, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियां, कोरपोरेट घराने, व्यापारी समुदाय, प्राइवेट कंपनियां, अनिवासी भारतीय आदि सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में स्कूलों में शौचालय सुविधाएं प्रदान करने पर विचार कर सकते हैं। स्कूल प्रशासन और अध्यापकों की इस बात में महत्वपूर्ण भूमिका है कि वे विद्यार्थियों को ये सिखाएं कि शौचालयों को स्वच्छ और साफ कैसे रखा जा सकता है। उन्हें इस पर निगरानी भी रखनी होगी कि विद्यार्थी अनुदेशों का पालन करें। एक माहौल बनाने की जरूरत है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि शिक्षकों की देखरेख में विद्यार्थी शौचालयों को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी सहर्ष महसूस करते हैं।

- देशभर में ग्राम पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत पंचायतों को मजबूत बनाने और उनमें क्षमता निर्माण के व्यापक उपाय करने की परम आवश्यकता है।
- अन्य उपायों में (i) ग्रामीण स्वच्छता के लिए उच्चतर निवेश, (ii) आक्रामक सामाजिक विपणन, (iii) व्यवहार में बदलाव लाने के लिए जागरुकता के सशक्त उपाय, (iv) ग्राम आयोजना, (v) सुदृढ़ वैकल्पिक वितरण प्रणाली, (vi) पंचायत स्तर पर जन-जागरुकता और सामाजिक एकजुटता, (vii) कार्यान्वयन एजेंसियों, स्वयंसेवी संगठनों, द्विपक्षीय एजेंसियों और पंचायतों के साथ सुदृढ़ भागीदारी का विकास, (viii) बेहतर स्वच्छता अभियान के लिए भागीदारों में समुचित क्षमता निर्माण, (ix) प्रशिक्षित राज मिस्त्री उपलब्ध कराना और सामाजिक एकजुटता के साथ काम करना, (x) बीपीएल और एपीएल परिवारों में उन परिवारों को एक साथ लक्ष्य बनाना, जिनके पास शौचालय सुविधाएं नहीं हैं, (xi) प्रोत्साहन और पुरस्कार, (xii) पंचायत और ब्लॉक-स्तर पर समयबद्ध उपाय सुनिश्चित करना शामिल हैं।
- दो अंकों में वार्षिक वृद्धि दर के लक्ष्य वाली, एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था के नाते भारत को खुले में मल त्याग की समस्या का समाधान करना होगा और दीर्घावधि के संदर्श को ध्यान में रखते हुए मानव मलमूत्र के निपटान के लिए पाइपयुक्त सीवर प्रणाली के साथ शौचालय सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। वास्तव में, सरकार और स्थानीय प्राधिकरण या लाभार्थियों में से कोई भी अकेले सीवरेज प्रणाली की संपूर्ण पूंजी लागत और इस पर समय-समय पर होने वाले खर्चों तथा रखरखाव लागत का भार वहन नहीं कर सकता। इस प्रयोजन के लिए वीज़न 2022 के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों पर साझा ध्यान देने की आवश्यकता है; विकसित देशों की उत्कृष्ट पद्धतियां अपनाई जा सकती हैं; विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से वित्तीय संसाधन जुटाए जा सकते हैं; प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक एजेंसियों से प्रौद्योगिकियां और उपकरण हासिल किए जा सकते हैं; 2022 तक सरकारी-निजी-भागीदारी के साथ एक मिशन मोड में सभी शहरों और गांवों को निरंतर कवर करने के लिए चरणबद्ध रूप में संदर्श योजनाएं लागू की जा सकती हैं; उपयोगकर्ताओं और युवाओं को रखरखाव और अनुवर्ती कार्रवाइयों आदि के संदर्भ में सभी प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जा सकते हैं।

(लेखक बैंक ऑफ बड़ौदा में उप-महाप्रबंधक रह चुके हैं)

ई-मेल: dramritpatel@yahoo.com

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन

—इंदिरा खुराना

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और आम लोगों की जीवन-स्थितियों में सुधार लाना है और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है। इसके साथ ही, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जल-मल प्रबंधन भी एक गंभीर चुनौती है।

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने 9 सितंबर, 2016 को सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के स्वच्छता से संबंधित तमाम प्रधान सचिवों/सचिवों को पत्र लिखकर स्वच्छता सूचकांक और ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएलएम) सूचकांक तैयार करने को कहा। इसका उद्देश्य गांवों, ग्राम पंचायतों, ब्लॉकों, जिलों और राज्यों को इन सूचकांकों के आधार पर वर्गीकृत करना और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना तथा इसके लिए प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना था। आशा की जा रही है कि इससे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के समग्र लक्ष्य को प्राप्त करने के कार्य में और तेजी आएगी जिसका बुनियादी मकसद खुले में शौच करने की आदत से देश को मुक्ति दिलाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखना और अपशिष्ट पदार्थों को फिर से इस्तेमाल में लाना या उनका सुरक्षित तरीके से निपटान करना है। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता, स्वास्थ्य और आम लोगों की जीवन-स्थितियों में सुधार लाना है और ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन स्वाभाविक रूप से इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण घटक है।

कचरा या अपशिष्ट सार्वजनिक स्वास्थ्य और साफ-सफाई के लिए एक गंभीर खतरा है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाला कचरा मुख्य रूप से जैविक होता है, किंतु निपटान के गलत तौर-तरीकों के कारण गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

इससे जलजनित बीमारियां जैसे दस्त, मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड आदि फैल सकते हैं। अनुमान है कि ग्रामीण भारत में प्रतिदिन 3 से 4 लाख मीट्रिक टन फिर से इस्तेमाल करने लायक ठोस जैविक कचरा उत्पन्न होता है और यहां 88 प्रतिशत बीमारियां स्वच्छ पानी, साफ-सफाई और समुचित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की कमी के कारण होती हैं (भारत सरकार, 2008)। इसके साथ ही, ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में जल-मल प्रबंधन भी एक गंभीर चुनौती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन शहरी क्षेत्रों की तुलना में आसान है क्योंकि इन क्षेत्रों में औद्योगिक प्रदूषण की आशंका कम होती है। इसलिए कचरे को अधिक सुरक्षित तरीके से रीसाइकिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों की तरह गांवों में जगह की भी समस्या नहीं होती।

वैसे ठोस और तरल कचरा प्रबंधन किसी भी समुदाय में स्वच्छता में सुधार का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। जब तक कचरे को सुरक्षित तरीके से नहीं निपटाया जाता, तब तक साफ-सफाई के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में इस पहलू को अक्सर नजरंदाज किया जाता है जिसका कारण उचित बुनियादी ढांचे की कमी, टिकाऊ और सस्ती तकनीक तथा ओ एंड एम (संचालन एवं अनुरक्षण) सुविधाओं की अनुपलब्धता व जागरूकता का अभाव है। टिकाऊ विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को,



विशेष रूप से इसके लक्ष्य-6 को इन समस्याओं के बिना हासिल नहीं किया जा सकता।

क्या हैं टिकाऊ विकास लक्ष्य (एसडीजी 6)

एसडीजी 6 का लक्ष्य है, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और इनका सतत् प्रबंधन सुनिश्चित करना।

इसके उप लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

- 6.1 वर्ष 2030 तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत आधार पर सभी को सुरक्षित और किफायती लागत पर पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- 6.2 2030 तक सभी को पर्याप्त और न्यायसंगत तरीके से स्वच्छता और सफाई की सुविधा उपलब्ध कराना और महिलाओं, लड़कियों और संवेदनशील स्थितियों में रहने वाले लोगों पर विशेष ध्यान देते हुए खुले में शौच की बुराई को खत्म करना।
- 6.3 2030 तक प्रदूषण को कम करने, जोखिमपरक रसायनों एवं सामग्रियों की डंपिंग को रोकने एवं उनके प्रवाह को न्यूनतम करने, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करने और रीसाइकलिंग को बढ़ाने एवं विश्वस्तर पर उसके सुरक्षित पुनः-प्रयोग के लिए जल की गुणवत्ता में सुधार करना।
- 6.4 2030 तक सभी क्षेत्रों में जल उपयोग दक्षता बढ़ाना और पानी की कमी को दूर करने के लिए स्वच्छ पेयजल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना, साथ ही पानी की कमी से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में कमी लाना।
- 6.5 जहां तक उपयुक्त हो, 2030 तक सीमा पार सहयोग सहित तमाम उपायों से सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को लागू करना।
- 6.6 2020 तक पर्वतों, वनों, दलदलों, नदियों, जलसंभरों और झीलों समेत जल संबंधी सभी पारिस्थितिकीय तंत्रों की रक्षा और उनकी बहाली।
- 6-क 2030 तक जल एवं स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों को अंतरराष्ट्रीय समन्वय और क्षमता निर्माण से जुड़ा सहयोग प्रदान करना, जिसमें जल संचयन, विलवणीकरण, जलदक्षता, अपशिष्ट जल उपचार, रीसाइकलिंग यानी पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग संबंधी तकनीक शामिल हैं।
- 6-ख जल और स्वच्छता प्रबंधन में स्थानीय समुदायों की भागीदारी को बढ़ावा देना और सुदृढ़ करना।

अपशिष्ट प्रबंधन के विकल्प

दिलचस्प बात यह है कि भारत में अपशिष्ट यानी कूड़े-कचरे

के उत्सर्जन में भी विविधता नजर आती है। देश में जलवायु, भूआकृति, संसाधनों की उपलब्धता, आजीविका और संस्कृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण समुदाय परंपरागत रूप से अधिकांश संसाधनों का उपयोग और फिर से उपयोग करने के लिए जाने जाते हैं जिससे कूड़े-कचरे का न्यूनतम उत्सर्जन होता है। लेकिन समय के साथ-साथ स्थिति में बदलाव आ रहा है जिसका कारण है बढ़ता हुआ उपभोक्तावाद, खानपान की आदतों में बदलाव तथा प्लास्टिक थैलियों व सड़कर नष्ट न होने वाली पैकेजिंग सामग्री की आसान उपलब्धता।

कूड़े-कचरे के उपचार संबंधी ज्यादातर विकल्प अंग्रेजी के अक्षर आर से शुरू होने वाले चार आर के कुछ या सभी सिद्धांतों पर आधारित हैं। ये हैं: कमी (रिड्रेशन), फिर से उपयोग (रीयूज), पुनर्चक्रण (रीसाइकिल) और पुनः प्राप्त करना (रीकवर)।

स्वच्छ भारत मिशन के दिशानिर्देशों में किए गए प्रस्ताव

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित की जाती हैं:

1. ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए: राज्य अपने इलाकों के लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी के बारे में फैसला करते हैं। घरेलू कूड़े-कचरे को इकट्ठा करना, छांटना और उसका सुरक्षित निपटान करना; इसके लिए घरेलू कंपोस्टिंग और बायोगैस संयंत्रों वाली विकेंद्रित प्रणाली की अनुमति है। ठोस कार्बनिक कूड़े-कचरे से खाद बनाकर उसका अधिकतम उपयोग करने की गतिविधियों को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाना चाहिए। इसमें काम आने वाली टेक्नोलॉजी में बर्मी कंपोस्टिंग, एनएडीईपी कंपोस्टिंग, सड़ाकर खाद बनाने की कोई भी अन्य विधि तथा व्यक्तिगत और सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र शामिल हो सकते हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आबंटित धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों जैसे महिलाओं में माहवारी के दौरान उत्पन्न होने वाले कचरे (जैसे सैनिटरी पैड) के निपटान और स्कूलों, महिलाओं के सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और गांवों में किसी भी ऐसे उपयुक्त स्थान पर इस तरह के कचरे को जलाकर नष्ट करने के लिए इनसिनेटर लगाने के लिए भी किया जा सकता है जहां ऐसे कचरे को इकट्ठा किया सके। इसके लिए अपनाई जाने वाली टेक्नोलॉजी में ऐसे उपयुक्त विकल्प शामिल हैं जो सामाजिक दृष्टि से स्वीकार्य और पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हैं।
2. तरल अपशिष्ट प्रबंधन: इसके लिए उपयुक्त टेक्नोलॉजी की पहचान राज्यों को करनी है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन में इस्तेमाल होने वाली विधियों में इस तरह के अपशिष्ट का कृषि कार्यों में अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया जाता

है जिसमें संचालन और रखरखाव की लागत न्यूनतम होती है। गंदे पानी को इकट्ठा करने के लिए कम लागत की पानी निकासी प्रणाली, सोखता गड्ढा आदि का उपयोग किया जा सकता है।

3. गंदे पानी के उपचार के लिए जिन टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है उनमें शामिल है: (क) अपशिष्ट स्थिरीकरण तालाब टेक्नोलॉजी (ख) डकवीड आधारित गंदे पानी के उपचार की प्रणाली, और (ग) राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) द्वारा विकसित फाइटोरॉइड तकनीक।
4. एनेरोविक (वायुरहित) विकेंद्रित अवजल उपचार प्रणाली।

सभी ग्राम पंचायतों को ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के दायरे में शामिल होना जरूरी है और ये परियोजनाएं वार्षिक जिला योजना का हिस्सा होनी चाहिए जिनकी स्वीकृति राज्य-स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा की जाती है।

ठोस कचरा प्रबंधन: ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर घरों से निकलने वाला ठोस कचरा आमतौर पर कार्बनिक किस्म का होता है

जिसमें कुछ अकार्बनिक कचरा भी शामिल होता है। इन क्षेत्रों में सदियों से कचरे को सड़ाकर खाद बनाने का तरीका इस्तेमाल किया जाता है जो ठोस अपशिष्ट की रिसाइकलिंग और उसके फिर से इस्तेमाल की सबसे उपयुक्त, टिकाऊ और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल विधि है।

कंपोस्टिंग कार्बनिक पदार्थों को सड़ाकर खाद के रूप में उपयोग में लाने का एक तरीका है। इसकी अनेक वैकल्पिक विधियां हैं जिनमें बंगलौर विधि, इंदौर विधि, बर्मी कंपोस्टिंग विधि, रोटरी ड्रम कंपोस्टिंग, बायोगैस टैक्नोलॉजी और एनएडीपी विधि शामिल हैं।

तरल अपशिष्ट प्रबंधन: तरल अपशिष्ट पदार्थों के निपटान में कुछ चुनौतियां सामने आती हैं। ठहरा हुआ पानी बीमारियां फैलाने वाले परजीवियों का सबसे अच्छा जन्मस्थान होता है। बरसाती पानी के निकास के नाले न होने से यह समस्या और गंभीर हो जाती है। गंदा पानी भूमिगत जल के लिए भी खतरा पैदा करता है खासतौर पर तब, जब भूमि जल का स्तर ऊंचा हो।

तालिका 1. विभिन्न प्रकार अपशिष्ट जल का वर्गीकरण

ग्रे वाटर यानी गंदला पानी	शौचालय को छोड़कर स्नानागार, रसोईघर और अन्य घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल
ब्लैक या काला पानी	शौचालयों से उत्पन्न अपशिष्ट जल
मिलेजुले प्रकार का गंदा पानी जलमल	इसमें स्नानागार और रसोईघर के साथ-साथ सैप्टिक टैंक में उपचारित होने वाला पानी भी शामिल रहता है। सैप्टिक टैंक की मौजूदगी या गैर-मौजूदगी में घरों से निकलने वाला दोनों तरह का पानी।

तालिका 2- ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल प्रबंधन के विकल्प

संख्या	प्रकार	एकत्रण	उपचार/निस्तारण	पुनःप्रयोग का विकल्प
1	ऑन साइट	आवश्यक नहीं	ग्रे वॉटर के लिए सोकेज पिट (सोखता गड्ढा) ब्लैक वॉटर के लिए दो पिट वाली लैट्रीन	नहीं
2	ऑन साइट	आवश्यक नहीं	सैप्टिक टैंक, सोक पिट	नहीं
3	ऑन साइट-उन्नत	आवश्यक नहीं	उन्नत ऑन साइट प्रणाली	कृषि के लिए ऑन साइट पुनःप्रयोग
4	मिश्रित		केवल ग्रे वॉटर के लिए ढंकी हुई सतही नालियां	ग्रे वॉटर के लिए विकेंद्रीकृत एसटीपीसी, सैप्टिक टैंक, ब्लैक वॉटर के लिए सोकेज पिट सोखता गड्ढा
5	विकेंद्रित गैर सीवर	ढकी हुई सतही नालियां	ब्लैक वॉटर के लिए सैप्टिक टैंक, ग्रे वॉटर का उपचार, विकेंद्रीकृत एसटीपी में सैप्टिक टैंक से निकलने वाला गंदा पानी	मिश्रित और उपचारित अपशिष्ट जल का कृषि के लिए पुनःप्रयोग

ग्रामीण क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के प्रबंधन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं (देखिए तालिका-2) और इसके चयन मानदंड निम्नलिखित पर आधारित होने चाहिए:

- किसी टेक्नोलॉजी को चुनने में स्वास्थ्य संबंधी जोखिम।
- प्रदूषण फैलाने और ऊर्जा की खपत की दृष्टि से पर्यावरण संबंधी परिणाम।
- पूंजी तथा संचालन व रखरखाव (ओ एंड एम) के खर्च के संदर्भ में आर्थिक परिणाम।

- स्वीकार्यता और अपनाने के सामाजिक-सांस्कृतिक पहलू।
- मौसम, जलवायु संबंधी स्थितियों और संचालनात्मक परिस्थितियों की मजबूती के लिए तकनीकी पहलू।
- उपचार प्रक्रिया और टेक्नोलॉजी को सक्षम रूप से संचालित करने और उसे कायम रखने की क्षमता।

(लेखिका अंतरराष्ट्रीय विकास परामर्शी संस्था आई पी एल ग्लोबल लिमिटेड में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य (WASH) की प्रमुख हैं।)
ई-मेल: dr.indira.khurana@gmail.com

‘स्वच्छ ग्राम पुरस्कार’ जीतने की होड़

नगालैंड के जुन्हेबोटो जिले के फुघोबोटो और त्सेमिन्यु ब्लॉक में महीने की शुरुआत एक गतिविधि की हलचल के साथ हुई। ‘स्वच्छ ग्राम पुरस्कार’ के लिए सत्यापन का दूसरा चरण जारी है और हरेक गांव इस बेहद लोकप्रिय, 5 लाख रुपये के नकद पुरस्कार, को जीतने की जी-जान से कोशिश कर रहा है।

जुन्हेबोटो जिले में 176 गांव हैं। के. घोषितो सुमी, निदेशक, जल और स्वच्छता सहायता कार्यालय (डब्ल्यूएसएसओ), लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और राज्य समन्वयक (एसबीएम-जी), नगालैंड के अनुसार यह कहना बेमानी है कि पुरस्कार जीतने के लिए पूरे ग्राम समुदाय को अपना योगदान देना होगा। । प्रतियोगिता से पहले, प्रत्येक घर में ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करने के लिए स्थानीय-स्तर पर बांस से बनाया जाने वाला अपना कूड़ेदान होना चाहिए। इस ठोस अपशिष्ट का निपटारा गांव से बाहर एक नियत जगह पर किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, जैविक रूप से नष्ट नहीं होने वाले कचरे को परिसर के निकट कम्पोस्ट खाद के लिए खोदे गए गड्ढे में भरना चाहिए। इसके अलावा क्षेत्र की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए प्रत्येक घर में फूलों के पौधे, छाया के लिए पेड़ होने चाहिए। गौरतलब है कि निजी शौचालयों के साथ ही सामुदायिक शौचालयों को भी साफ-सुथरा रखा जाना चाहिए। निरीक्षण के दौरान ग्रामीण सड़कों, फुटपाथों और जल-निकासी के रखरखाव का भी जायजा लिया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि किसी भी गांव में इधर-उधर भटकने वाले जानवर पाए गए, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।

घोषितो का कहना है, “जुन्हेबोटो जिले के अंतर्गत फुघोबोटो उपमंडल के स्थानीय विधायक ने स्थानीय क्षेत्र विकास निधि (एलएडीएफ) के तहत इस पुरस्कार की स्थापना की थी, जो

वर्तमान में नगालैंड के सड़क और पुल मंत्री हैं। पिछले वर्ष एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलों से स्वच्छता को महत्व देने को कहा था और यह प्रतियोगिता उसी का परिणाम है।

सत्यापन के तीन चरणों के बाद विभिन्न मानदंडों के आधार पर गांवों की स्वच्छता प्रतिस्पर्धा के परिणाम का निर्णय लिया जाएगा। सत्यापन समिति का नेतृत्व संयोजक के रूप में उपमंडलीय अधिकारी (नागरिक) एर. नामांग चेंग कर रहे हैं। यह समिति बाहरी स्वरूप, उद्यान और वृक्षारोपण, सार्वजनिक संपत्ति, साफ-सफाई और जल निकासी का रखरखाव, जल आपूर्ति और स्रोत, सामुदायिक पहल, मवेशियों की देखभाल और प्रबंधन तथा पारंपरिक परिपाटियों और संस्कृति के संरक्षण का जायजा लेती है। सबसे पहला स्वच्छ ग्राम पुरस्कार 2015 में घाटहाशी गांव को प्रदान किया गया था। इस बार, पहले चरण का सत्यापन अगस्त में किया गया था और दूसरा चरण वर्तमान में जारी है, जबकि स्वच्छ गांव के लिए अंतिम निरीक्षण अक्टूबर के आसपास किया जाएगा, ताकि थुवु नी फोगोबोटो (इसका अर्थ है फोगोबोटो की प्रगति) नामक भव्य सांस्कृतिक समारोह में विजयी गांव को पुरस्कार प्रदान किया जा सके। इस समारोह का आयोजन 13-14 नवंबर, 2016 को किया जाएगा। उसी समय आहुना नामक सालाना सुमी त्यौहार मनाया जाएगा। इसके आयोजन के दौरान नृत्य, संगीत, खेल, वेशभूषा और भोजन के माध्यम से क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

श्री घोषितो का कहना है कि “स्वच्छ ग्राम पुरस्कार” पूरे समुदाय के लिए एक प्रकार का प्रोत्साहन है, क्योंकि यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अवसर देता है। जीतने वाला गांव, पड़ोसी गांवों के लिए अनुकरणीय मिसाल कायम करेगा। भीतरी और बाहरी साफ-सफाई में महिलाएं और बच्चे दोनों विशेष रूप से प्रमुख भूमिका निभाते हैं। साथ ही वे बागवानी और फूलों की देखरेख करके गांव की सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। राज्य के समस्त 11 जिलों को अभी “खुले में शौच से मुक्त” घोषित किया जाना बाकी है। जुन्हेबोटो, जो एसबीएम चरण-1 वाले उन जिलों में से हैं, उन्हें 2016-17 तक ओडीएफ घोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यहां अब भी 13,991 घरों में शौचालय नहीं हैं। इस दिशा में, जिले ने इस वित्तीय वर्ष के दौरान शेष शौचालयों का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रणाली बनाने की भी योजना है। सुमी ने बताया, “हमारी वर्ष के अंत तक इस कार्यक्रम को शुरू करने की योजना है।”

स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार



हरदा में सकारात्मक भेदभाव से व्यवहार में बदलाव

प्रत्येक राज्य को अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण अभियान की गतिविधियां तय करने का अधिकार है। इसी के मद्देनजर अगस्त, 2016 में खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित किए जा चुके हरदा ने लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के लिए सकारात्मक भेदभाव का तरीका अपनाया।

हाल ही में सम्पन्न ओलम्पिक खेलों से पूर्व मध्य प्रदेश के हरदा जिला प्रशासन ने विभिन्न ग्राम पंचायतों की निगरानी समितियों के बीच ओडीएफ ओलम्पिक का आयोजन किया। जिला पंचायत हरदा की सीईओ प्रिया मिश्रा के अनुसार इस आयोजन की विभिन्न स्पर्धाओं में केवल ओडीएफ गांव ही भाग ले सकते थे, चाहे उनमें अच्छे खिलाड़ी हों या नहीं।

मिश्रा ने बताया, “निगरानी समितियों में पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जो खुले में शौच करने की आदत छुड़वाने की हमारी कोशिशों के वास्तविक चैम्पियन भी हैं। वे गांवों पर नजर रखते हैं और लोगों को खुले में शौच करने से रोकते हैं।” उन्होंने बताया कि लेकिन जब किसी ऐसे गांव को इस आयोजन में भाग नहीं लेने दिया गया, जिसमें बहुत से कुशल खिलाड़ी थे, तो वहां के लोग अपने व्यवहार में तब्दीली लाने के लिए कड़ी मेहनत करने को प्रेरित हुए।

एक अन्य नवीन प्रतिस्पर्धा “स्वच्छ किचन, सुंदर किचन” का भी आयोजन किया गया, जिसमें केवल खुले में शौच से मुक्त गांवों के स्कूलों की रसोइयों को भाग लेने की इजाजत दी गई। इतना ही नहीं, खुले में शौच से मुक्त गांव के किसी भी व्यक्ति को जिला प्रशासन के कार्यालयों में प्रवेश करने के लिए कूपन लेने की भी आवश्यकता नहीं है।

मिश्रा ने बताया, “ऐसे सकारात्मक भेदभाव से लोगों ने अपनी उपलब्धि—कि अपने गांव को ओडीएफ बनाना है, पर गर्व करना शुरू किया। यह लोगों को अपने गांव का ओडीएफ दर्जा बरकरार रखने के लिए प्रोत्साहित भी करता है।”

हरदा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अभियान, के प्रारंभ से ही इससे जुड़ गया और उसने ‘मलयुद्ध’ नामक मुहिम शुरू की, जिसका अर्थ है—अस्वच्छता के विरुद्ध युद्ध। दरअसल देश भर स्वच्छ भारत मिशन जन आंदोलन में कई ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल हो रहा है, जिनकी शुरुआत हरदा में हुई थी। ऐसा ही एक शब्द “लोटा जलाओ” है, जिसके तहत लोग एक ओडीएफ कार्यक्रम आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों में से एक, उस लोटे को जलाना है, जिसे लोग खुले में शौच के लिए जाते समय पानी भरने के लिए साथ ले जाया करते थे। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ओडीएफ गांव अपने नए दर्जे का उत्सव मनाने के लिए पुराने शौच जगहों पर ‘गर्व यात्रा’ या ‘वॉक ऑफ प्राइड’ का आयोजन करता है, इसके उलट इन शौच पर पहले ‘शर्म यात्रा’ या ‘वॉक ऑफ शेम’ का आयोजन किया जाता था। हरदा ने अपने निवासियों को ‘अपशिष्ट से समृद्धि’ (या ‘वेस्ट टू वेल्थ’) कार्यक्रम से भी जोड़ा है। यह जैविक तौर पर नष्ट नहीं हो सकने वाले अपशिष्ट जैसे प्लास्टिक की थैलियां, लिफाफे आदि को भरकर सॉफ्ट टॉयज़ बनाने का एक प्रयोग है, जिनमें और चूड़ियों से लेकर प्लास्टिक स्ट्रॉ, एक्स-रे शीट्स आदि जैसी वस्तुएं उपयोग में लायी जाती हैं। इसके लिए बहुत से स्वयंसहायता समूहों को प्रशिक्षित किया गया और उन्हें आजीविका के अवसरों से अवगत कराया गया।

हरदा का अभियान सही मायने में एक जन आंदोलन है। धार्मिक नेताओं, जाति और सामुदायिक संघों के नेताओं और स्वास्थ्य, राजस्व, सहकारी, डेयरी और आईसीडीएस के प्रतिनिधियों, न्यायपालिका, पुलिस और वन विभाग के अधिकारियों सहित 4000 से अधिक लोगों को विशाल उपसमूहों की शुरुआत करने की ओर प्रवृत्त किया गया। जहां एक ओर डॉक्टरों ने लोगों को अच्छी साफ-सफाई की आदतें अपनाने की हिदायत दी, वहीं स्कूलों में माता-पिता को शौचालय के लिए जरूरत समझायी गयी और वकीलों ने ओडीएफ गांवों के मुवकिलों को रियायत दी, इतना ही नहीं, त्योहारों में साफ-सफाई के मुद्दों पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। बेशक, ओडीएफ दर्जे को बरकरार रख पाने की चुनौती कायम है, लेकिन इसके बावजूद समुदायों और समाज के हरेक तबके की कोशिश को सलाम है!

स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार



हरदा जिले के शौचमुक्त होने पर मानव श्रृंखला बनाते बच्चे

सिरसा में जन भागीदारी से मिली सफलता

पिछले कुछ महीनों से सिरसा जिले में निगरानी समितियां प्रातः 4 बजे से चौकसी का कार्य आरंभ कर देती हैं। वे गांव के रास्ते और सार्वजनिक शौच के स्थानों पर टॉर्चे और सीटियां लेकर गश्त लगाते हैं। यदि उन्हें कोई खुले में शौच करता दिखाई देता है तो वे उसे शौचालय का प्रयोग करने की सलाह देते हैं। ये उनके प्रयासों का ही फल है कि 17 सितंबर को संपूर्ण जिले को खुले में शौचमुक्त घोषित किया गया।

लगभग 5000 व्यक्ति निगरानी समितियों का हिस्सा थे। उपायुक्त(डीसी) शरणदीप कौर बरार ने इस बात की पुष्टि की

सुविधाओं की व्यवस्था करनी थी।

सिरसा प्रशासन ने ग्राम पंचायत के नेताओं, आंगनबाड़ी वर्कर्स, स्कूल शिक्षकों, यूथ क्लबों, सेल्फ हेल्प ग्रुप व धार्मिक पंडितों को इसमें शामिल किया। जागरूकता के प्रयास, अभ्यास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम किए गए। इस दौरान सफाई वीडियो दिखाए गए और ब्रोशर बांटे गए। सक्रिय होने के बाद लोगों ने इस प्रचार को आगे बढ़ाया और इसे चुनौती मानकर कम्युनिटी शौचालय बनवाने लगे। उपायुक्त ने कहा कि "हमारा उद्देश्य शौचालय के इस्तेमाल को बढ़ाने एवं व्यवहार में बदलाव लाना था न कि भवन बनाना"।



कि ऐसी समितियों का गठन प्रत्येक ग्राम में किया गया था और उन्होंने जिले को ओडीएफ बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई हैं। वे स्वयं को इस अभियान का हिस्सा कहलाने में सम्मानित महसूस करते थे और उन्हें सुबह 4 बजे उठने में कोई आपत्ति नहीं थी।

उत्तरी भारत के सबसे पुराने शहर सिरसा, जिसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है, में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अभियान को लागू करने में कई कठिनाइयां थी। उपायुक्त के अनुसार वहां के लोगों की खुले में शौच करने की आदत को बदलना बहुत कठिन कार्य था। इस क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या भी दिखाई देती है; आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मजदूर; धान और कपास की खेती के मौसम में अन्य राज्यों से यहां आते हैं। उपायुक्त ने बताया कि हमें उनके लिए भी स्वच्छता संबंधी

समाज के सभी लोगों का ध्यान रखने के लिए घरेलू शौचालय और सार्वजनिक शौचालय बनाए गए और ठोस एवं तरल कूड़ा प्रबंधन के लिए योजनाएं बनाई गईं। अनेक राजमिस्त्रियों को टू-पिट शौचालय बनाने का प्रशिक्षण दिया गया और उन्होंने मनरेगा और ईट-निर्माण मजदूरों के लिए शौचालय बनाएं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत और ब्लॉक जो ओडीएफ हो गए, वहां समारोह किए गए; गौरव यात्रा में सरपंच को पुरस्कार दिए गए।

इससे उन्हें बड़ा प्रोत्साहन मिला और अन्य लोगों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिली।

कई लोगों की प्रशंसा की जा सकती है— "जैसे दबवाली के चकजालू ब्लॉक के गर्वनमेंट मिडल स्कूल के हेड मास्टर। उनके गांव में 170 घर हैं, 837 लोग रहते हैं और 23 के घर में शौचालय नहीं था। उपायुक्त ने कहा "निगरानी संस्था के सदस्य के रूप में उन्होंने उन परिवारों को प्रोत्साहित किया एवं शौचालय बनाने का समर्थन किया"। ग्राम चकजालू को स्वर्ण जयंती सैनिटेशन अवार्ड स्कीम के तहत अवार्ड मिला।

अब चुनौती ओडीएफ स्टेटस को बनाए रखने की है। इसके लिए जिले की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है।

स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार

सामुदायिक भागीदारी से पंचकुला में आई जागरूकता

हरियाणा के पंचकुला जिले के 12 गांवों की 128 ग्राम पंचायतों ने शौचालय बनवाने और इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया। स्वच्छता अभियान का कोई भी माध्यम उन्हें जागरूक नहीं कर रहा था। जब तक कि जिला अधिकारी ने उन्हें इस नेक विचार से अवगत नहीं कराया। पंचकुला के 2 लाख लोगों में जिला अधिकारी ने त्वरित जागरूकता जगाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया। अन्य सभी गांव शौचालय इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे, जबकि 12 गांव अपनी जिद पर अड़े थे।

मानसिक रूप से दबाव डालने के लिए अधिकारियों ने 12 गांवों के नाम समाचार-पत्रों में प्रकाशित करने की बात कही, इसका परिणाम कल्पना से परे हुआ। गांव के वरिष्ठों ने बैठक की और विस्तार से चर्चा के बाद वे इस निश्चय पर पहुंचे कि यह निर्णय इस गांव के लिए मंगलकारी होगा।

वे लोग कैसे अपने गांव पर अस्वास्थ्य परिवेश का ठप्पा लगा सकते थे? उनके

बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्या उनके बच्चों को अच्छे वैवाहिक प्रस्ताव मिलेंगे, क्या खुले में शौच करना उनके लिए सामाजिक दोष बन जाएगा, क्या वहां के निवासी उनके गांव को सम्मान से देखेंगे या हेय दृष्टि से? इन सब पर विचार कर उन्होंने युवाओं को बुला शीघ्रतिशीघ्र शौचालय बनाने के लिए तैयार किया।

ठीक दूसरे दिन नोडल ऑफिसर और निगरानी समिति ने गांव में दौरा किया, तो वहां शौचालय का निर्माण कार्य जारी था। चार महीने में पंचकुला खुले में शौच से मुक्त था। इस अभियान की सफलता का श्रेय समुदाय के सभी विभागों के साथ राजनैतिक कार्यकारिणी, प्रबंधन, सरकारी विभाग, त्रि-स्तरीय पंचायती राज, स्कूली छात्रों, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा कार्यकर्ता और आम जनता को जाता है। वहां के लोगों के जोश और प्रेरणा के प्रदर्शन को देखकर श्री मित्तल ने कहा—“समाज का हर वर्ग शौचालय को

बनवाने के लिए एकजुट हुआ, दृढ़ संकल्प के साथ सुबह के मैदानी चक्कर की आदत को छोड़ने के लिए, ग्रामीणों को अभिप्रेरित करने के लिए नोडल ऑफिसर और ग्राम सरपंच ने जनवरी और मार्च 2016 के बीच नीति के अन्तर्गत विभिन्न कार्यशालाएं आयोजित की और निवासियों को प्रशिक्षण देने का कार्य किया।”

नोडल अधिकारी ने विभिन्न विभागों के मुखिया को ग्राम



पंचायत में नियुक्त किया कि वे कार्य की प्रगति के जिम्मेदार होंगे। इस कार्य के परिप्रेक्ष्य में वे प्रतिदिन सुबह गांव जाते और व्हाट्सएप पर फोटोग्राफ और सूचनाएं भेजते। इस व्हाट्सएप का नाम “पवन पंचकुला” रखा गया। श्री मित्तल ने बताया “सुबह छह बजे व्हाट्सएप पर सभी गांव के फोटो आ जाते हैं। यह मिशन हमारी प्राथमिकता था।”

एसबीएम के अधिकारी जो इस परियोजना से सीधे जुड़े हुए नहीं थे, वे भी इस कार्य में सक्रिय रहे। एसबीएम के कार्यकर्ता नियमित रूप से कार्य प्रगति में देरी, निर्माण सामग्री में कमी या अवकाश के दिन कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध थे।

जनसहभागिता से आज ग्रामीण पंचकुला की सड़कें और गांव बहुत स्वच्छ हैं।

स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार

ये स्वच्छता अभियान सिर्फ संस्कारों तक सीमित रहने से भी बात बनती नहीं है। स्वच्छता स्वभाव बन जाए, इतने से ही काफी नहीं है। आज के युग में स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य जैसे जुड़ता है, वैसे स्वच्छता के साथ रेवेन्यु मॉडल भी अनिवार्य है। वेस्ट टू वैल्यू ये भी उसका एक अंग होना जरूरी है और इसलिए स्वच्छता मिशन के साथ-साथ वेस्ट टू कम्पोस्ट की तरफ हमें आगे बढ़ना है। ठोस कचरे की प्रोसेसिंग हो, कम्पोस्ट में बदलने के लिए काम हो, और इसके लिए सरकार की तरफ से नीतिगत हस्तक्षेप की भी शुरुआत की गई है। फर्टिलाइजर कंपनियों को कहा है कि वे कूड़े-कचरे में से जो खाद तैयार होता है, उसको खरीदें। जो किसान जैविक खेती में जाना चाहते हैं, उनको ये मुहैया कराएं। जो लोग अपनी जमीन का स्वास्थ्य सुधारना चाहते हैं, धरती की तबीयत की फिक्र करते हैं, जो रासायनिक खाद के कारण काफी नुकसान हो चुका है, उनको अगर कुछ मात्रा में इस प्रकार की खाद की जरूरत है, तो वो मुहैया कराएं। और श्रीमान अमिताभ बच्चन जी ब्रांड एम्बेसेडर के रूप में इस काम में काफी योगदान दे रहे हैं। मैं नौजवानों को वेस्ट टू वैल्यू इस अभियान में नए-नए स्टार्टअप्स के लिए भी निमंत्रित करता हूँ। वैसे साधन विकसित करें, वैसी टेक्नोलॉजी विकसित करें, सस्ते में उसके व्यापक उत्पादन का काम करें। ये करने जैसा काम है। बहुत बड़ा रोजगार का भी अवसर है। बहुत बड़ी आर्थिक गतिविधि का भी अवसर है। और वेस्ट से वैल्यू क्रिएशन— ये सफल होता है। इसी 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक एक विशेष कार्यक्रम इंडोसान इंडिया सेनीटेशन कांफ्रेंस (भारत स्वच्छता सम्मेलन) आयोजित हो रहा है। देशभर से मंत्री, मुख्यमंत्री, महानगरों के मेयर, कमिश्नर— ये सब मिल करके सिर्फ और सिर्फ 'स्वच्छता' इसी पर गहन चिंतन-मनन करने वाले हैं। टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है? फाइनेंशियल मॉडल क्या हो सकता है? जन-भागीदारी कैसे हो सकती है? रोजगार के अवसर इसमें कैसे बढ़ाए जा सकते हैं? सब विषयों पर आर्थिक चर्चा होने वाली है। और मैं तो देख रहा हूँ कि लगातार स्वच्छता के लिए नई-नई खबरें आती रहती हैं। अभी एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि गुजरात टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने 107 गांवों में जाकर शौचालय निर्माण के लिए जागरण अभियान चलाया। स्वयं ने श्रम किया और करीब-करीब 9 हजार शौचालय बनाने में उन्होंने अपना योगदान दिया। पिछले दिनों आपने देखा होगा, विंग कमांडर परमवीर सिंह की अगुवाई में एक टीम ने तो गंगा में देवप्रयाग से ले करके गंगा सागर तक, 2800 किलोमीटर की यात्रा तैर करके की और स्वच्छता का संदेश दिया।

भारत सरकार ने भी अपने-अपने विभागों में, एक साल-भर का कैलेंडर बनाया है। हर विभाग 15 दिन विशेष रूप से स्वच्छता पर फोकस करता है। आने वाले अक्टूबर महीने में 1 से 15 अक्टूबर तक पेयजल और स्वच्छता विभाग, पंचायती राज विभाग, ग्रामीण विकास विभाग— ये तीनों मिल करके अपने-अपने क्षेत्र में स्वच्छता का रोडमैप बना करके काम करने वाले हैं। और अक्टूबर महीने के आखिरी दो सप्ताह, 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, तीन और— कृषि और किसान कल्याण विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, उपभोक्ता मामले विभाग 15 दिन अपने साथ संबंधित जो क्षेत्र हैं, वहां पर सफाई अभियान चलाने वाले हैं। मेरा नागरिकों से भी अनुरोध है कि ये विभागों के द्वारा जो काम चलता है, उसमें आपका कहीं संबंध आता है, तो आप भी जुड़ जाइए। आपने देखा होगा, इन दिनों स्वच्छता का सर्वेक्षण अभियान भी चलता है। पहले एक बार 73 शहरों का सर्वेक्षण करके स्वच्छता की क्या स्थिति है, उसको देश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। अब एक लाख से ऊपर जनसंख्या वाले जो 500 के करीब शहर हैं, उनकी बारी है और इसके कारण हर शहर के अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि चलो भाई, हम पीछे रह गए, अब अगली बार हम कुछ अच्छा करेंगे। एक स्वच्छता की स्पर्धा का माहौल बना है। मैं आशा करता हूँ कि हम सभी नागरिकों को इस अभियान में जितना योगदान दे सकते हैं, देना चाहिए। आने वाली 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। 'स्वच्छ भारत मिशन' को 2 वर्ष हो रहे हैं। मैं गांधी जयंती से दीवाली तक, खादी का कुछ-न-कुछ खरीदने के लिए तो आग्रह करता ही रहता हूँ। इस बार भी मेरा आग्रह है कि हर परिवार में कोई-न-कोई खादी की चीज होनी चाहिए, ताकि गरीब के घर में दीवाली का दीया जल सके। इस 2 अक्टूबर को, जबकि रविवार है, एक नागरिक के नाते हम स्वयं स्वच्छता से कहीं-न-कहीं जुड़ सकते हैं क्या? 2 घंटे, 4 घंटे शारीरिक रूप से आप सफाई के काम में अपने-आप को जोड़िए और मैं आपसे कहता हूँ कि आप जो सफाई अभियान में जुड़े, उसका एक छायाचित्र मुझे 'नरेन्द्र मोदी ऐप' पर आप शेयर कीजिए। वीडियो हो, तो वीडियो शेयर कीजिए। देखिए, पूरे देश में हम लोगों के प्रयास से फिर एक बार इस आंदोलन को नई ताकत मिल जाएगी, नई गति मिल जाएगी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को पुण्य स्मरण करते हुए हम देश के लिए कुछ-न-कुछ करने का संकल्प करें।...

आर. एन. आई./708/57

डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी.एल. (एस)-05/3164/2015-17

आई.एस.एस.एन. 0971-8451, पूर्व भुगतान के बिना आर.एम.एस.

दिल्ली में डाक में डालने के लिए लाइसेंस : यू (डी.एन.)-54/2015-17

1 अक्टूबर 2016 को प्रकाशित एवं 5-6 अक्टूबर 2016 को डाक द्वारा जारी

R.N.I./708/57

P&T Regd. No. DL (S)-05/3164/2015-17

ISSN 0971-8451, Licenced under U (DN)-54/2015-17

to Post without pre -payment at R.M.S. Delhi.

